रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938

No. 03] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 3(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खंड (3) के साथ पठित धारा 68 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 17 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1945 (अ.) तारीख 17 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित बालकों के दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निरूपित निम्नलिखित दत्तकग्रहण विनियम अधिसूचित करती है, अर्थात :—

अध्याय- 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **दत्तकग्रहण विनियम, 2017** कहा जाएगा ।

(2) ये 16 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है ;

(2) "दत्तक समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसमें संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत पदाधिकारी, इसका आगंतुक चिकित्सक या सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी और जिला बालक संरक्षण एकक का एक अधिकारी समाविष्ट होंगे और बालक देखरेख संस्था का प्रतिनिधि, यदि दत्तक ग्रहण विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के अलावा किसी बालक देखरेख संस्था से होता है, भी शामिल होगा;

(3) "दत्तकग्रहण फीस" से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा यथा विहित भावी दत्तक माता-पिता से सीधे, यदि वे भारत में निवास करते हैं, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त की जाएगी ;

(4) "बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली" से दत्तकग्रहण कार्यक्रम को सुकर बनाने, उसका मार्गदर्शन करने, उसकी निगरानी करने के लिए ऑनलाइन सूचना पद्धति अभिप्रेत है ;

(5) "बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन सम्यक् जांच के पश्चात् अनुसूची 1 में उपबंधित प्रपत्र में समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है ;

(6) "बालक अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें अनुसूची 2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार बालक के जन्म की तारीख और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित उसका ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है ;

(7) "विच्छिन्न" से स्थानन के पश्चात् परन्तु दत्तकग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले, दत्तक ग्रहण कुटुम्ब के साथ बालक का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक कुटुम्ब से बालक का अमेल होना अभिप्रेत है;

(8) "विघटन" से दत्तक ग्रहण के लिए न्यायालय से डिक्री प्राप्त होने के बाद, दत्तक कुटुम्ब में बालक का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक ग्रहण का विधिक रूप से बातिलीकरण अभिप्रेत है;

(9) "साधारणतया निवास" से ऐसा आबाद आवास अभिप्रेत है जो व्यक्ति का कम से कम एक वर्ष से साधारणतया आवास नियत करता है।

(10) "हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय" से बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय (1993) अभिप्रेत है ;

(11) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार दत्तक माता-पिता का ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है, जिसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत, कौटुम्बिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण और वहां का वातावरण और स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होती है;

(12) "देश के भीतर दत्तकग्रहण" से भारत के नागरिक द्वारा बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है ;

(13) "स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट" से सम्यक रूप से अनुज्ञप्त चिकित्सक द्वारा अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में दिए गए प्रपत्र में बालक के स्वास्थ्य की स्थिति के बाबत दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(14) "अनापत्ति प्रमाण पत्र" से प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें बालक को विदेशी या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की अनुज्ञा दी गई है ;

(15) "लंबित दत्तकग्रहण" से ऐसे दत्तक ग्रहण मामले अभिप्रेत हैं, जिनमें भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पहले से ही रजिस्ट्रीकृत हैं अथवा जिन्होंने विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की मान्यता समाप्त होने, निलंबन अथवा प्रत्याहरण से पहले विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था से बालक के संप्रेषण को स्वीकार कर लिया हो ;

(16) "दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख" से वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें सक्षम न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश लंबित होने तक, किसी बालक की अभिरक्षा भावी दत्तक माता-पिता को दे दी जाती है ;

(17) "निवासी भारतीय" से भारत में रह रहा भारतीय नागरिक अभिप्रेत है ;

(18) "नियम" से अधिनियम की धारा 110 के अधीन अधिसूचित नियम अभिप्रेत है ;

(19) "अनुसूची" से इन दत्तकग्रहण विनियम से उपाबध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(20) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समाज कार्य या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बाल शिक्षा या बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री रखता है और जिसे बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा लगाया गया हो अथवा जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जिसे गृह अध्ययन रिपोर्ट, बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के पश्चात् सेवाएं प्रदान करने, और ऐसे व्यक्ति को समुनदेशित किसी अन्य कार्य को पूरा करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखता हो ;

(21) "विशेष जरूरतों वाला बालक" से जैसी कि अनुसूची 18 में व्याख्या की गई है, मानसिक या शारीरिक या दोनों रूपों से अक्षम बालक अभिप्रेत है ;

(22) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन उपनियमों में उपयोग किए गए हैं, परंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में उन्हें नियत किए गए हैं।

3. दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांत – भारत में दत्तकग्रहण को शासित करने के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई भी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया करते समय, बालक के सर्वोत्तम हितों का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा ;

(ख) जहां तक संभव हो, बालक के अपने समाज-सांस्कृतिक पर्यावरण में स्थापन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, बालक को भारतीय नागरिकों के साथ दत्तकग्रहण करने को वरीयता दी जाएगी।

(ग) सभी दत्तकग्रहण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्राधिकारी द्वारा उनकी गोपनीयता रखी जाएगी।

4. दत्तकग्रहण के लिए पात्र बालक – दत्तकग्रहण के लिए निम्नलिखित प्रात्र होंगे, अर्थात् :

(क) कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक और बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया बालक ;

(ख) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (52) के अधीन यथा परिभाषित नातेदार का बालक ;

(ग) पूर्व विवाह से पति या पत्नी के बालक या बालकों को सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक ।

5. भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड – (1) भावी दत्तक माता-पिता को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से दृढ़; वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए; और उनकी जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए ;

(2) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता, उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो अथवा नहीं हो, निम्नलिखित के अध्यधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकता है :-

(क) विवाहित दंपत्ति की दशा में, दत्तकग्रहण पति-पत्नी दोनों की सम्मति आवश्यक होगी ।

(ख) एकल स्त्री किसी भी लिंग का बालक के दत्तकग्रहण कर सकती है।

(ग) एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है ।

(3) किसी भी बालक को एक दंपत्ति को तब तक दत्तकग्रहण में नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष पूरे न कर लिए हों।

(4) पात्रता निर्धारित करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता की आयु की गणना रजिस्ट्रीकरण की तारीख को की जाएगी और विभिन्न आयु वर्ग के बालको के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

बालक की आयु	**भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम संयुक्त आयु**	**एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु**
4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 वर्ष से 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष से 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष

(5) दंपति के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु मानी जाएगी ।

(6) बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

(7) नातेदार दत्तक ग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु का मानदंड लागू नहीं होगा ।

(8) तीन या तीन से अधिक बालकों वाले दंपतियों पर दत्तकग्रहण के लिए विनियम 2 के उप-विनियम (21) में यथा परिभाषित विशेष जरूरतों वाले बालक, पैरा (50) में यथा उल्लिखित कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक और नातेदार के बालक के दत्तकग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के अलावा विचार नहीं किया जाएगा ।

अध्याय- 2

दत्तकग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

6. **अनाथ अथवा परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया :-** (1) अनाथ अथवा परित्यक्त बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रकिया से संबंधित उपाबंध अधिनियम की धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37 की उप धारा (1) के खंड (क) से (ग) और (ज) और धारा 40 के अतिरिक्त इसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों में निर्धारित किए गए हैं।

(2) यदि किसी बालक देखरेख संस्था, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण सहित, द्वारा कोई परित्यक्त बालक बाल कल्याण समिति के आविष्टन के बिना प्राप्त किया जाता है, ऐसे बालक को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में दिए गए प्रपत्र 17 के अनुसार रिपोर्ट के साथ चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़ कर) बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, ऐसी रिपोर्ट की प्रति उसी समयावधि में स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत की जाएगी।

3) यदि बालक का उपचार चल रहा है या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं है, उक्त समयावधि में बाल कल्याण समिति के समक्ष केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और बाल कल्याण समिति रोगग्रस्त बालक का देखने जाएगी।

(4) बालक कल्याण समिति, जांच लंबित होने पर, अधिनियम की धारा 37 की उप धारा (ग) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के 18 के उप नियम 26 उपबंधों के अनुसार बालक के अल्प कालीन स्थानन या उसकी अंतरिम देखरेख के लिए नियमों के प्रपत्र 18 में आदेश जारी करेगी ।

(5) बालक के प्रवेश पर, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर उसका ब्यौरा और फोटो ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा, और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर बालक के फोटो को प्रत्येक छह माह पर बदला जाएगा ।

(6) जैविक माता-पिता अथवा वैध संरक्षक(कों) का पता लगाने के लिए, बाल कल्याण समिति जोखिम के कारकों और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बालक को प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर के भीतर जिला बालक संरक्षण एकक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो का विज्ञापन देने और संबंधित बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा नोमोद्दिष्टित पोर्टल के खोया अथवा पाया स्तंभ में डाटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निदेश देगी ।

(7) ऐसे मामले में जहां बालक दूसरे राज्य से है, प्रकाशन बालक के मूल ज्ञात स्थान पर स्थानीय भाषा में किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा सुकर बनाया जाएगा ।

(8) जहां कहीं, जिला बालक संरक्षण एकक क्रियाशील नहीं हैं, ऐसा विज्ञापन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट जारी कराएगा ।

(9) उप-विनियम (6) से (8) में विनिर्दिष्टित प्रयासों के बावजूद भी, यदि जैविक माता-पिता अथवा विधिक संरक्षकों का पता नहीं चलता है, जिला बाल संरक्षण एकक, तदनुसार, बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(10) बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के तीस दिन के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस रिपोर्ट में बालक द्वारा अल्पकालीन स्थापन के दौरान प्रकट की गई कोई भी सूचना और ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरा जिन्होंन बालक का दावा करने के लिए पहुंच की है, यदि कोई हो, सम्मिलित किया जाएगा ।

(11) परित्यक्त बालक की आयु दो या चार वर्ष से कम होने की दशा में, यदि स्थानीय पुलिस से जैविक माता-पिता अथवा विधिक संरक्षकों का पता न लगा पाने के संबंध में रिपोर्ट क्रमश: दो मास या चार मास में प्रस्तुत नहीं की जाती है, यह मान लिया जाएगा कि रिपोर्ट दे दी गई है ।

(12) बाल कल्याण समिति यह पता लगाने के लिए कि क्या परित्यक्त बालक या अनाथ बालक गुमशुदा बालक है, नोमोद्दिष्टित पोर्टल का उपयेाग करेगी ।

(13) बालक कल्याण समिति, अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के अनुसार कार्रवाई करने के बाद, अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में परित्यक्त अथवा अनाथ बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगी और ऐसा आदेश बाल कल्याण समिति के किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। ऐसा आदेश दो वर्ष तक की आयु के बालक के मामले में बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में चार माह की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(14) अधिनियम की धारा 36 के अधीन जांच और अधिनियम की धारा 38 के अधीन बाल कल्याण समिति द्वारा परित्यक्त अथवा अनाथ बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश उसी जिले में, जिसमें प्रारंभ में बालक पाया गया था, अथवा उस जिले में जहां बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन उसे स्थानांतरित किया गया है, पूरा किया जाएगा।

(15) अनाथ और परित्यक्त बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट क्रमश: अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रपत्र में तैयार की जाएगी और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाल दी जाएगी और ब्यौरा प्रत्येक छह मास पर अथवा जब कभी बालक में पर्याप्त शारीरिक परिवर्तन दिखाई दें, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अद्यतन किया जाएगा।

(16) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएगी।

(17) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करने की दशा में, जिला बालक संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को केयरिंग्स पर अपलोड करने में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की सहायता करेगा।

(18) बाल कल्याण समिति द्वारा मानसिक रूप से नि:शक्त माता-पिता के बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मानसिक रोग के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के मानसिक रूप से नि:शक्तता दर्शाने वाले प्रमाणपत्र के आधार पर होगी।

(19) सहोदर या जुड़वां बच्चों के मामले में, बाल कल्याण समिति सहोदर या जुड़वां बालकों के रूप में बच्चें की स्थिति विनिर्दिष्टित करेगी और एक ही आदेश में बालकों को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।

7. **अभ्यर्पित बालक से संबंधित प्रक्रिया – (1)** यदि कोई माता-पिता या अभिभावक अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (1) के अधीन बालक को अभ्यपर्ति करने की इच्छा करता है, वह बाल कल्याण समिति को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में विहित प्ररूप 23 में आवेदन करेगा।

(2) ऐसे माता-पिता या अभिभावक जो अशिक्षित होने या किसी अन्य कारण से आवेदन करने में अक्षम हैं, बाल कल्याण समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन करना सुकर बनाएगी।

(3) अनुसूची 5 के अनुसार अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जाएगा।

(4) यदि अभ्यर्पित करने वाली माता एक अविवाहित माता है, अभ्यर्पण विलेख का निष्पादन बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य, अधिमानत: महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा।

(5) यदि विवाहित दंपति से जन्मे बालक का अभ्यर्पण किया जाता है, माता-पिता दोनों अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों में किसी एक की मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत माता-पिता के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(6) यदि विवाहित दंपति से जन्मे बालक का अभ्यर्पण जैविक माता अथवा पिता द्वारा किया जाना है और दूसरे माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया इन विनियमनों के पैरा 6 के अनुसार की जाएगी।

(7) विवाह के परिणामस्वरूप जन्मे बालक की दशा में, केवल माँ ही बालक को अभ्यर्पित कर सकती है। यदि माँ अवयस्क है, अभ्यर्पण विलेख पर साथ आने वाले वयस्क द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) यदि अभ्यर्पण जैविक माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे न्यायालय द्वारा अभिभावक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया विनियम 6 के अनुसार की जाएगी।

(9) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता अथवा व्यक्ति को दी जाए।

(10) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के समय से तीन कार्य दिवसों के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर उसके फोटो के साथ ब्यौरा ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा ।

(11) जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण को हतोत्साहित करने के लिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति को माता-पिता द्वारा बालक को रखने की संभावना खोजने के प्रयास किए जाएंगे, जिनमें बालक को रखने के लिए माता-पिता को परामर्श देना और प्राधिकरण या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा स्थापित किए गए परामर्श केंद्र से उनका संपर्क कराने और यह स्पष्ट करना कि अभ्यर्पण की प्रक्रिया अप्रतिसंहरणीय होती है, अंतर्विष्ट होगा ।

(12) विशेषज्ञ बालक दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता अथवा विधिक संरक्षक को अवगत कराया जाएगा कि वे अभ्यर्पण की तारीख से केवल साठ दिन के भीतर ही बच्चे का पुन: दावा कर सकते हैं ।

(13) अभ्यर्पण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारियों और अभिकरणों द्वारा अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता और अभ्यर्पित बालक की निजता का उचित सम्मान करना चाहिए ।

(14) अभ्यर्पित बालक के मामले में कोई भी सार्वजनिक सूचना अथवा विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा ।

(15) यदि पुनर्विचार अवधि के दौरान अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता बालक को वापस लेने का दावा नहीं करते हैं, अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी ।

(16) जैविक माता-पिता के लिए पुनर्विचार की अवधि अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (3) में नियत की गई है और अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को कोई और सूचना जारी नहीं की जाएगी।

(17) बालक कल्याण समिति, अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में अभ्यर्पित बालक को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी ।

(18) अभ्यर्पित बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट दत्तकग्रहण इन विनियमों की क्रमश: अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रपत्र में विषेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर केयरिंग्स पर डाल दी जाएगी ।

(19) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अंग्रेजी में (स्थानीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी और यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिला बालक संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करने में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की सहायता करेगा ।

(20) जैविक माताओं-पिताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों के मामले में सख्ती से गोपनीयता बरती जाएगा जब तक कि अभ्यपर्ण करने वाले माताओं-पिताओं उसे प्रकट करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं ।

(21) अविवाहित माता द्वारा बाल कल्याण समिति की महिला सदस्य के समक्ष बालक का अभ्यपर्ण अधिनियम की धारा 35 के अधीन यथा परिकल्पित समिति के समक्ष अभ्यर्पण करने के समान माना जाएगा और उसकी निजता के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी ।

(22) बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक का अभ्यपर्ण बंद कमरे में किया जाएगा ।

(23) सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता बालक अथवा बालकों का अभ्यर्पण अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा के अधीन यथा परिकल्पित दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष अनुसूची 21 में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

8. **दत्तक ग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता -** बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को जैसे ही दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है, ऐसे बालक को निवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की अनुमति दी जाए :

परंतु ऐसे बालक को अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में भी दिया जा सकेगा –

(क) साठ दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से कम आयु का है;

(ख) तीस दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से अधिक आयु का है अथवा भाई-बहन है;

(ग) पंद्रह दिन के पश्चात, यदि बालक में अनुसूची 18 में सूचीबद्ध कोई मानसिक अथवा शारीरिक निशक्तता है ।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि परंतुक में नियत समय सीमा का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा जिस तारीख को बाल कल्याण समिति द्वारा जारी बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) अपलोड किया जाता है ।

अध्याय - 3

निवासी भारतीयों के लिए दत्तकग्रहण की प्रक्रिया

9. **भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन –** (1) भारतीय भावी दत्तक माता-पिता, उनके धर्म पर ध्यान दिए बिना, जो किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण का इरादा रखते हैं, अनुसूची 6 में यथा उपबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को आवेदन करेंगे और इस प्रकार सुसंगत दस्तावेज अपलोड करके भावी दत्तक माता-पिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करेंगे ।

(2) भावी दत्तक माता-पिता रजिस्ट्रीकरण के समय उन विशेष राज्यों का विकल्प देकर वांछित राज्य या राज्यों का चयन करेंगे ।

(3) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण उस राज्य या उन राज्यों के सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों में, जिनका विकल्प उन्होंने दिया है, रजिस्ट्रीकरण माना जाएगा ।

(4) भावी दत्तक माता-पिता की रजिस्ट्रीकरण संख्या उस राज्य या उन राज्यों के सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को, जिनका विकल्प उन्होंने दिया है, यथास्थिति, उपलब्ध हो जाएगी ।

(5) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के तुरंत बाद रजिस्ट्रीकरण पूरा होगा और भावी दत्तक माता-पिता को पुष्टि की जाएगी :

परंतु दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन की नियत अवधि के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए; ऐसा करने पर भावी दत्तक माता-पिता को दुबारा से रजिस्टर करना होगा ।

(6) भावी दत्तक माता-पिता को अभिस्वीकृति पर्ची से उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या मिलेगी और वे अपने मामले की प्रगति को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे ।

(7) भावी दत्तक माता-पिता गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अपने सामान्य निवास के राज्य में अपने निवास के निकटवर्ती विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का चयन करेंगे ।

(8) भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट चयन किए गए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार कराई जाएगी और यदि वे नियत समयावधि में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में असमर्थ रहते हैं, वे राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक, यथास्थिति, द्वारा रखे जा रहे पैनल में से सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता लेंगे।

(9) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा रखे जा रहे पैनल में से सामाजिक कार्यकर्ता गृह अध्ययन के दौरान भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श देंगे ।

(10) गृह अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र में पूरी की जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही भावी दत्तक माता-पिता के साथ साझा जाएगी ।

(11) गृह अध्ययन रिपोर्ट, जैसे ही यह पूरी होती है, शीघ्र ही विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाली जाएगी ।

(12) गृह अध्ययन रिपोर्ट तीन वर्ष तक विधिमान्य रहेगी और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक के दत्तक ग्रहण का आधार होगी ।

(13) भावी दत्तक माता-पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट और समर्थक दस्तावेजों के आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा पात्र और उपयुक्त घोषित किया जाएगा और यदि किसी भावी दत्तक माता-पिता को पात्र और उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, इसके कारणों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अभिलिखित किया जाएगा ।

(14) भावी दत्तक माता-पिता अस्वीकृति के विनिश्चय के विरुद्ध प्राधिकरण के समक्ष विनियम 59 में यथा उपबंधित अपील कर सकते हैं ।

(15) उप–विनियम (14) में संदर्भित अपील का निस्तारण पंद्रह दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय बाध्यकारी होगा ।

(16) जिला बालक संरक्षण एकक भावी दत्तक माता-पिता के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने, दस्तावेजों को अपलोड करने और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के सामने आ रही तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता करेगा ।

(17) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण, उनका रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद, उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

10. भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक संप्रेषण करना – (1) बालक के संप्रेषण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर दस्तावेज अपलोड करने और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से होगी ।

(2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता-पिता को एक या अधिक संप्रेषणों में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से एक या एक से अधिक विषेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों में तीन बालकों तक के, उनके वरीयताक्रम में, ऑनलाइन विवरणिका अवलोकन करने का अवसर दिया जाएगा जिसमें फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट समाविष्ट होगी ।

(3) बालक अथवा बालकों की विवरणिका का अवलोकन करने के बाद, भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटों के भीतर संभावित दत्तकग्रहण के लिए एक बालक को आरक्षित कर सकते हैं और शेष बच्चों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक माता-पिता के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथा परिभाषित दत्तक ग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए, मिलान के लिए मिलने का समय निश्चित करने के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता का ब्यौरा मिलेगा और दत्तकग्रहण समिति अनुसूची 27 में उपबंधित किए गए प्रपत्र के अनुसार बैठक के कार्यवृत्त तैयार करेगी ।

(5) दत्तकग्रहण समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का होगा और बालक देखरेख संस्था के बालक के दत्तकग्रहण के मामले में कोरम तीन सदस्यों का होगा यद्यपि जिला बालक संरक्षण एकक के अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(6) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता की बालक के साथ बैठक भी आयोजित करेगा ।

(7) मिलान की पूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से अधिकतम बीस दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी ।

(8) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता को, जब वे मिलान के लिए अभिकरण आते हैं, परामर्श देगा ।

(9) बालक को स्वीकार करते समय, भावी दत्तक माता-पिता विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मुख्य कृत्यकारी की उपस्थिति में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) से डाउनलोड किया जा सकेगा, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता की स्वीकृति को केयरिंग्स में अभिलिखित करेगा ।

(10) यदि, दत्तक समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है, भावी दत्तक माता-पिता के नहीं चुने जाने के कारणों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अभिलिखित किया जाएगा ।

(11) यदि अस्वीकृति प्रणालीगत त्रुटि से होती है या गैर-न्यायोचित कारणों की वजह से पाई जाती है, भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता प्रतिधारित बनी रहेगी ।

(12) यदि भावी दत्तक माता-पिता आरक्षित किए गए बालक को स्वीकार नहीं करते हैं अथवा दत्तकग्रहण समिति भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त नहीं पाती है, तब भावी दत्तक माता-पिता उस तारीख की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएंगे, उन्हें नया मौका दिया जाएगा जब उनकी ज्येष्ठता आएगी और तत्पश्चात् के मौकों पर भी वही प्रक्रिया अनुसरित की जाएगी ।

(13) उप-विनियम (12) में निर्दिष्टित सभी मामलों में, बालक पर विचार न करने के कारणों का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।

(14) भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक तीन वर्ष में गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्वैधीकरण के साथ बालक के दत्तकग्रहण तक जारी रहेगा ।

(15) भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तकग्रहण की उनकी स्वीकृति देने से पहले बालक की स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट का पुनर्विलोकन अपनी पसंद के चिकित्सक से भी करा सकते हैं ।

11. दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख – (1) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर, अनुसूची 8 में उपबंधित प्रपत्र में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा ।

(2) भावी दत्तक माता-पिता विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अनुसूची 9 में यथा विनिर्दिष्टित दस्तावेजों की मूल प्रतियां या नोटेरी द्वारा सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएंगे ।

12. **विधिक प्रक्रिया –** (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक के मिलान की तारीख से और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची 11 में यथा विनिर्दिष्टित प्रासंगिक मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित न्यायालय में, जिसका उस स्थान पर अधिकारिता है जहां पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण स्थित है, आवेदन पत्र फाइल करेगा।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण दिए गए प्रपत्र में अनुसूची 28 या अनुसूची 29 के अनुसार, जो भी लागू हो, आवेदन फाइल करेगा ।

(3) यदि बालक किसी ऐसी बालक देखरेख संस्था से है जो विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है और दूसरे जिले में स्थित है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण उस जिले के, जहां बालक अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण स्थिति है, संबंधित न्यायालय में याचिका फाइल करेगा और ऐसे मामले में, बालक देखरेख संस्था विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ सह-याचिकाकर्ता होगी और बालक देखरेख संस्था संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ।

(4) सहोदर या जुड़वां बच्चों के मामले में, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय में एक ही आवेदन फाइल करेगा ।

(5) चूंकि दत्तकग्रहण का मामला गैर-विरोधात्मक प्रकृति का होता है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन में किसी को प्रतिपक्ष या प्रत्यर्थी नहीं बनाएगा ।

(6) न्यायालय दत्तकग्रहण पर कार्यवाही बंद कमरे में करेगा और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, यथाउपबंधित अधिनियम की धारा 61 की उप धारा (2) में परिकल्पित है, मामले का निपटारा करेगा ।

(7) दत्तक माता-पिता से, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य समर्थक दस्तावेजों में उनकी मनो-सामाजिक विवरणिका और वित्तीय स्थिति पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है, कोई वचनबंध निष्पादित करने या बालक के नाम पर निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा ।

(8) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण, न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करेगा और इसे भावी दत्तक माता-पिता को दस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालेगा और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(9) दत्तकग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार आज्ञापक नहीं है ।

(10) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता-पिता के रूप में दत्तक माता-पिता के नाम और दत्तकग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा और प्रमाण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र अधिमानतः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा ।

(11) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण याचिका दायर करते समय न्यायालय में अनुसूची 23 में यथा उपबंधित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा ।

13. **दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगति का अनुवर्तन –** (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है, भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तक-पूर्व देखरेख में स्थापन की तारीख से दो वर्ष तक छमाही आधार पर अनुसूची 22 में यथा उपबंधित प्रपत्र में दत्तकग्रहण पश्चातवर्ती अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगा और बालक के फोटो के साथ उसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा ।

(2) यदि दत्तक माता-पिता पुनर्स्थापित हो जाते हैं, वह उस अभिकरण को जिसने गृह अध्ययन किया है, और उस जिले के, जहां वे पुनर्स्थापित हुए हैं, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करेंगे ।

(3) वर्तमान जिले का जिला बालक संरक्षण एकक दत्तकग्रहण पश्चातवर्ती अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा ।

(4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक, यथास्थिति, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के परामर्श की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य अभिकरण में स्थापित परामर्श केंद्र से जोड़ेगा ।

(5) यदि बालक को दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन में कोई समस्या होती है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण ऐसे दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य अभिकरण में स्थापित परामर्श केंद्र से जोड़ेगा ।

(6) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में बाधा के मामले में :

(क) याचिका फाइल करने से पहले दत्तकग्रहण पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करते हुए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा ;

(ख) न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद दत्तकग्रहण-पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करते हुए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा और संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण आवेदन वापस ले लिया जाएगा ;

(ग) जहां दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान बालक को दूसरे राज्य में ले जाया गया है, वहां राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा उस राज्य से जहां बालक रह रहा है और उसके मूल राज्य से समन्वयन किया जाएगा ।

(7) विघटन के मामले में, उस न्यायालय में, जिसने दत्तकग्रहण आदेश जारी किया है, दत्तकग्रहण के बातिलकरण के लिए आवेदन किया जाएगा

(8) दत्तक ग्रहण के यथास्थिति विच्छिन्न या विघटन हो जाने के बाद बालक की स्थिति को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त के रूप में अद्यतन किया जाएगा ।

अध्याय - 4

अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया

14. **अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के समान मानना -** अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता को भारतीय अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्राथमिकता के मामले में भारत में रह रहे भारतीयों के समान माना जाएगा ।

15. **अंतर-देशीय दत्तकग्रहण हेतु भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण और उनके लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट –** (1) कोई भी अनिवासी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता, जो एक ऐसे देश में रहते हैं, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, और भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के इच्छुक हैं, वे अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण से, यथास्थिति, पहुंच कर सकते हैं ।

(2) यदि, उनके सामान्य निवास करने वाले देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तब भावी दत्तक माता-पिता इस प्रयोजन के लिए उस देश के संबंधित सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेंगे ।

(3) संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित यथास्थिति सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त पाए जाने के बाद, उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी कराएगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्टित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन का रजिस्ट्रीकरण करेंगे ।

(4) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने की तारीख से मानी जाएगी ।

(5) भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता अथवा उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्रधिकरण में इस अध्याय में निर्दिष्ट उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित किया जाएगा जहां दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र बालक उपलब्ध होंगे ।

(6) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) द्वारा दो बालकों तक की विवरणिकाएं, एक या दो रैफरलों में, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन, यथास्थिति, को भेजी जाएगी, जो ऐसी विवरणिकाओं को स्थानीय नियमों के अनुसार संबंधित भावी दत्तक माता-पिता को अग्रेषित करेंगे और विदेशी या विदेशी भारतीय नागरिकों के मामले में, बालकों की विवरणिकाएं भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्टित करेंगे ।

(7) भावी दत्तक माता-पिता छियानवे घंटे के भीतर निर्दिष्टित बालकों में से एक बालक को आरक्षित करेंगे और दूसरे बालक की विवरणिका स्वत: वापस ली गई मान ली जाएगी।

(8) यदि भावी दत्तक माता-पिता छियानवे घंटे के भीतर संदर्भित बालकों में से किसी भी बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विवरणिकाएं अपने आप वापस ली गई मान ली जाएंगी।

(9) भावी दत्तक माता-पिता को रैफरल भेजते समय, उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाएगा।

(10) यदि भावी दत्तक माता-पिता दिखाए गए बालकों में से एक को चुनते हैं, उन्हें चुनने की तारीख से तीस दिन के भीतर बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके बालक को स्वीकार करना होगा।

(11) बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और उसके फोटो की मूल प्रति विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा भारतीय राजनयिक मिशन को भेजी जाएगी।

(12) यदि भावी दत्तक माता-पिता तीस दिन के भीतर निर्दिष्ट बालको में से किसी भी बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विवरणिकाएं बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में वापस ली गई मान ली जाएंगी और भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएगी, जिन्हें बालक का चयन करने और उसे स्वीकार करने का दूसरा अवसर जब उनकी बारी आएगी, तब दिया जाएगा बशर्ते कि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट विधिमान्य हो।

(13) यदि भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकार करने से पहले बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण आने के इच्छुक हैं, ऐसी मुलाकात प्राधिकरण द्वारा उनका दत्तकग्रहण आवेदन अनुमोदित होने के बाद ही की जा सकती है और भावी दत्तक माता-पिता बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट का पुनर्विलोकन अपनी पसंद के चिकित्सक से भी करा सकते हैं।

(14) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता के दस्तावेजों की मूल प्रति, अनुसूची 9 में यथा विनिर्दिष्ट, संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को उनकी संवीक्षा के लिए अग्रेषित करेगा।

(15) गृह अध्ययन रिपोर्ट का भाग होने वाले सभी दस्तावेज नोटेरी द्वारा सत्यापित होंगे और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश के मामले में नोटेरी को प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, तथापि भारत से मूल रूप में तैयार किए गए दस्तावेज स्व-प्रमाणित होंगे।

(16) यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तब मूल दस्तावेजों के साथ भावी दत्तक माता-पिता के आवास के देश में सत्यापन या प्रमाणन के लिए नामोदिष्टित अभिकरण या प्राधिकारण द्वारा सत्यापित उनका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होना चाहिए।

16. **प्राधिकरण का निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख –** (1) प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार, जहां भी लागू हो, प्राप्तकर्ता देश द्वारा अनुमोदन या अनुमति पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर अनुसूची 10 में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में निरापेक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा; और निरापेक्ष प्रमाण-पत्र की एक प्रति सभी संबंधितों को पृष्ठांकित की जाएगी और तत्काल बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डाली जाएगी।

(2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा जब न्यायालय से आदेश लंबित हो, प्राधिकरण द्वारा निरापेक्ष प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद अनुसूची 8 में दिए गए प्रपत्र में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, बालक को भारत में अस्थायी अवधि के लिए दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा।

(3) भावी दत्तक माता-पिता को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक की अंतिमरूप से अभिरक्षा सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के बाद पासपोर्ट और वीजा जारी होने के तुरंत बाद दे दी जाएगी।

17. **विधिक प्रक्रिया –** (1) इस अध्याय के तहत अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में विनियम 12 के अनुसार विधिक प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अपनाई जाएगी।

(2) यदि भावी दत्तक माता-पिता सामान्यत: विदेश में रहते हैं, और साथ ही अपनी ओर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से प्रतिनिधितव करने की इच्छा करते हैं, तो आवेदन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के दत्तकग्रहण प्रभारी जो मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, के पक्ष में मुख्तारनामा भी संलग्न होगा और ऐसे मुख्तारनामा में अटर्नी को भावी दत्तक माता-पिता की ओर से मामले में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

18. **पासपोर्ट और वीजा, आप्रवास प्राधिकारियों को सूचना, पुष्टि प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र आदि –** (1) यदि प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, प्रधिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुसूची 11 में यथा उपबंधित प्रपत्र में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्देद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) प्राधिकरण दत्तकग्रहण की पुष्टि के बारे में संबंधित आप्रवास प्राधिकारियों और यथास्थिति विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सूचित करेगा ।

(3) दत्तक बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(4) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने से संबंधित परिपत्रों के अनुसरण में, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करेगा ।

(5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन दिन की अवधि के भीतर भावी दत्तक माता-पिता के नाम और दत्तकग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ दत्तक बालक के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करेगा ।

(6) दत्तक बालक विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड, यदि पात्र पाया जाता है, पाने का हकदार होगा ।

(7) दत्तक माता-पिता दत्तक बालक को अपने देश ले जाने के लिए दत्तक आदेश की तारीख से दो माह की अधिकतम अवधि के भीतर भारत आएंगे ।

19. अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता

द्वारा दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगति का अनुवर्तन – (1) यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा भारतीय राजनयिक मिशन अथवा संबंधित सरकारी विभाग प्राप्तकर्ता देश में दत्तक बालक के आगमन की तारीख से दो वर्ष तक, पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची 12 में उपबंधित प्रपत्र में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा ।

(2) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह दौरों के दौरान प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग को बालक की दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) यदि यह पाया जाता है कि बालक दत्तक कुटुम्ब में समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक कुटुम्ब में बच्चे का बना रहना बच्चे के हित में नहीं है, प्राप्तकर्ता देश में यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और भारतीय राजनयिक मिशन और प्राधिकरण के परामर्श से उसी देश में बालक को उपयुक्त अनुकल्पिक दत्तकग्रहण अथवा पोषण स्थानन में दिया जाएगा ।

(4) दत्तकग्रहण के विच्छेदन या विघटन के मामलें में, बालक उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय अनुसमर्थित देशों में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुसार देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का हकदार होगा ।

(5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेगा और यदि अपेक्षित हो, बालक के प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा ।

(6) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, भारतीय दत्तक बालकों और उनके दत्तक माता-पिता का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करेगा और आयोजनों की रिपोर्ट केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा और भारतीय राजनयिक मिशन ऐसे मिलन समारोहों में सुकर करेंगे ।

(7) भावी दत्तक माता-पिता इस बारे में एक वचनबद्ध देंगे कि वह प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा यथास्थिति विदेशी केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों को दत्तक माता-पिता या कुटुम्ब में बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्षों की समयावधि तक व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देंगे ।

20. विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में रह रहे हेग दत्तकग्रहण अभिसमय अनुसमर्थित देशों के विदेशी राष्ट्रिक द्वारा दत्तकग्रहण – (1) यदि विदेशी भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रिक, जो एक ऐसे देश का नागरिक है जिसने हेग अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, और भारत का सामान्य निवासी है, दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में विनिर्दिष्टित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करके उसमें यथा विनिर्दिष्टित विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करेगा ।

(2) नोटेरी द्वारा सम्यक सत्यापित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, सिवाय भारत में मूल रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों के अलावा जो स्व-हस्ताक्षरित होंगे, आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को भेजेगा और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन रिपोर्ट को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करेगा ।

(3) भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटों के भीतर निर्दिष्ट किए गए बालकों में एक बालक को आरक्षित करेंगे और प्रक्रियाएं विनियम 15 के उप विनियम (9), (10), (12) और(13) और विनियम (16) से (19) के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी ।

(4) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने की भूमिका, जैसा कि इन विनियमनों में अपेक्षित है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा निभाई जाएगी ।

(5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की तारीख से दो वर्षों की समयावधि में छमाही आधार पर दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची 12 में उपबंधित प्रपत्र के अनुसार बालक के फोटो के साथ उसका ब्यौरा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करके रिपोर्ट करेगा ।

(6) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह निरीक्षणों के दौरान विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को बालक की दत्तक माता-पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता-पिता और दत्तक बालक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी ।

(7) यदि अनुवर्तन के दौरान, यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को यह पता चलता है कि बालक दत्तक कुटुम्बके साथ समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक कुटुम्ब में बालक का बना रहना बालक के हित में नहीं है, विनियम 13 के उप-विनियम (5), (6) और (7) में यथा परिभाषित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(8) संबंधित राजनयिक मिशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तक डिक्री के बाद तुरंत ही अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की प्रति प्राधिकरण और संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी ।

(9) विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता-पिता इस प्रभाव का एक शपथपत्र देंगे कि वे दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की समयावधि में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देंगे ।

(10) विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता-पिता, जैसा भी मामला हो, इस प्रभाव का एक वचनबंध देंगे कि दत्तकग्रहण के बाद दो वर्ष पूरे होने से पहले यदि वे भारत के बाहर जाते हैं, वे अपनी गतिविधि के बारे में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सूचित करेंगे और अपना नया पता बताएंगे और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शेष अवधि के लिए अपनी दत्तकग्रहण-पश्चात् प्रगति रिपोर्ट भेजना जारी रखेंगे ।

21. **विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में रह रहे हेग देशों के विदेशी राष्ट्रिक के मामले में दत्तकग्रहण प्रक्रिया –** (1) यदि भावी दत्तक माता-पिता में से कोई एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो ऐसे मामले को भारत में रह रहे भारतीयों के मामले के समान ही माना जाएगा ।

(2) यदि भावी माता-पिता दोनों ही विदेशी हैं, ऐसे मामलों में विनियम 20 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा ।

22. **भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया** - (1) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की आवश्यक औपचारिकताएं प्रारंभ में उस देश की विधि और प्रक्रियाओं के अनुसार उसी देश में पूरी की जाएंगी ।

(2) प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (समर्थक दस्तावेजों सहित), बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता देश के रूप में भारत आ रहे बालकों के दत्तकग्रहण की दशा में, बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5 और 17 के अधीन यथा अपेक्षित, अनुमोदन जारी करेगा ।

(3) यदि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किसी ऐसे बालक का दत्तकग्रहण किया जाता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, और उस बालक को भारत आने के लिए भारतीय वीजा अपेक्षित है, संबंधित देश में भारतीय मिशन को वीजा के लिए आवेदन करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दत्तकग्रहण सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है, सभी सुसंगत दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी करेगा ।

(4) विदेश में दत्तकग्रहण किए गए बालक की आप्रवास अनुमति उस देश के भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त करनी होगी ।

अध्याय - 5

दत्तकग्रहण अभिकरणों की मान्यता, निरीक्षण और कृत्य

23. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता - (1) कोई भी बालक देखरेख संस्था, जो अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में बालकों के स्थापन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आशय रखती है, निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 26 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करेगी अर्थात् :-

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 12) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;

(ख) संस्था के संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपविधियों की प्रति;

(ग) बाल देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;

(घ) प्रबंधन समिति या कार्यकारिणी समिति या बोर्ड के सदस्यों की सूची यह दर्शाते हुए कि ऐसी समिति या बोर्ड के अधिकांश सदस्य भारतीय नागरिक हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा सहित वार्षिक रिपोर्टें;

(च) अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों को दत्तक ग्रहण में स्थानन करने के विनिश्चय के समर्थन में अभिकरण का संकल्प;

(छ) बालक देखरेख संस्था के पत्रशीर्ष पर इसके मुख्य अधिकारी की प्रवृत्त सुसंगत नियमों और इन विनियमनों को पालन करने का वचनबंध;

(ज) बालक देखरेख संस्था के पत्रशीर्ष पर इसके मुख्य अधिकारी का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने और ऐसा करने की आवश्यक सुविधा रखने का वचनबंध;

(झ) समर्थक दस्तावेज जो यह दर्शाते हों कि संगठन बाल संरक्षण और कल्याण के क्रियाकलापों में संलग्न रहा है;

(ञ) संस्था में बालकों की सूची ; और

(ट) वृत्तिक और बालक देखरेख कर्मचारियों की सूची ।

(2) राज्य सरकार, यदि बालक देखरेख संस्था इस प्रयोजन के लिए संचालित निरीक्षण के आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में विचार करने के लिए उपयुक्त पाई जाती है, आवेदन की तारीख से तीन माह के भीतर बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगी

(3) यदि कोई संगठन संस्थागत देखरेख में अंतग्रस्त नहीं है किंतु अपने पैनल पर प्रशिक्षित पोषण देखरेख दाताओं के माध्यम से शिशुओं और छोटे बालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण गैर-संस्थागत देखरेख सुनिश्चित करने की क्षमता और विशेषज्ञता रखती है, राज्य सरकार ऐसे संगठन को भी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता दे सकती है ।

(4) अंतर्देशीय और अंतर-देर्शीय दोनों दत्तकग्रहणों में बालकों का स्थानन करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जब तक कि विनियम 25 में यथाउल्लिखित आधारों पर इस मान्यता का प्रतिसंहरण न कर लिया गया हो ।

24. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीकरण के मानदंड और प्रक्रिया – (1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीकरण करने से पहले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी अर्थात् :-

(क) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तक स्थानन में समाधानप्रद संपादन किया है ;

(ख) क्या उसने बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन किया है और इन विनियमनों में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के लिए विनिर्दिष्टित समय सीमा का पालन किया है ;

(ग) क्या उसने इन विनियमनों के उपबंधों के साथ-साथ राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण किया है ;

(घ) क्या वह किसी कदाचार में संलिप्त रहा है ;

(ङ) क्या उसने दत्तकग्रहण फीस का उचित उपयोग किया है ; और

(च) क्या उसने अनुसूची 13 में यथा उपबंधित बाल देखरेख मानकों को बनाए रखा है ।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित दस्तावेजों और सूचना के साथ अपनी मान्यता समाप्त होने से छह माह पहले आवेदन करेगा, अर्थात् :-

(क) पिछली मान्यता अवधि के दौरान जैविक माता-पिता, नातेदारों अथवा संरक्षकों को लौटाए गए बालकों के ब्यौरा के साथ उनकी संख्या;

(ख) पिछली मान्यता अवधि के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में स्थापन किए गए बालकों की संख्या और उनका ब्यौरा और उनके दत्तक-पश्चात् अनुवर्तन का ब्यौरा;

(ग) पिछली मान्यता अवधि के दौरान दत्तकग्रहण फीस की प्राप्ति और उसके उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा;

(घ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने की घोषणा का शपथपत्र; और

(ङ) यह कथित करते हुए शपथपत्र कि वह इन दत्तकग्रहण विनियमनों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करने के लिए सहमत है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता विद्यमान मान्यता समाप्त होने से पहले, इस प्रयोजन से संचालित किए गए निरीक्षण के आधार पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी, यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्टित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्टित दस्तावेज़ और सूचना प्रस्तुत करता है ।

(4) यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण ने मान्यता/नवीकरण के लिए राज्य सरकार का आवेदन कर दिया है और राज्य सरकार द्वारा आवेदन की तारीख से एक मास के भीतर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण अभिकरण को संचालित करने के लिए अधिकतम छह मास की अवधि के लिए अनंतिम मान्यता माना जाएगा ।

(5) यदि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीकरण लंबित है, सभी लंबित मामलों को इन विनियमनों के अन्य सभी अनुबंध पूरे होने के अध्यधीन अग्रसर होने की अनुज्ञा होगी ।

25. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का निलंबन अथवा प्रतिसंहरण – (1) राज्य सरकार, *स्वप्रेरणा से* अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण की सिफारिश पर या उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्टि किसी भी आधार पर किसी भी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निलंबित अथवा उसका प्रतिसंहरण कर सकती है ।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निम्नलिखित कारणों में किसी एक अथवा अधिक कारणों से निलंबित किया जा सकता है, अर्थात् :-

(क) दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ इन दत्तकग्रहण विनियमनों का अतिक्रमण करना;

(ख) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण या संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को या बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर मिथ्या सूचना अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(ग) बालक अथवा दत्तकग्रहण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के बारे में भावी दत्तक माता-पिता या बालक कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षण एकक को अधूरी या मिथ्या सूचना देना;

(घ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों को ऑनलाइन अद्यतन करने में विफल रहना;

(ङ) इन विनियमनों में विनिर्दिष्टित समय सीमा के भीतर रिपोर्टों या आंकड़ों को प्रस्तुत करने में विफल रहना;

(च) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्यकरण के बारे में, संबंधित राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण के निरीक्षण दल के प्रतिकूल निष्कर्ष;

(छ) यदि वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारिवृंद नियोजित नहीं किए गए हैं;

(ज) वित्तीय अनियमितता अथवा कदाचार अथवा भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक माता-पिता से वस्तु अथवा नकदी के रूप में कोई दान प्राप्त करना;

(झ) दत्तकग्रहण फीस अथवा सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग अथवा उस प्रयोजन से जिसके लिए वे प्राप्त हुए थे, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ञ) अनैतिक पद्धतियां जिनमें एकल माताओं अथवा जैविक माता-पिता को अपने बालकों का त्याग करने के लिए उत्प्रेरित करना और बालकों को अवैध रूप से प्राप्त करना भी शामिल है;

(ट) गोपनीयता का सिद्धांत का अतिक्रमण करते हुए जैविक माता या माता-पिता या दत्तक बालक के बारे में सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना;

(ठ) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न करना; और

(ड) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में बालकों का दुरुपयोग अथवा उनकी उपेक्षा करना ।

(3) अभिकरण को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अवसर दिए बिना प्राधिकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(4) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन के बाद, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण छह माह की अवधि के भीतर आवश्यक जांच कराएगा, और यदि आरोप सिद्ध होते हैं, संबंधित राज्य सरकार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का प्रतिसंहरण करेगी ।

(5) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के प्रतिसंहरण के मामले में, संबंधित राज्य सरकार, तीस दिन के भीतर, उस गृह के बालकों के लिए, बालकों को दूसरे विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में स्थानांतरित करने सहित, अनुकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करेगी ।

(6) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबलन या प्रतिसंहरण की स्थिति में, उन मामलों को जिनमें भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं, दत्तकग्रहण संपन्न करने के लिए इन विनियमनों के सभी अन्य उपबंधों के अध्यधीन अनुमति दी जाएगी ।

26. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का निरीक्षण – (1) संबंधित राज्य सरकार बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देने अथवा नवीकरण पर विचार करने से पहले उसका निरीक्षण करेगी ।

(2) संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दक्षतापूर्वक और इन विनियमनों में यथा अधिकथित मानकों का पालन कर रहे हैं, उनका वार्षिक निरीक्षण संचालित करेंगे और जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेंगे ।

(3) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का परिसर, उन स्थानों सहित जहां बालक रह रहे होते हैं, और उसके सुसंगत अभिलेख केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल कल्याण समिति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अभिकरण अथवा व्यक्ति के लिए खुले होंगे और निरीक्षण का प्रपत्र अनुसूची 25 में यथा उपबंधित होगा ।

(4) जहां कहीं किसी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का निरीक्षण किया जाता है, निम्नलिखित की संवीक्षा अथवा परीक्षा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) कि अभिकरण इन विनियमनों के उपबंधों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन और अपने कार्यों का पालन दक्षतापूर्वक कर रहा है;

(ख) कि दत्तकग्रहण को बालकों के हित में कल्याण क्रियाकलाप के रूप में संगठन द्वारा परिशीलन किया जा रहा है और वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं;

(ग) देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में वास्तव में स्थानन किए गए बालकों की कुल संख्या और ब्यौरा;

(घ) बालकों के दत्तकग्रहण से संबंधित अभिलेख, उनके प्रवेश से लेकर विधिक दत्तक ग्रहण डिक्री और अनुवर्ती प्रगति तक के साथ-साथ संबंधित रजिस्टर;

(ङ) क्या बालकों के दत्तक ग्रहण में स्थानन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शीघ्र और पर्याप्त प्रयास किए गए हैं;

(च) क्या अभिकरण ने नियमित रूप से और अनुबंधित समय के भीतर संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को वार्षिक रिपोर्टें, खातों का लेखापरीक्षित विवरण और दत्तकग्रहण आंकड़ों सहित मासिक रिपोर्टें केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए हैं ;

(छ) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आंकड़ों और रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है;

(ज) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के पास इन विनियमनों के अधीन यथा अनुबंधित गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख सुविधाओं का रखरखाव कर रहा है और उन्हें प्रदान कर रहा है और बाल देखरेख के न्यूनतम मानक अनुसूची 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे;

(झ) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भुगतान की गई फीस की प्राप्ति और दत्तकग्रहण फीस में अंशदान और उसके उपयोग सहित वित्तीय अभिलेख; और

(ञ) क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के विरुद्ध कदाचार का कोई वाद है ।

27. **सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों के अधीन अनुदानों की हकदारी -** विषेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों, उन स्कीम के अधीन निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, सहायतानुदान प्राप्त करने का हक है।

28. **लेखाओं के रखरखाव के लिए अभिकरण.-** (1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दत्तकग्रहण फीस के रूप में प्राप्त निधि का उपयोग करेगा ।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण फीस और सरकार की अन्य अधिसूचित स्कीमों के अंतर्गत सरकारी अनुदान के उपयोग सहित लेखाओं का उचित रखरखाव करेगा जिनकी लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा की जाएगी ।

(3) संगठन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ इसके लेखा परीक्षित खातों की अनुप्रमाणित प्रति, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (1976 का 49) के अनुसार एक रिपोर्ट भी प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से छह माह के भीतर संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

29. **विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कृत्य -** विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तक ग्रहण में स्थापन को सुकर बनाने के लिए इन विनयमनों के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :-

(1) बालकों के प्रति – प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :–

(क) इसके प्रभार में रह रहे प्रत्येक बालक की देखरेख, संरक्षण और कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं; भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा; फुरसत और आमोद-प्रमोद संबंधी क्रियाकलापों का प्रबंध करेगा; किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, यथास्थिति समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा और प्रत्यावर्तन करेगा अथवा अनुवर्तन करेगा;

(ख) बालकों के प्रवेश, प्रत्यावर्तन, स्थानांतरण, मृत्यु और दत्तकग्रहण के सभी मामलों के अलावा संस्था से गुम हुए बच्चों के बारे में, यदि कोई हुआ हो, बालक कल्याण समिति, जिला बालक संरक्षण एकक, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति, गुमशुदा बच्चों के लिए नामोदिष्टित पोर्टल और पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट करेगा;

(ग) प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की प्रास्थिति को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति, जो www.cara.nic.in वेबसाइट पर सुगम है, प्रस्तुत करेगा;

(घ) बाल कल्याण समिति द्वारा जारी बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप मुक्त करने वाले प्रमाणपत्र को ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड करेगा;

(ङ) सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की बालक अध्ययन रिपोर्ट अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर उन पर अपलोड करेगा;

(च) ऐसे सभी बालकों की जिनको उनके गृह में प्रवेश दिया गया है, अनुसूची 4 में यथा उपबंधित चिकित्सा परीक्षा जांच की व्यवस्था करेगा और अपने शिशु रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालेगा;

(छ) बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत और वरीयता के निम्नलिखित क्रम में देखरेख के विकल्पों अर्थात् :-

(i) जैविक कुटुम्ब और विधिक संरक्षक से प्रत्यावर्तन;

(ii) देश के भीतर दत्तकग्रहण;

(iii) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण;

(iv) पोषण देखरेख ; और

(v) संस्थागत देखरेख

का अनुसरण कर प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करेगा ।

(ज) स्मृति एलबम तैयार करेगा, जिसमें बालक की फोटो एलबम, बालकों के जीवन का इतिवृत्त और ब्यौरा (अभ्यपर्ण करने वाले माता-पिता के ब्यौरा का उल्लेख न किया जाए) और बालक की अभिरूचि शामिल की जाए, जिसे दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में भावी दत्तक माता-पिता को बालक को सौंपते समय बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के साथ-साथ दत्तक कुटुम्ब को सौंपा जाएगा;

(झ) ऐसे प्रत्येक बालक के दत्तकग्रहण में स्थानन का प्रयास करेगा, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया हो;

(ञ) भावी दत्तक माता-पिता को बालक के संप्रेषण और इन विनियमों में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण से संबंधित विधिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ट) प्रत्येक दत्तकग्रहण योग्य बालक को दत्तक कुटुम्ब को अपनाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करेगा;

(ठ) भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की अनन्योक्रिया, जहां कहीं अपेक्षित हो, को सुकर बनाएगा;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि जुड़वां बालकों अथवा सहोदर का, जहां तक संभव हो, एक ही कुटुम्ब में स्थानन हो;

(ढ) दत्तकग्रहण के अभिलेख को इस प्रकार से परिरक्षित रखेगा कि ऐसे अभिलेख तक केवल प्राधिकृत व्यक्ति की ही पहुंच हो;

(ण) विनियम 44 में यथा उल्लिखित रीति से दत्तकों द्वारा अपनी मूल परिवार की तलाश को सुकर बनाएगा ।

(2) जैविक माता-पिता के प्रति कृत्य – प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :-

(क) अभ्यर्पित बच्चे के माता-पिता के साथ पूरी दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान सम्मान और गरिमा के साथ बरताव करेगा;

(ख) अविवाहित माँ और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखेगा;

(ग) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को परामर्श देगा और उन्हें भविष्य में उनके बालक द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की संभावना के बारे में बताएगा;

(घ) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ-साथ बालक की पृष्ठभूमि और विकास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा;

(ङ) माता-पिता को अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की संभावना सहित अभ्यपर्ण की विवक्षा के बारे में बताएगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यपर्ण और दत्तकग्रहण के लिए माता-पिता द्वारा सहमति किसी प्रपीड़न अथवा आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के बिना दी गई है;

(छ) बालक के जन्म से पहले बालक के दत्तकग्रहण के संबंध में जैविक माता-पिता के साथ कोई वचनबद्धता या करार नहीं करेगा;

(ज) माता-पिता को सूचित करेगा कि उनके पास अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की पुनर्विचारण अवधि होगी जिसके दौरान वे बालक को वापस ले जा सकते हैं ।

(3) भावी दत्तक माता-पिता के प्रति कृत्य – प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण :-

(क) भावी दत्तक माता-पिता के साथ सम्मान के साथ बरताव करेगा और सम्यक शिष्टाचार, सहायता और सलाह देगा;

(ख) भावी दत्तक माता-पिता को, यदि उनके सामने कोई कठिनाई आ रही है, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण करने में सहायता करेगा;

(ग) भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने और उसके लिए उनकी तैयारी का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सलाहकार के माध्यम से परामर्श देगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात् :-

(i) अपने कुटुम्ब को बनाने के एक अनुकल्पिक तरीके के रूप में दत्तकग्रहण की स्वीकृति;

(ii) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक हेतु अधिमान;

(iii) ऐसे बालक को दत्तक लेने के लिए भावात्मक तैयारी, जो उनका संबंधी नहीं है;

(iv) बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में सरोकार;

(v) पालन-पोषण और अनुशासन के प्रति रुख;

(vi) बालक को दत्तकग्रहण के तथ्य की जानकारी देना, जब वह बड़ा हो जाए;

(vii) दत्तक बालक द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज पर व्यवहार करना, जब वह बड़ा हो जाए;

(viii) कोई अन्य मुद्दा, जो पारस्परिक अनन्योंक्रिया के दौरान उठ सकता है ।

(घ) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता की, जिन्होंने उसके द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट का विकल्प चुना है, उनके रजिस्ट्रीकरण और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करेगा;

(ङ) भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की वर्तमान प्रास्थिति और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक आरक्षित किए जाने के बाद पूरे दत्तकग्रहण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निरंतर अद्यतन करेगा;

(च) भावी दत्तक माता-पिता को बालक की वीडियो क्लिप प्रदान करेगा और संप्रेषण के बाद बालक के साथ उनके वीडियो कॉल को सुकर बनाएगा;

(छ) भावी दत्तक माता-पिता को बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के बारे में जानकारी देगा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के स्वास्थ्य की प्रतिस्थिति के बारे में भावी दत्तक माता-पिता को जानकारी देगा यदि ऐसा कोई बालक दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित है;

(ज) बालक की खाद्य और सामाजिक आदतों सहित उससे संबंधित प्रतिरक्षण अभिलेख और हाल की नैदानिक रिपोर्टों के साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना, स्मृति एलबम भावी दत्तक माता-पिता को प्रदान करेगा;

(झ) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की एक प्रति और जन्म प्रमाण-पत्र अथवा शपथपत्र, जब कभी उपलब्ध हो, भी भावी दत्तक माता-पिता को प्रदान किया जाएगा;

(ञ) संप्रेषण पूरा होने पर और इन विनियमनों में यथा अभिकथित आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद बालक को दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में रखेगा;

(ट) भावी दत्तक माता-पिता को, यदि अपेक्षित हो, परामर्श सहित दत्तकग्रहण-पश्चात् सेवाएं प्रदान करेगा;

(ठ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित सन्नियमों में यथा विनिर्दिष्ट भुगतान के अलावा, कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा;

(ड) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया समझने के लिए भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक कुटुम्बों से संपर्क करने की सलाह देगा ।

(4) परामर्श से संबंधित कृत्य :- विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के परामर्श से संबंधित कृत्यों में निम्नलिखित कृत्य शामिल होंगे अर्थात् :-

(क) अभ्यर्पण की दशा में जैविक माता-पिता को परामर्श;

(ख) भावी दत्तक माता-पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और मिलान प्रक्रिया और प्राधिकरण या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक से संपर्क कराने के दौरान, जहां कहीं अपेक्षित हो, दत्तकग्रहण-पूर्व परामर्श;

(ग) अधिक आयु के बालकों को दत्तकग्रहण से पहले और दत्तकग्रहण के दौरान परामर्श;

(घ) दत्तक माता-पिता को, जब कभी अपेक्षित हो, परामर्श; और

(ङ) दत्तक बालकों को दत्तक-पश्चात् परामर्श, जब उनके द्वारा अपने मूल कुटुम्ब की खोज में संपर्क किया जाता है ।

(5) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण परित्यक्त बालकों को प्राप्त करने के लिए अपना गृह स्थापित करेगा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों, अस्पतालों, परिचर्या गृहों, महिलाओं के लिए अल्पावास और स्वाधार गृहों **शिशु पालना स्थल** स्थापित करेगा ।

(6) प्रलेखीकरण और अभिलेख अनुरक्षण -

(क) प्राधिकरण का बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) वेब पोर्टल डाटाबेस और रजिस्ट्रीकरण प्रणाली होगा जिसका दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए सभी राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बालक संरक्षण एककों और बालक देखरेख संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाना आज्ञापक होगा।

(ख) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक के लिए आयु और निम्नलिखित से संबंधित लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर 'व्यक्तिगत देखरेख योजना' तैयार करेगा अर्थात् :-

(i) स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकताएं ;

(ii) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं ;

(iii) शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं ;

(iv) फुरसत, सृजनात्मकता और खेल ;

(v) लगाव और नातेदारी ;

(vi) सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और बुरे वर्ताव से संरक्षण ;

(vii) कुटुम्बके साथ पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखरेख सहित पुनर्वास ;

(viii) समाज की मुख्यधारा से जोड़ना ; और

(ix) पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्तन ।

(ग) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक की मामला फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा अर्थात् :-

(i) बालक का मामला इतिवृत्त और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट;

(ii) अंतरिम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण हेतु वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश और बालक को त्यागने के मामले में अभ्यपर्ण विलेख;

(iii) बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और प्रतिरक्षण अभिलेख;

(iv) प्रत्येक छह माह के अंतराल पर लिए गए बालक के फोटो;

(v) भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन प्रपत्र, दस्तावेज़ और गृह अध्ययन रिपोर्ट;

(vi) दत्तकग्रहण याचिका, दत्तकग्रहण आदेश और बालक का जन्म प्रमाण-पत्र;

(vii) बालक की स्थानन पश्चात् प्रगति रिपोर्टें ।

(घ) प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित अभिलेख रखेगा अर्थात् :-

(i) मास्टर प्रवेश रजिस्टर;

(ii) बालक की चिकित्सा और विकास फाइल;

(iii) बालक की मामला फाइल;

(iv) बालकों और कर्मचारिवृंद की उपस्थिति रजिस्टर;

(v) भावी दत्तक माता-पिता के ब्यौरे के साथ दत्तक बालकों का रजिस्टर (रजिस्ट्रीकरण की तारीख, गृह अध्ययन रिपोर्ट की तारीख, बालक अथवा बालकों के संप्रेषण की तारीख (तारीखें), न्यायालय के आदेश की तारीख, भावी दत्तक माता-पिता को बालक सौंपने की तारीख, आदि);

(vi) वाउचर्स, रोकड़ बही, खाता, जरनल और वार्षिक लेखे;

(vii) अनुदान और दत्तकग्रहण फीस की प्राप्ति और उपयोग रजिस्टर;

(viii) स्टॉक रजिस्टर; और

(ix) प्रबंधन समिति और दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख (अलग-अलग रखा जाए)।

(7) अन्य कृत्य - प्रत्येक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण:-

(क) दत्तकग्रहण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास क्रियाकलापों का आयोजन भी करेगा;

(ख) इन दत्तकग्रहण विनियमनों के बारे में अपने बालक देखरेख और वृत्तिक कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण भी देगा; और

(ग) यह भी सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता-पिता का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण का प्रत्येक मामले का आवेदन प्राप्ति की तारीख से प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, प्राधिकरी और राज्य अभिकरण की सहायता से अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में यथा अनुबंधित चार मास की अवधि के भीतर निपटान कर दिया जाए।

30. **प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के कृत्य -** प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(1) भारत से बालक का दत्तकग्रहण करने की अभिरूचि रखने वाले भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण करना और शीघ्र उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करना;

(2) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण आवेदन की अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना और उसकी मूल प्रति आबंटित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को अग्रेषित करना;

(3) प्राधिकरण से दत्तकग्रहण हेतु निरापेक्ष प्रमाण-पत्र मिलने के बाद शीघ्र दत्तकग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ अनुवर्तन करना;

(4) दत्तक बालक जिस स्थान का रहने वाला है, उस स्थान की संस्कृति अथवा भाषा अथवा खाद्य का अभिसंस्करण भावी दत्तक माता-पिता को देना;

(5) दत्तकग्रहण किए गए बालक की प्रगति के दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन की प्रस्तुति सुनिश्चित करना और विनियम 19 में यथा उल्लिखित भंग के मामलों का निपटान करना;

(6) संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन की अंतग्रस्तता से समय-समय पर भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक कुटुम्बों के सम्मिलन समारोहों का आयोजन करना;

(7) दत्तक ग्रहण किए गए बड़े बालकों की अपने मूल परिवार की तलाश में सहायता करना; और

(8) मेजबान देश की विधिक अपेक्षाओं के साथ-साथ केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकार की निबंधन और शर्तों को पूरा करना ।

31. **विदेशी अभिकरणों के प्राधिकरण के मानदंड और प्रक्रिया –**

(1) भारतीय बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए विदेशी भावी माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के इच्छुक विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण उस देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग की सिफारिश के साथ भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

(2) प्राधिकरण द्वारा विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को प्राधिकरण अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित होगा :-

(क) ज्ञापन अथवा उपविधियां, रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति की प्रतियां, अंतरराष्ट्रीय दत्तकग्रहण कराने के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अनुज्ञप्ति, बोर्ड या कार्यकारी सदस्यों की सूची, उन देशों की सूची जिनके साथ वह कार्य कर रहा है, प्रत्यायन प्रमाण-पत्र, और पिछले दो वर्षों की इसकी वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षित खाते;

(ख) यह कथित करते हुए कि अभिकरण इन विनियमनों के उपबंधों का अनुपालन कथन करेगा, संगठन के प्रमुख अथवा मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक वचनबंध;

(ग) अभिकरण द्वारा एक वचनबंध कि अवरोध वाले या दत्तक बालकों के संप्रत्यावर्तन की दशा में, वह भारतीय दत्तकग्रहण विनियमनों में अधिकथित विशिष्ट प्रावधानों का पालन करेगा;

(घ) भारत से दत्तकग्रहण में स्थापन किए गए बालकों की प्रास्थिति पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अभिकरण द्वारा वचनबंध;

(ङ) उनके देश की दत्तकग्रहण विधि या दत्तकग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांतों या दत्तक ग्रहण नियमों की प्रति;

(च) अभिकरण के कर्मचारिवृंद की सूची, भारत में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश/प्राधिकरण;

(छ) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन और प्राप्तकर्ता देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग से सिफारिश पत्र ।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से उप-विनियम (1) और (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राधिकरण की तारीख समाप्त होने से नब्बे दिन पहले निम्नलिखत ब्यौरे के साथ अपने प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है अर्थात् :-

(क) ऐसे प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से दत्तकग्रहण में बालकों की नागरिकता की प्रास्थिति के साथ उनके स्थापन की सूची; और

(ख) अवरोध, यदि कोई हो ।

(4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण की दशा में, दत्तकग्रहण मामलों को सुकर बनाने के लिए भारत में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति अपेक्षित होगी, जिसके लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा ।

32. प्राधिकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण -

वे आधार जिन पर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं:-

(क) यदि अभिकरण भारत के दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है;

(ख) यदि अभिकरण की अनुज्ञप्ति या मान्यता या प्रत्यायन उस देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दी जाती है या उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाता है;

(ग) यदि अभिकरण समय-समय पर दत्तक ग्रहण के आवेदनों या दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्ती रिपोर्टों को अपलोड नहीं करता है ।

अध्याय - 6

सरकारी संगठन और प्राधिकरण के कृत्य

33. राज्य सरकार और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की भूमिका –

(1) **राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की संरचना -**

(क) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 के अधीन उपबंधों के अनुसार, प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण स्थापित करेगी ।

(ख) विद्यमान राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अधिनियम के अधीन स्थापित माने जाएंगे ।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रमुख दत्तकग्रहण से होंगे और अभिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) दत्तकग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग का निदेशक अभिकरण के सदस्य सचिव होंगे;

(ii) राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन विभाग के निदेशक ;

(iii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष;

(iv) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का प्रतिनिधि;

(v) नागरिक समाज का एक सदस्य जो कम से कम दस वर्षों तक बाल कल्याण से जुड़ा रहा हो;

(vi) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य ।

(घ) शासी निकाय राज्य में दत्तकग्रहण कार्य की प्रगति के पुनर्विलोकन की समीक्षा करने और दत्तकग्रहण प्रक्रिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ-साथ संभारीय मुद्दों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिए आवश्यकतानुसार अंतराल पर और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा ।

(ड़) जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों से व्यवहार कर रहे प्राधिकारियों को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

(च) राज्य सरकार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए उसे पर्याप्त कर्मचारिवृंद, अवसंरचना और संचार सुविधाएं प्रदान करेगी ।

(2) **राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के कृत्य :-** राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य में दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने, सुगम बनाने और निगरीनी या विनियम करने के लिए राज्य सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करेगा और इसके कृत्यों में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(क) प्रत्येक जिले में एक या अधिक से बालक देखरेख संस्था को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए अनुशंसा करना;

(ख) वर्ष में कम से कम एक बार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का संपर्क ब्यौरे प्रकाशित करना;

(ग) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के संतोषजनक अनुपालन के अध्यधीन प्रत्येक पांच वर्ष पर रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण;

(घ) दत्तकग्रहण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों की बैठकों का आयोजन करना और इन बैठकों के कार्यवृत्त को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करना;

(ङ) अपनी अधिकारिता में सभी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का निरीक्षण और निगरानी करना;

(च) ऐसी बालक देखरेख संस्थाओं को जिन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, परिलक्षित करना और अधिनियम की धारा 66 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ऐसी संस्थाओं में पात्र बालकों के दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए उन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से जोड़ना;

(छ) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के अधीन यथा परिकल्पित मानकों और उपायों का प्रवर्तन;

(ज) ऐसे विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों या बालक देखरेख संस्थाओं को, जिनके पास एचआईवी/एड्स से प्रभावित या संक्रमित और मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों सहित विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण देखरेख और उपचार प्रदान करने की क्षमता है, परिलक्षित करना और इन अभिकरणों में ऐसे बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाना;

(झ) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थानिक विकल्पों के माध्यम से बालकों के गैर-संस्थानीकरण में तेजी लाना;

(ञ) ज्ञान आधार का सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और प्रलेखीकरण, बालक खोज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, प्रचार और जागरूकता विकास, समर्थन और संसूचना, निगरानी और मूल्यांकन जैसे उपाय करना जो राज्य में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित हैं;

(ट) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (5) के अधीन उपबंधों के अनुसरण में, राज्य में बालक कल्याण समितियों द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में आनलाइन दिए गए आंकड़ों को विधिमान्य करना;

(ठ) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों द्वारा दत्तकग्रहण विनियमनों में विनिर्दिष्टित प्रपत्र और समयावधि में बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के सही आंकड़े और दस्तावेज देना सुनिश्चित करना;

(ड) अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (2) में यथाअपेक्षित बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों की विवरणिकाएं देना या अद्यतन करना;

(ढ) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में जिला बालक संरक्षण एककों, बालक कल्याण समितियों और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के संपर्क ब्यौरों को नियमित आधार पर अद्यतन करना;

(ण) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण योग्य बालकों, भावी दत्तक माता-पिता, अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों के राज्य-विशिष्ट डाटाबेस का रखरखाव;

(त) सुनिश्चित करना कि राज्य में सभी दत्तकग्रहण स्थानन अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और इन विनियमनों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किए गए हैं;

(थ) निम्नलिखित के लिए जिला बालक संरक्षण एकक, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण की सहायता से वृत्तिक योग्यता वाले या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का रखरखाव और परामर्श केंद्र की स्थापना करना :-

(i) भावी दत्तक माताओं-पिताओं को परामर्श देना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और जहां कही अपेक्षित हो, पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों को परामर्श देना;

(iii) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट, जहां कही अपेक्षित हो, तैयार करना;

(iv) अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहणों के मामलों में पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना;

(v) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चात् परामर्श;

(vi) मूल परिवार की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना ।

(द) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्य करना ।

(3) राज्य सरकार, व्यतिक्रमी अभिकरण या संस्था या कार्मिक को पर्याप्त् अवसर देने के बाद, अधिनयम की धारा 32, धारा 41 (1), धारा 41 (5), धारा 65 (4), धारा 80 और धारा 81 के अधीन उपबंधो के उल्लंघन (उल्लंघनों) के मामलों में शिकायत मिलने पर या स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करेगी ।

34. जिला बालक संरक्षण एकक - अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अलावा अन्य सरकारी अधिसूचित स्कीमों में यथा परिकल्पित कृत्यों के अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण एकक निम्नलिखित कार्य करेगा -

(1) जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता से, जहां कही अपेक्षित हो, दत्तकग्रहण के लिए उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कराना;

(2) यह सुनिश्चित करना कि दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित कराने की तारीख से दस दिन के भीतर विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है;

(3) दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए बालक देखरेख संस्थाओं को उसी जिले अथवा दूसरे जिले के विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के साथ जोड़े जाने को सुकर बनाना;

(4) दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित प्रत्येक बालक के दत्तकग्रहण की प्रगति का पता लगाना और मामले में शीघ्रता लाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करना;

(5) जिले से बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्रगति का पता लगाना और मामले में शीघ्रता लाने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करना;

(6) निम्नलिखित के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता से वृत्तिक योग्यता वाले या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का रखरखाव और परामर्श केंद्र की स्थापना करना :-

(क) भावी दत्तक माताओं-पिताओं को परामर्श देना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;

(ख) बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और जहां कही अपेक्षित हो, पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों को परामर्श देना;

(ग) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना;

(घ) अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहणों के मामलों में कुटुम्ब की पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना;

(ङ) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चात् परामर्श; और

(च) मूल कुटुम्ब की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना ।

(7) जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और मानीटरी करना;

(8) यह सुनिश्चित करना कि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में समय पर और सही रीति से दत्तकग्रहण आंकड़े अद्यतन किए जा रहे हैं;

(9) दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण की सहायता करना;

(10) परित्यक्त बालक के प्रत्यावर्तन प्रयासों और समाचार पत्र में बालक की सूचना को प्रकाशित कराने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और पुलिस से नहीं खोज पाने की रिपोर्ट प्राप्त करने सहित उसे वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने में, जहां कही अपेक्षित हो, बाल कल्याण समिति की सहायता करना;

(11) दत्तक ग्रहण हेतु बालकों को वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाले बाल कल्याण समिति के प्रमाणपत्र को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करना;

(12) जिला बालक संरक्षण एकक दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 16 और 17 में यथा अनुबंधित अथवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन दिए गए प्रपत्र के अनुसार बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण संबंधी सूचना को अद्यतन करेगा ।

35. बाल कल्याण समिति - बाल कल्याण समिति विनियम 6 और 7 में यथा उपबंधित कार्य करेगी ।

36. जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी :- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा दत्तक माता-पिता द्वारा आवेदन करने पर दत्तकग्रहण किए गए बालक के पक्ष में जन्म प्रमाण-पत्र पांच कार्य दिवस के भीतर जारी करेगा जिसमें भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तक माता-पिता का नाम और न्यायालय के दत्तकग्रहण आदेश में यथा उल्लिखित बच्चे की जन्म की तारीख सम्मिलित की जाएगी ।

37. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण :– प्राधिकरण अधिनियम की धारा 68 (1) में विनिर्दिष्टित कृत्यों के अलावा, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(1) देश के भीतर दत्तकग्रहण कार्यक्रम की निगरानी और विनियमन करना;

(2) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशों में रह रहे विदेशी नागरिकों के आवेदनों को प्राधिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकारण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से प्राप्त करना और अधिनयम की धारा 59 (5) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करना;

(3) भारत में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे विदेशी या विदेशी भारतीय नागरिक से, जो भारत से बालक का दत्तकग्रहण करने का हितबद्ध है, आवेदन प्राप्त करना और अधिनयम की धारा 59 की उप-धारा (12) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करना

(4) बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;

(5) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अंतर-देशीय दत्तक के मामलों में पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करना;

(6) अंतर देशीय दत्तकग्रहण के मामलों के बारे में भारत और प्राप्तकर्ता देश के अप्रवासन प्राधिकारियों को सूचना देना;

(7) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, जानकारी दौरों, परामर्शों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बालक संरक्षण एककों, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों और दत्तकग्रहण से संबंधित अन्य मामलों के पणधारियों का समर्थन और मार्गदर्शन करना;

(8) राज्य सरकारों अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों के साथ समन्वय करना और दत्तकग्रहण संबंधी मामलों में उन्हें सलाह देना;

(9) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक और सूचक स्थापित करना :-

(क) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों से संबंधित और नातेदारी दत्तकग्रहणों से भी संबंधित दत्तकग्रहण प्रक्रिया;

(ख) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों और बालक देखरेख संस्थाओं में बालक देखरेख के गुणवत्ता मानक;

(ग) सेवा प्रदाताओं की मानीटरी और पर्यवेक्षण;

(घ) दत्तकग्रहण के मामलों में दस्तावेजों का मानकीकरण; और

(ङ) निर्बाध दत्तकग्रहण सुकर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित रक्षोपाय और नीतिपरक पद्धतियां.

(10) दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों में अनुसंधान संचालन, प्रलेखीकरण और प्रकाशन;

(11) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित व्यापक केंद्रीयकृत डाटाबेस का रखरखाव;

(12) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता से संबंधित गोपनीय केंद्रीयकृत डाटाबेस का रखरखाव;

(13) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या तो स्वयं या अपने सहबद्ध निकायों द्वारा समर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संसूचना क्रियाकलाप चलाना;

(14) विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ, जहां कहीं आवश्यक हो और हेग अभिसमय के अधीन यथा विनिर्दिष्ट द्विपक्षीय समझौते करना;

(15) भारतीय बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के लिए अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करना.

(16) निम्नलिखित के लिए अपने मुख्यालय में परामर्श केंद्र स्थापित करना और राज्य तथा जिला स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरणों की सहायता करना :-

(क) भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श;

(ख) पूर्व में दत्तकग्रहण किए बालकों को परामर्श, जहां कहीं अपेक्षित हो;

(ग) दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना, जहां कहीं अपेक्षित हो;

(घ) दत्तकग्रहण किए गए बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण-पश्चात् परामर्श; और

(ङ) मूल कुटुम्ब की खोज में पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना ।

38. **क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय :-** न्यायालय द्वारा जारी किए गए दत्तकग्रहण आदेश के अनुसरण में, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किए गए आवेदन के आधार पर, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तकग्रहण किए गए बालक को पासपोर्ट जारी करेगा ।

39. **विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय :-** विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय दत्तक बालक को जिसके पास केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र और पुष्टि प्रमाणपत्र (केवल हेग अनुसमर्थित देशों के मामले में अपेक्षित) और सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण आदेश है, देश के बाहर जाने के लिए निकासी वीज़ा जारी करने से छूट देगा ।

40. **अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में भारतीय राजनयिक मिशन की भूमिका :-** भारतीय बालकों के अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की निम्नलिखित भूमिका होगी, अर्थात् :-

(1) अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण किए भारतीय मूल के बालकों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण अथवा दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केंद्रीय अथवा सरकारी प्राधिकारी से संपर्क बनाना;

(2) अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों और केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ संवाद करना और दत्तकग्रहण किए गए बालकों और उनके माता-पिता के सम्मिलन समारोहों का आयोजन करना अथवा उनमें भाग लेना;

(3) भारतीय बालकों के दत्तकग्रहण के लिए आवेदन प्रायोजित करने के प्रयोजन के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करने के प्रस्तावों की सिफारिश करना;

(4) ऐसे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को जो दत्तकग्रहण में बालक को स्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा उनको आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, भारत में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक को व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ-साथ बाद में बालक को प्राप्त करने के लिए वीज़ा जारी करना;

(5) विदेश में, जहां दत्तकग्रहण पर व्यवहार करने के लिए कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा सरकारी विभाग नहीं है, गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित दत्तक ग्रहण के आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल बनाना और उन्हें प्राधिकृत करना;

(6) अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता और विदेशी भारतीय नागरिक के दत्तकग्रहण के आवेदनों को अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकृत करना और विनियम 19 के अनुसार दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्टों को अपलोड करना;

(7) सीधे अथवा प्राधिकृत संगठन के माध्यम से प्राप्त दत्तकग्रहण आवेदनों पर कार्रवाई करने वाला भारतीय राजनयिक मिशन प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से पहले वर्ष तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष छमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजेगा और दत्तकग्रहण में अवरोध के मामले में, विनियम 19 में यथा उपबंधित कार्रवाई भी करेगा;

(8) दत्तकग्रहण के भंग के मामलों में, अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण किए गए भारतीय मूल के बालकों के रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों से संपर्क करना और इस संबंध में प्राधिकरण को शीघ्र ही रिपोर्ट भी भेजेगा;

(9) आवश्यक सहायता करेगा और यदि अपेक्षित हो, स्थानीय प्राधिकारियों, संबंधित दत्तकग्रहण अभिकरणों और प्राधिकरण के परामर्श से बालक के संप्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा;

(10) भारतीय मूल के दत्तक बालक द्वारा अपने मूल कुटुम्बकी खोज को सुकर बनाना, यदि संपर्क किया जाए; और

(11) प्राधिकरण को कोई भी रिपोर्ट अथवा टीका-टिप्पणी भेजना, जिसे वे अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण और सुसंगत समझें।

अध्याय - 7

प्रकीर्ण उपबंध

41. भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता – (1) भावी दत्तक माता-पिता को एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर, जिसका रखरखाव रजिस्ट्रीकरण की तारीख से और इन विनियमों के अधीन यथा नियत अन्य मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, बालकों को रैफर किया जाएगा।

(2) निवासी भारतीयों की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दस्तावेज, गृह अध्ययन रिपोर्ट के अलावा, प्रस्तुत करने की तारीख पर आधारित होगी।

(3) अनिवासी भारतीयों या विदेशी भारतीय नागरिकों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख पर आधारित होगी।

(4) भावी दत्तक माता-पिता को रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर एक बार राज्य अधिमान बदलने की अनुमति होगी और यदि वे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य अधिमान बदलते हैं, उन्हें बदले हुए राज्य में ज्येष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा।

(5) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता यदि अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया है और बाद में विवाह कर लेते हैं, नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से मानी जाएगी।

(6) सामान्य बालक के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने वाले भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट जरूरत वाले बालक या कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक का उसी रजिस्ट्रीकरण से दत्तकग्रहण कर सकेंगे।

42. ऐसे देशों में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, निवास कर रहे भारतीय माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण – (1) ऐसी स्थिति में जहां भारतीय माता-पिता में से एक भारत में रह रहा है और पति या पत्नी अस्थाई कार्य अनुज्ञापत्र पर ऐसे देश में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, देश में कार्य कर रहा है, माता-पिता उस स्थान के बारे में निर्णय करेंगे जहां वे अपना गृह अध्ययन कराएंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें देश में या विदेश में साथ-साथ रहना होगा।

(2) यदि भारतीय भावी दत्तक माता-पिता ऐसे देश में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, प्रक्रिया शुरू कराना चाहते हैं, भारतीय मिशन गृह अध्ययन कराएगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में गृह अध्ययन रिपोर्ट और दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन रिपोर्ट अपलोड करने सहित दत्तकग्रहण प्रक्रिया को सुकर बनाएगा ।

(3) ऐसे देशों में, जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, निवास कर रहे भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए, भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 6 में यथा उपबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे ।

43. **समय सीमा की अनुषक्ति -** दत्तकग्रहण प्रक्रिया में अंतग्रस्त सभी अभिकरण और प्राधिकारी अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन करेंगे ।

44. **मूल कुटुम्ब की खोज –** (1) अनाथ अथवा परित्यक्त बालक के मामले में, उसके दत्तकग्रहण के बारे में सूचना, स्रोत और जिन परिस्थितियों में बालक को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में प्रवेश दिया गया, के साथ-साथ उसके दत्तकग्रहण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, दत्तक को बताया जाएगा !

(2) पहले दत्तकग्रहण किए गए बालकों द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज के मामले में, जब कभी भी कोई दत्तक बालक संपर्क करता है, तब संबंधित अभिकरण या प्राधिकारी (प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, भारतीय राजनयिक मिशन, प्राधिकरण, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण एकक अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण) उसके मूल कुटुम्ब की खोज को सुकर बनाएंगे ।

(3) अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जबकि अठारह वर्ष से कम आयु के बालक मूल कुटुम्बकी खोज को सुकर बनाने के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अपने दत्तक माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे ।

(4) यदि जैविक माता-पिता ने अभ्यर्पण के समय उनके अनामत्व का विशिष्ट रूप से अनुरोध किया है कि तो सूचना प्रकट करने से पहले विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, जैविक माता-पिता की लिखित में सहमति ली जाएगी ।

(5) जैविक माता-पिता द्वारा मना किए जाने और माता-पिता को नहीं खोज पाने की दशा में, वे कारण और परिस्थितियां, उन कारणों और परिस्थितियों को जिनकी वज़ह से सूचना नहीं दी जा रही है।

(6) तीसरे पक्ष द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की अनुमति नहीं होगी और संबंधित अभिकरण अथवा प्राधिकारी जैविक माता-पिता, दत्तक माता-पिता या दत्तक बालक के बारे में कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं करेंगे ।

(7) दत्तक बालक के अधिकार के लिए जैविक माता-पिता के निजता के अधिकार का अधिलंघन नहीं किया जाना चाहिए ।

45. **दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता -** दत्तकग्रहण प्रक्रिया में अंर्तग्रस्त सभी अभिकरण या प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा अनुज्ञात के अलावा, बनाई रखी जाए और ऐसे प्रयोजन के लिए, दत्तकग्रहण न्यायालय का ओदश किसी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा ।

46. **दत्तक ग्रहण व्यय –** (1) भावी दत्तक माता-पिता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विहित दत्तकग्रहण हेतु व्यय वहन करेंगे।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकरण भावी दत्तक माता-पिता से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विहित दत्तकग्रहण शुल्क प्राप्त करेंगे और राशि का उपयोग करेंगे।

(3) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता से नकद अथवा वस्तुओं के रूप में, प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: रूप से कोई भी दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है ।

47. **विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण की रिपोर्टिंग -** विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर आंकड़ों को साप्तहिक आधार पर अद्यतन करेंगे और अनुसूची 15 में दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक तिमाही के पहले सप्ताह में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को तिमाही रिपोर्ट भी भेजेंगे।

48. **विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों का दत्तकग्रहण -** (1) विशिष्ट जरूरतों वाले बालकों, जो बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होंगे, के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया संबंधित अभिकरणों अथवा प्राधिकारियों द्वारा यथासंभव शीघ्र पूरी की जाएगी :

परंतु यह कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले **ऐसे बालक** दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के बाद विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के दत्तकग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करते समय विशेष देख-रेख की जाए ताकि भावी दत्तक माता-पिता को बच्चे को वास्तविक चिकित्सा स्थिति की जानकारी रहे और बालक को आवश्यक अतिरिक्त देखरेख या ध्यान प्रदान करने को तैयार रहें।

(3) विशिष्ट जरूरतों वाले बालकों की श्रेणियां अनुसूची 18 में दी गई हैं जो दृष्टांत स्वरूप है और नि:शेष नहीं है; इन्हें www.cara.nic.in पर भी देखा जा सकता है और इस संबंध में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(4) विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को, जिनका दत्तकग्रहण नहीं हो पाया है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा पर्याप्त देखरेख और संरक्षण प्रदान किया जाएगा और यदि उनके पास उनकी दीर्घकालीन देखरेख के लिए आवश्यक सुविधाएं और साधन नहीं हैं, ऐसे बालकों को किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किसी अन्य विशिष्ट संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

49. अधिक आयु के बालकों और भाई-बहिन का दत्तकग्रहण – (1) चूंकि अधिक आयु के बालकों का उन माता-पिता के साथ समायोजन स्थापित होने में समय लगता है, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि संस्था छोड़ने से पूर्व, बालक और भावी दत्तक माता-पिता को एक-दूसरे से सुपरिचित करा दिया जाए।

(2) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के मार्गदर्शन के अधीन, भावी दत्तक माता-पिता, बालक को अभिरक्षा में लेने से पहले भी, वीडियो कॉल्स अथवा किसी अन्य माध्यम से अधिक आयु के बालकों से अनन्योक्रिया कर सकते हैं और भावी दत्तक माता-पिता को संस्था छोड़ने से पूर्व बालक के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) भाई-बहन और अधिक आयु के बालकों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से ही निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (पति-पत्नी दोनों के भारतीय होने पर) द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाएगा और वे दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से तीस दिन के बाद भावी दत्तक माता-पिता की अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध माने जाएंगे।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ, *एक बालक, जो पांच वर्ष की आयु का हो चुका है, अधिक आयु का बालक माना जाएगा।*

50. कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक - विनियमनों 8, 48 और 49 के अधीन किए गए प्रयासों के अतिरिक्त, अपनी संचालन समिति के अनुमोदन से प्राधिकरण कठिनाई से दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालकों के दत्तकग्रहण के लिए, जिन्हें बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से लंबे समय से कोई नामांकन करने वाला नहीं मिल रहा है, अतिरिक्त प्रयास करेगा।

51. देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण – (1) भावी दत्तक माता-पिता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करेंगे और विनियम 55 में यथा उपबंधित विधिवत विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे।

(1) जैविक माता-पिता की सहमति अथवा बाल कल्याण समिति की अनुमति, जैसा भी मामला हो, क्रमश: अनुसूची 19 या अनुसूची 22 में यथा उपबंधित अपेक्षित है।

(2) बालक की सहमति, यदि वह पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का है, आज्ञापक है।

(3) देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण के मामलों में अनुसूची 24 के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय और सामाजिक स्थिति के समर्थन में उनसे एक शपथपत्र अपेक्षित होगा।

(4) भावी दत्तक माता-पिता सक्षम न्यायालय में अनुसूची 30 में यथा उपबंधित आवेदन दायर करेंगे।

52. पूर्वतम विवाह से पति-पत्नी के बालकों का दत्तकग्रहण – (1) दंपत्ति (सौतेले माता-पिता अथवा जैविक माता-पिता में से कोई एक) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित दस्तावेज़ों के साथ रजिस्ट्रीकरण करेंगे।

(2) बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता की सहमति प्रक्रिया, दत्तकग्रहण की अनुसूची 20 में यथा उपबंधित अपेक्षित होगी (अनुसूची 20 के निर्देशों को देखें)।

(3) बालक की अभिरक्षा के बारे में मुकद्दमा विचाराधीन होने की दशा में, दत्तकग्रहण प्रक्रिया संबंधित न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(4) जैविक और सौतेले माता-पिता कुटुम्ब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अनुसूची 32 के अनुसार आवेदन फाइल करेगा ।

(5) आवेदक संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करेंगे और एक प्रति बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे ।

53. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण – (1) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिक, जो नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इच्छुक है, अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है ।

(2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तो नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता उस देश के संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिक के मामले में) से संपर्क करेगा ।

(3) गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने पर प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिक के मामले में), यथास्थिति, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र में भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को सक्षम न्यायालय के वैध आदेश के बिना विदेश ले जाता है या भेजता है या विदेश में दूसरे व्यक्ति को बालक की देखरेख या अभिरक्षा हस्तांतरित करने की किसी व्यवस्था में भागीदारी करता है, अधिनियम की धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।

54. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन - (1) बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर प्राधिकरण, अनुसूची 21 में यथा उपबंधित, दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए उन्हें जिला बालक संरक्षण एकक को अग्रेषित करेगा ।

(2) जिला बालक संरक्षण एकक अपने सामाजिक कार्यकर्ता से पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कराएगा और एकक इस प्रयोजन के लिए, वह समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों में यथा नियत शुल्क ले सकेगा ।

(3) जिला बालक संरक्षण एकक बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जो उसे आगे प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या विदेश में भारतीय मिशन को भेजेगा।

(4) नातेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण प्रस्तावित दत्तकग्रहण के समर्थन में अनुमोदन पूर्व-पत्र के साथ हेग अभिसमय के अनुच्छेद 15 और 16 में यथापेक्षित प्राप्तकर्ता देश को अग्रेषित करेगा ।

(5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण उप-विनियम (3) में यथा अनुबंधित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अधीन प्रमाणपत्र प्राधिकरण को भेजने की व्यवस्था करेगा ।

(6) ऐसे देशों के मामले में जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं, भारतीय नागरिक के संबंध में, नातेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण का अनुमोदन पूर्व-पत्र प्राप्त उस देश के भारतीय मिशन को अग्रेषित किया जाएगा जो प्राधिकरण को अनुशंसा पत्र जारी करेगा ।

55. विधिक प्रक्रिया - (1) भावी दत्तक माता-पिता, जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (52) के अधीन यथा परिभाषित नातेदार के बालक का दत्तकग्रहण करने का इरादा रखते हैं, दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक माता-पिता का सहमति पत्र और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अंतर्देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण या अंतर-देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में अधिनियम, की क्रमश: धारा 56 की उप-धारा (2) और धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर करेगा ।

(2) जैविक माता-पिता के बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण कर रहे जैविक माता-पिता अथवा सौतेले माता-पिता उस जिले के संबंधित न्यायालय में, जहां वे निवास करता हैं, अनुसूची 20 यथा उपबंधित जैविक माता-पिता और बालक या बालकों का दत्तकग्रहण कर रहे सौतेले माता-पिता के सहमति पत्र के साथ अनुसूची 22 में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण आवेदन और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेज़ दायर करेगा।

(3) भावी दत्तक माता-पिता, अंतर-देशीय घरेलू नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में, उस जिले में जहां बालक अपने जैविक माता-पिता या संरक्षक के साथ रहता है, अनुसूची 31 में यथा उपबंधित उस जिले के संबंधित न्यायालय में आवेदन करेंगे ।

(4) भावी दत्तक माता-पिता कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय में, यथास्थिति, आवेदन दायर करेंगे ।

(5) न्यायालय, दत्तकग्रहण आदेश पारित करने से पहले, अधिनियम की धारा 61 और विनियम 51 से 56 के अधीन, जैसा भी मामला हो, यथा अनुबंधित विभिन्न शर्तों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा ।

(6) भावी दत्तक माता-पिता न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अधिप्राप्त करेंगे और उसे केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए जिला बालक संरक्षण एकक को प्रस्तुत करेंगे ।

56. **प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र -** अंतर-देशीय नातेदारी दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकरण जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा अग्रेषित दत्तकग्रहण आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर बालक के दत्तकग्रहण के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी ।

57. **पुष्टि प्रमाण-पत्र जारी करना -** केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यदि दत्तक बालक का प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची 10 में यथा उपबंधित प्रपत्र में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

58. **बालक देखरेख संस्था और इसका विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से संयोजन -** (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी बालक देखरेख संस्थाएं, जिन्हें विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता नहीं है, यह सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखरेख और संरक्षण के अधीन सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के बारे में रिपोर्ट की गई है, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अधिनियम की धारा 32, धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 66 की उप-धारा (1) के उपबंधों और दत्तकग्रहण विनियमों में यथा नियत प्रक्रिया के अनुसार समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया है ।

(2) ऐसी रिपोर्ट में समाविष्ट होगा: नाम (यदि पता हो), जन्म की तारीख (यदि पता हो) अथवा आयु, बालक का फोटो और उसके स्वास्थ्य की स्थिति, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा (यदि कोई हो), उसका पता और स्रोत (यदि पता हो) और रीति और परिस्थितियां जिनमें बालक को संस्था लाया गया और प्रवेश दिया गया ।

(3) संबंधित जिला बालक संरक्षण एकक अधिनियम, उसके तहत निरूपित किए गए नियमों और इन विनियमनों के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्टित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार अनाथ,परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कराने के लिए बालक देखरेख संस्था को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(4) जिला बालक संरक्षण एकक, जहां कहीं दत्तकग्रहण योग्य बालकों को अभिनिर्धारित कर लिया गया है, बालक देखरेख संस्थाओं को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से संयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) यदि बालक देखरेख संस्था उसी जिले में स्थिति है -

(क) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण के लिए अनुसूची 1 और 3 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार कराने सहित अपेक्षित प्रलेखीकरण और औपचारिकताएं पूरी करेगा ।

(ख) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र समाविष्ट होगा ।

(6) यदि बालक देखरेख संस्था और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण एक ही जिले में स्थिति नहीं हैं -

(क) जिला बालक संरक्षण एकक निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से बालक अध्ययन रिपोर्ट और बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमश: अनुसूची 1 और 3 के अनुसार तैयार कराएगा;

(ख) जिला बालक संरक्षण एकक बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र समाविष्ट होगा; और

(ग) एक बार जब बालकों के दस्तावेज बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड कर दिए जाते हैं, संयोजित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण विनियमनों के अनुसार उनके दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए ऐसे बालकों की सूचनाओं तक अभिगम करेगा ।

(7) बालक देखरेख संस्था के साथ संयोजन के लिए जिले में एक से अधिक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण होने की दशा में, दोनों के बीच की दूरी, बालक की जरूरतों और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा ।

(8) दत्तकग्रहण समिति में सम्मिलित होंगे :-

(क) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता;

(ख) बालक देखरेख संस्था का शिशुरोग विशेषज्ञ या अतिथि चिकित्सक;

(ग) उस जिले के जिला बालक संरक्षण एकक का अधिकारी, जहां बालक देखरेख संस्था स्थिति है ; और

(घ) बालक देखरेख संस्था का प्रतिनिधि ।

(9) दत्तकग्रहण के ऐसे सभी मामलों में, दत्तकग्रहण याचिका बालक देखरेख संस्था को सह-याचिकाकर्ता बनाते हुए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर की जाएगी ।

(10) यदि बालक ऐसी बालक देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थिति है, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दोनों जिलों में से किसी जिले के सक्षम न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका दायर की जाएगी ।

(11) दत्तकग्रहण फीस विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अनुपात में साझा की जाएगी ।

(12) संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अधिप्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति भावी दत्तक माता-पिता, बालक देखरेख संस्था, जिला बालक संरक्षण एकक को दी जाएगी और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड की जाएगी ।

(13) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक जहां तक संभव होगा, बालक देखरेख संस्थाओं को सुसज्जित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बनने के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।

59. प्राधिकरण को अपील - (1) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता या बालक या उसकी ओर का कोई अन्य व्यक्ति, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की राय या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता से संबंधित मुद्दों या भावी दत्तक माता-पिता या बालक से संबंधित प्रलेखीकरण जैसे कि भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट या स्वास्थ्य स्थिति, बालक अध्ययन रिपोर्ट या चिकित्सा जांच रिपोर्ट के कारण दत्तकग्रहण के लिए चयन न किए जाने से व्यथित है, प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा उप-विनियम (1) में संदर्भित आवेदन राय अथवा निर्णय की तारीख से सात दिन के भीतर किए जाएंगे ।

(3) प्राधिकरण का विनिश्चय संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।

(4) प्राधिकरण आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसकी सूचना आवेदक को लिखित में विनिश्चय से तीन कार्य दिवसों में देगा।

(5) प्राधिकरण का निर्णय सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा ।

(6) प्रधिकरण, प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, निर्णय लेगा कि क्या संबंधित बालक को दत्तकग्रहण के लिए अन्य भावी दत्तक माताओं-पिताओं को आगे नामांकन करने से निरुद्ध किया जा सकता है ।

60. शिथिल और निवर्चन की शक्ति - (1) किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग के संबंध में इन विनियमनों के किसी उपबंध से शिथिलता और अपवाद देने की शक्ति प्राधिकरण में निहित होगी ।

(2) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और समिति में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विधि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला संचालन समिति का एक सदस्य होगा ।

(3) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति का कोई भी विनिश्चय किसी भी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता में परिवर्तन को प्रभावित नहीं रखेगा जब तक कि कारण लिखित में अभिलिखित न हों और बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) इन विनियमनों के निर्वचन में किसी अस्पष्टता की दशा में, प्राधिकरण का विनिश्चय और अभिभावी होगा ।

अनुसूची 1

[विनियम 2(5), 6(13) और 7(17) देखें]

बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला का प्रमाणपत्र

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 38 के अधीन बालक कल्याण समिति ________________ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस समिति के तारीख________________के आदेश सं.____________ द्वारा________________(नाम और पता) नामक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था की देखरेख में रखे गए ________________ बालक जन्म तारीख______________ को निम्नलिखित के आधार पर दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है:

परिवीक्षा अधिकारी/ बालक कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/केस कार्यकर्ता/कोई अन्य (यथास्थिति) की जाँच रिपोर्ट;

बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस समिति के समक्ष ____________ (तारीख) को निष्पादित किया गया अभ्यर्पण विलेख;

जिला बालक संरक्षण एकक और बालक देखरेख संस्था या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई इस आशय की घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1), नियमों और दत्तकग्रहण विनियमनों के अधीन यथापेक्षित प्रत्यावर्तन प्रयास कर लिए हैं लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक किसी ने भी बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक होने का दावा करने के लिए अभिकरण से पहुंच नहीं की है ।

अधिक आयु के बालक की सहमति, यदि लागू हो ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :

जैविक माता-पिता (माताओं-पिताओं) / विधिक संरक्षक से, जहां कहीं उपलब्ध हैं, परामर्श किया गया है और उन्हें बालक या बालकों के दत्तकग्रहण में स्थानन, जिसके परिणामस्वरूप बालक/बालिका के मूल कुटुम्ब से उसका विधिक संबंध समाप्त हो जाएगा, सहित उनकी सहमति के प्रभावों की सम्यक जानकारी दे दी गई है ।

जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक ने अपेक्षित प्रपत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति दी है और यह सम्मति संदाय करके या किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देकर प्राप्त नहीं की गई है माता ने अपनी सम्मति (जहाँ लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी है।

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था जिसे उक्त बालक सौंपा गया है, बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक के फोटो और अन्य आवश्यक ब्यौरे डलवाने की व्यवस्था करेगा/करेगी और ऐसे बालक का अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमनों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार दत्तकग्रहण में स्थानन कराएगा/ कराएगी ।

[टिप्पणी: उन बॉक्स(सों) को काट दें, जो इस मामले में सुसंगत नहीं हैं]

[टिप्पण : भाई-बहिन या जुड़वा बालकों के मामले में संबंध का उल्लेख करते हुए एक ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।]

[टिप्पण : बालक के सर्वोत्तम हित में दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित जिला बालक संरक्षण एकक, जैसा भी मामला हो, को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी संक्षिप्त जीवनी डालने की अनुमति है।]

बालक का फोटो

बाल कल्याण समिति

तारीख और स्थान

किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर

तारीख और मुहर

प्रेषित : विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण / जिला बालक संरक्षण एकक को यह प्रमाणपत्र बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर डालने के लिए

प्रति प्रेषित : जिला बालक संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), जिला का नाम ।

***

अनुसूची 2

[विनियम 2(6), 6(15), 7(18), 58(5)(क) और 58(6)(क) देखें]

बालक अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) रजिस्ट्रीकरण सं. :

आधार कार्ड सं. :

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) / बालक देखरेख संस्था (सीसीआई) का नाम :

बालक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट में दस्तावेजों पर आधारित उसकी पहचान संबंधी जानकारी शामिल होगी। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद यथाशीघ्र बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

बालक का फोटो

संस्था का नाम और पता: -

I. सामान्य सूचना :

1. बालक का नाम ---------------------- (जो नाम जैविक माता या माता-पिता या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण / बालक देखरेख संस्था या बालक कल्याण समिति द्वारा दिया गया हो)
2. वर्तमान आयु और जन्म की तारीख :
4. लिंग :
5. जन्म का स्थान :
6. धर्म (यदि पता हो):
7. बालक का प्रकार : अनाथ / परित्यक्त / अभ्यर्पित
8. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था में बालक के प्रवेश की तारीख :
9. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख :
10. बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख :

II. सामाजिक आंकड़े :

कृपया बालक के जैविक माता-पिता की पहचान संबंधी जानकारी न दें।

1. आपकी संस्था में बालक कैसे आया ?
   (क) सीधे माता-पिता या किसी अन्य संरक्षक ने उसे संस्था में प्रवेश दिलाया :
   (ख) सीधे बाल कल्याण समिति ने रखा :
   (ग) किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर आया, यदि हाँ तो उस संस्था का नाम :
   (घ) कोई अन्य स्रोत :
2. संस्था से संरक्षण मांगने के कारण :
3. अन्य बालकों के प्रति बालक का रुख, यदि लागू हो :
4. कर्मचारिवृंद और अपरिचितों सहित अन्य वयस्कों के प्रति बालक का व्यवहार और संबंध :

5. सामान्य बुद्धिमता :

6. यदि बालक का स्कूल में नामांकन है, तो उसकी कक्षा, उपस्थिति, अध्ययन में उसकी साधारण रूचि, प्रगति, यदि कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट दें :

7. बालक का साधारण व्यक्तित्व और रूप-रंग का वर्णन :

8. खेलकूद क्रियाकलाप और कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभा : बालक की उपलब्धियाँ (18 मास से कम आयु के बालकों के संबंध में) । कृपया हाँ या ना में बताएं (आयोनुकूल प्रत्युत्तरों पर आधारित)।

कि क्या बालक :-

(क) मुस्कराता है

(ख) अपने दोनों तरफ घूमता है

(ग) अपना शीर्ष उठाता है

(घ) वस्तुओं को अपने हाथों से पकड़ता है

(ङ) अपने-आप से सरकता है

(च) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए बैठता है

(छ) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए खड़ा हो जाता है

(ज) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए चलता है

9. आहार संबंधी आदतें :

तरल खाद्य लेता है :

अर्ध-ठोस खाद्य लेता है :

ठोस खाद्य लेता है :

10. विकासात्मक मूल्यांकन (बोली जाने वाली भाषा, व्यवहार, बुनियादी खेल कौशल, शारीरिक कार्यकलाप और संचार और सामाजिक कौशल आदि) :

11. सामाजिक पृष्ठभूमि : (इसमें बालक का सामाजिक इतिवृत्त अर्थात् उसके जैविक माता-पिता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वे परिस्थितियों जिनके कारण उस बालक का अभ्यर्पण या त्याग करना आवश्यक हो गया, शामिल होनी चाहिए। कृपया जैविक माता-पिता या उनके नातेदारों की पहचान दर्शाने वाली नाम व पते जैसी सूचना न दें।)

12. मैं _____________ सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता/करती हूँ कि _____________ बालक के विषय में इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

स्थान:

तारीख:

हमने बालक अध्ययन रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _____________ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर) (स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)

(पुरुष आवेदक का नाम) (स्त्री आवेदक का नाम)

स्थान और तारीख: स्थान और तारीख:

***

अनुसूची 3

[विनियम 2 (13), 6(15), 7(18), 58(5)(क) और 58 (6)(क) देखें]

बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)

सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति-प्राप्त चिकित्सक को यह रिपोर्ट भरनी चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध न हो तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें।

(यदि बालक की आयु 1 वर्ष से कम है, उसकी जांच शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए)

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) रजिस्ट्रीकरण सं. :

स्वास्थ्य की स्थिति : सामान्य / विशेष जरूरतमंद

प्रवेश की तारीख :

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) का नाम :

बालक देखरेख संस्था (सीसीआई) का नाम :

क. साधारण जानकारी

1. बालक का नाम :
2. जन्म की तारीख और वर्ष :
3. लिंग:
4. जन्म-स्थान:
5. राष्ट्रीयता:
6. वर्तमान संस्था का नाम: कब से इस संस्था में है:
7. जन्म के समय भार (प्रवेश के समय वजन कि.ग्रा. में): कि.ग्रा.
8. शीर्ष की परिधि :
9. जन्म के समय लंबाई (प्रवेश के समय लंबाई सेंटीमीटर में): सेंटीमीटर
10. क्या गर्भावस्था और प्रसव सामान्य थे? हाँ या नहीं या अज्ञात
11. बालक कहाँ रहा है?
    अपनी माँ के पास: से तक
    नातेदारों के पास: से तक
    निजी देखरेख में: से तक
    संस्था या अस्पताल में: से तक
    (कृपया संबंधित संस्था या संस्थाओं के नाम आगे दर्शाएं)

टिप्पणी : नवजात बालकों की दशा में, **अनुसूची 4** [पैरा (क) नवजात] में विभिन्न आयु वर्गों के लिए चिकित्सा जांच का अवलोकन करें।

ख. चिकित्सा ब्यौरा

1. क्या अतीत में बालक को कोई रोग हुआ है? (यदि हाँ तो कृपया प्रत्येक रोग और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समय बालक की आयु दर्शाएं)

   हाँ या नहीं या अज्ञात

2. यदि हाँ तो:

बालक के साधारण रोग (खों-खों कर खाँसना, खसरा, चेचक, रुबेला, मम्प्स)

तपेदिक

कन्वल्ज़न (फेब्राइल कन्वल्ज़न सहित)

अन्य कोई रोग

संक्रामक रोग से अरक्षितता

3. क्या बालक को निम्नलिखित रोग से बचाव के टीके लगाए गए हैं:
हाँ या नहीं या अज्ञात

4. यदि हाँ तो:

तपेदिक (बी.सी.जी.)?	टीका लगने की तारीख:
डिफ्थीरिया?	टीका लगने की तारीख:
टिटनस?	टीका लगने की तारीख:
खों-खों कर खाँसना?	टीका लगने की तारीख:
पोलियो?	दवा पिलाने की तारीख:
हैपेटाइटिस ए?	टीका लगने की तारीख:
हैपेटाइटिस बी?	टीका लगने की तारीख:
एमएमआर (खसरा) ?	टीका लगने की तारीख:
अन्य प्रतिरक्षण ?	टीका लगने की तारीख:

5. क्या अस्पताल में बालक का इलाज कराया गया है?
हाँ या नहीं या अज्ञात

6. यदि हाँ तो अस्पताल का नाम, इलाज के समय बालक की आयु, रोग के निदान और उपचार का ब्यौरा दें।

7. यदि संभव हो तो बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें।

(i) दृष्टि	बालक कब निश्चित करने में समर्थ हुआ?
(ii) श्रवण संबंधी	बालक कब आवाज सुनकर अपना सिर घुमाने में समर्थ हुआ?
(iii) शारीरिक	बालक कब अपने-आप बैठने में समर्थ हुआ?
	बालक कब सहारा लेकर खड़ा होने में समर्थ हुआ?
	बिना सहारा लिए कब चला?
(iv) भाषा	बालक ने अस्पष्ट तरीके से बोलना कब शुरू किया?
	बालक ने अलग-अलग शब्द बोलने कब शुरू किए?
	बालक ने वाक्य बोलने कब शुरू किए?
(v) संपर्क	बालक ने मुस्कराना कब शुरू किया?
	बालक वयस्कों और अन्य बालकों से अपनी बात कैसे कहता है?
	बालक अजनबियों को देखकर किस प्रकार व्यवहार करता है?
(vi) भावात्मक	बालक अपनी भावनाएं (क्रोध, बेचैनी, निराशा, प्रसन्नता) किस प्रकार दर्शाता है?

ग. चिकित्सा परीक्षा का ब्यौरा:
1. चिकित्सा परीक्षा की तारीख
2. बालों का रंग : 3. आखों का रंग : 4. त्वचा का रंग :
5. मैंने बालक की पूर्ण नैदानिक परीक्षा में रोग, क्षति या अप्रसामान्यताओं के आगे दर्शाए गए साक्ष्य पाए हैं (यदि लागू हो) : (i) सिर (खोपड़ी, हाइड्रोसेफलस, क्रैनियोटेब्स का आकार) (ii) मुँह और ग्रसनी (हेअरलिप या क्लैफ्ट पेलेट, दाँत) (iii) आँखें (दृष्टि, भैंगापन, संक्रमण) (iv) कान (संक्रमण, बहना, कम श्रवण-शक्ति, विकृति) (v) कोई विकृति? यदि हां, तो विवरण दें (vi) छाती के अंग (हृदय, फेफड़े) (vii) लिम्फेटिक ग्लैंड (ऐडेनाइटिस) (viii) पेट (हर्निया, जिगर, स्प्लीन) (ix) जननांग (हाइपोस्पैडिया, अंडकोष, रिटेन्शन) (x) रीढ़ (काइफोसिस, स्कोलियोसिस) (xi) एक्सट्रीमिटी (पेस एक्विनस, वैल्गस, वेरस, पेस कैल्केनियोवेरस, फ्लेक्सेशन ऑफ हिप, स्पैस्टिसिटी, पेरेसिस) (xii) त्वचा (एक्ज़िमा, संक्रमण, परजीवी) (xiii) अन्य रोग?
6. क्या बालक में सिफिलिस के कोई लक्षण हैं? सिफिलिस के रिएक्शन के परिणाम (तारीख और वर्ष) : सकारात्मक या नकारात्मक या रिएक्शन नहीं किया गया
7. तपेदिक के कोई लक्षण? तपेदिक के परीक्षण के परिणाम (तारीख और वर्ष) : सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
8. हेपेटाइटिस बी के कोई लक्षण? एचबीएस एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया एंटी-एचबीएस के परीक्षण का परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया एचबीई एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया एंटी-एचबीई के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
9. पांडु रोग और रुधिर आधान का कोई इतिवृत्त ? एचबीएसएजी की जांच का परिणाम (तारीख और वर्ष)? यदि पॉजीटिव है, क्या विशेषज्ञ से परामर्श किया गया (हां/नहीं, तारीख और वर्ष); और कोई आगे जांच कराई गई / उपचार कराया गया (दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)
10. एचआईवी जांच (**अनुसूची 4** में मानकीकृत चिकित्सा जांच निर्दिष्ट करें) एचसीवी (हैपेटाइटस सी) (**अनुसूची 4** में मानकीकृत चिकित्सा जांच निर्दिष्ट करें)

11. क्या मूत्र में : शर्करा? एल्ब्यूमेन? फेनिल्कीटोन है?
12. मल (अतिसार, कब्ज): परजीवियों का परीक्षण: सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया
13. क्या बालक को कोई मानसिक विकार है या वह मंदबुद्धि है?
14. बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें।
15. कोई और टिप्पणियां? टिप्पण : 1. चिकित्सा जांच **अनुसूची 4** के खंड 'ख' में 1 मास से 1 वर्ष का शिशु निर्दिष्ट । 2. चिकित्सा जांच **अनुसूची 4** में 1-3 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक आयु निर्दिष्ट ।

घ. बालक की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियों संबंधी रिपोर्ट (जहाँ कहीं अपेक्षित हो, वहाँ विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक, स्पीच थेरपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाए)

कृपया <u>प्रत्येक</u> शीर्ष पर निर्णय दें।	
(i) खिलौनों के साथ कार्यकलाप (आयोनुकूल यथा लागू) :	
1. बालक की नज़र अपने सामने चलते फिरते झुनझुनों या खिलौनों का पीछा करती है	
2. बालक किसी झुनझुने को पकड़ता है	
3. बालक झुनझुनों से खेलता है: उसे अपने मुँह में डालता है, हिलाता है, एक से दूसरे हाथ में लेता है आदि	
4. बालक क्यूबों को प्रत्येक अन्य के ऊपर रखता है	
5. बालक प्रयोजन के ढंग से खिलौनों से खेलता है: कारों को धकेलता है, गुड़ियाओं को बिस्तर पर रखता है, गुड़ियाओं को खिलाता-पिलाता है आदि	
6. बालक खिलौनों और अन्य बालकों के साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है	
7. बालक मानवों और पशुओं के चेहरों की स्पष्ट आकृतियाँ बनाता है	
8. बालक अन्य बालकों के साथ व्यवस्थित खेल (गेंद वाले खेल, कार्ड वाले खेल आदि) खेलता है	

(ii) उच्चारण या भाषा विकास (आयोनुकूल यथा लागू) :	
1. बालक देखरेखकर्ता के साथ बातें करता है	
2. बालक विभिन्न स्वर-व्यंजनों को दोहराता है (बा-बा, दा-दा, मा-मा आदि)	
3. बालक अपनी आवश्यकताओं के संचार के लिए एक-एक शब्द का उपयोग करता है	
4. बालक वाक्य बोलता है	
5. बालक प्रस्तावों को समझता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि	
6. बालक प्रस्तावों का प्रयोग करता है, जैसे : के ऊपर, नीचे, पीछे आदि	
7. बालक भूतकाल में बात करता है	
8. बालक अपना नाम लिख लेता है	
9. बालक सरल शब्द पढ़ लेता है	
10. कोई अन्य प्रेक्षण	
(iii) शारीरिक विकास (आयोनुकूल यथा लागू) :	
1. किस आयु से बालक अपनी पीठ से घूमकर अपने पेट के बल लेट पाता है : ________	
2. किस आयु से बालक बिना समर्थन के बैठ पाता है : ________	
3. किस आयु से बालक आगे की ओर सरक या हिल पाता है : ________	
4. किस आयु से बालक फर्नीचर के समर्थन से चल पाता है : ________	
5. किस आयु से बालक बिना समर्थन के स्वयं चल पाता : ________	
6. किस आयु से बालक समर्थन लेकर सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है : ________	
7. किस आयु से बालक बिना समर्थन के सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है : ________	
(iv) वयस्कों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू) :	
1. बालक अपने जाने पहचाने देखरेखकर्ता के संपर्क में मुस्कराता है	
2. बालक को जब उसका जाना-पहचाना देखरेखकर्ता थाम लेता है तो वह आसानी से शांत हो जाता है	
3. जब बालक का जाना-पहचाना देखरेखकर्ता कमरे से जाता है तब वह बालक रोता है या उसके पीछे-पीछे जाता है	
4. बालक जब परेशान हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तब वह अपने जाने-पहचाने देखरेखकर्ता को ढूंढता है।	

5. बालक वार्ड में आने वाले सभी वयस्कों को संपर्क करना चाहता है
6. बालक देखरेखकर्ता को अपनी भावनाएं शब्दों में संचारित करता है
(v) अन्य बालकों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू) :
1. बालक अन्य बालकों के कार्यकलाप देखकर या उन पर मुस्कराकर उनमें अपनी रूचि दर्शाता है
2. बालक अन्य बालकों के साथ खेलकर प्रसन्न होता है
3. बालक अन्य बालकों के साथ क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करता है
(vi) कार्यकलापों का साधारण स्तर :
1. सक्रिय 2. अत्यधिक सक्रिय 3. अधिक सक्रिय नहीं
(vii) साधारण मनोदशा :
1. शांत
2. भावात्मक रूप से उदासीन
3. उत्पाती, शांत करना कठिन है
4. प्रसन्न, संतुष्ट विशिष्ट जरूरतों वाले बालक के मामले में, बालक की श्रेणी विनिर्दिष्टत करें।
बालक का समग्र प्रेक्षण **परीक्षा करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर** **चिकित्सक के हस्ताक्षर** **पदनाम और** **रजिस्ट्रीकरण संख्या** **मुहर** **तारीख** **ङ. भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति** हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _____________ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हैं। (पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर) (स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर) (पुरुष आवेदक का नाम) (स्त्री आवेदक का नाम) तारीख: तारीख: स्थान: स्थान:

***

अनुसूची 4

[विनियम 29 (1) (च) देखें]

संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच

(1) संस्था में प्रवेश दिए गए बालक की चिकित्सा परीक्षा को वृहत रूप में दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :

(क) किसी रोग का निदान करना/उस स्थिति जिसमें विशिष्ट उपचार की जरूरत अपेक्षित हो, तथा इस प्रकार जांच बच्चे के स्वास्थ्य का जायजा लेने मे सहायता करेगी ।

(ख) किसी प्रकृति के रोग/स्थिति का निदान करना जो संकेत करती है कि सामान्य बच्चे की आवश्यकताओं से परे बच्चे को विशेष ध्यान(चिकित्सा और पैतृक) की अपेक्षा होगी तथा इसलिए वह कुटुम्बजो बालक/बालिका का दत्तकग्रहण करता है, उसकी स्थिति से विदित हो सके ।

(2) चिकित्सा परीक्षा करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :

(क) बच्चे का हित महत्वपूर्ण है ।

(ख) यदि जांच परिणाम और अधिक जांच करने, विशिष्ट चिकित्सा अथवा विशेषज्ञों से परामर्श के आधार का औचित्य देता है, तो जहां बच्चा रह रहा है उस एजेंसी/संस्था द्वारा इन्हें किया जाना चाहिए ।

(3) विभिन्न आयु-वर्गों के लिए मानकीकृत चिकित्सा जांच :

क. नवजात :

(क) समय से पूर्व जन्मे शिशुओं अथवा ऐसे नवजातों जिनका जन्म के समय वजन <2000ग्रा. रहा अथवा प्रवेश का, किसी नवजात विशेषज्ञ अथवा बाल चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए । इन शिशुओं की अपरिपक्वता की रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए ।

(ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच) ।

(ग) श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बी ई आर ए) ।

(घ) जन्मगत गंभीर हृदय रोग की स्क्रीनिंग: पल्स ऑक्सीमिती।

(ङ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष जरूरत के रूप में बच्चे की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए ।

ख. एक माह से एक वर्ष की आयु के बीच के शिशु :

क. शिशुओं का बाल चिकित्सकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

ख. थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)

ग. श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बी ई आर ए)

घ. कंप्लीट ब्लड कांउट, लीवर फंक्शन टेस्ट और रेन फंक्शन टेस्ट (सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी)

ङ. 4-6 सप्ताह की आयु से बड़े बच्चों में एचआईवी जांच करना

च. 3 माह की आयु से बड़े बच्चों की एचसीवी जांच करना

छ. एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष जरूरत के रूप में बच्चे की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय **अनिवार्य** की जानी चाहिए ।

ग. 1-3 वर्ष की आयु के और 3 वर्ष से अधिक आयु वाले :

(क) अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों (भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों तथा जनजातीय आबादी)में, सिक्ल सेल रक्ताल्पता की स्क्रीनिंग की कंप्लीट ब्लड कांउट के तहत सलाह दी जाती है तथा या इन हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस अथवा हिमोग्लोबिन की सोल्युबिलिटी टेस्टिंग या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग अथवा हाई परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमट्रोग्राफी (एचपीएलसी) की ।
यदि स्क्रीनिंग में किसी बच्चे को बीटा थलिसिमिया अथवा हंसिया सेल रक्ताल्पता का संवाहक/ट्रेट होना पाया जाता है, उस बालक अथवा बालिका की प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है अथवा उसको ट्रांस्फयुजन की अपेक्षा नहीं होती है, तथा इस प्रकार उसे विशेष जरूरतमंद नहीं समझा जाना चाहिए।

(ख) 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में एचआईवी निदान प्रक्रिया :-

(i) 18 माह से अधिक आयु के बच्चों और वयस्कों में एचआईवी के निदान के लिए एचआईवी सेरोलोजिकल जांच का उपयोग किया जाता है।

(ii) सेरालोजिकल टेस्ट भरोसेमंद नहीं है और 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में पैसेज ऑफ एचआईवी एंटीबॉडी एक्रॉस द प्लेसेन्टा के कारण व्याख्या करना कठिन है।

(iii) 18 माह से छोटे बच्चों में, एचआईवी संक्रमण का निदान जन्म के 4 से अधिक सप्ताह बाद लिए गए पृथक नमूनों पर निष्पादित द्वितीय वीरोलोजिकल टेस्ट द्वारा की गई पुष्टि एचआईवी के सकारात्मक वीरोलोजिकल टेस्ट अथवा इसके संघटकों(एचआईवी आरएनए अथवा एचआईवी डीएनए अथवा अल्ट्रासेंस्टीव [यूएस] एचआईवी पी24 एजी) पर आधारित है।

(iv) डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश सख्ती से अनुशंसा करते हैं कि सभी एचआईवी से ग्रस्त शिशुओं का 4-6 सप्ताह की आयु अथवा इसके बाद शीघ्रातिशीघ्र एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्टिंग हो।

(v) यदि कोई बच्चा 9 माह से बड़ा है, तो उसके लिए किसी वीरोलॉजीकल जांच से पूर्व एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है, तथा उनके लिए किसी प्रतिक्रियात्मक एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच के साथ एक वीरोलॉजीकल जांच की जानी चाहिए।

(vi) ऐसे शिशु जिसने स्तनपान नहीं किया है अथवा कभी स्तनपान न करने वाले शिशु में, 9 माह की आयु में अथवा इससे अधिक आयु में एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए किसी नेगेटिव सेरॉलाजीकल जांच परिणाम का उपयोग नहीं किया जा सकता।

(vii) प्रारंभिक पोजिटिव वीरोलॉजीकल जांच परिणाम वाले शिशुओं में, कड़ाई के साथ अनुशंसा की जाती है कि एंटीरिट्रॉवायरल थेरेपी(एआरटी) अविलम्ब प्रारंभ की जाए तथा, उसी समय, परिणाम की पुष्टि के लिए एक द्वीतीय नमूना एकत्र किया जाए।

(viii) जन्म के समय अथवा जन्म होने के करीब अथवा प्रथम प्रसवोत्तर दौरे (आमतौर पर 4-6 सप्ताह) पर, अथवा अन्य बाल स्वास्थ्य दौरे पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में देखे जा रहे अज्ञात अथवा अनिश्चित एचआईवी विवरण वाले सभी शिशुओं में एचआईवी विवरण स्तर अभिनिश्चित है।

(ix) यदि शिशु प्रसव उपरांत 72 घंटे से कम समय में देखा जाता है और एचआईवी होना अभिज्ञात किया जाता है, पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफेलक्सिस (पीईपी) में, सुरक्षित स्तनपान संबंधी परामर्श देना तथा 4-6 सप्ताह में एचआईवी वीरोलॉजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है।

(x) 4-6 सप्ताह में पहली बार देखे गए अथवा इसके बाद शीघ्र देखे गए तथा उन शिशुओं जिनमें एचआईवी विवरण प्रलेखीकृत है, के लिए एचआईवी वीरोलॉजीकल जांच की जाएगी तथा ऐसे शिशु की मां को सुरक्षित शिशु-आहार परामर्श प्राप्त करना चाहिए।

(xi) माँ में एक निगेटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी विवरण को स्वभावत: वर्जित नहीं करती है ; इस गर्भावस्था के दौरान मां के हाल ही की संक्रमण घटना की संभावना को दिमाग में रखना चाहिए।

18 माह से कम आयु के शिशुओं और बच्चों में, एक पोजिटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी होने की पुष्टि करती है परंतु निश्चित रूप से एचआईवी का निदान नहीं कर सकता। एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच का एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ग) शिशुओं और बच्चों में एचसीवी निदान:-

(i) हेपेटाइटिस सी संक्रमण(एचसीवी) लीवर का चिरकालिक विषाणु संक्रमण है जो 1-2 % वयस्कों और लगभग 0.15 से 0.4% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है।

(ii) बच्चों में, यह संक्रमण सर्वाधिक माताओं(वर्टिकल ट्रांस्मिशन) से होता है।

(iii) स्क्रीनिंग रक्त में एचसीवी एंटीबॉडी की जांच है। माँ के एचसीवी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तथा 18 माह तक के शिशु के रक्त में रह सकते हैं। इस प्रकार, 18 माह से कम आयु के शिशुओं में एचसीवी की स्क्रीनिंग करने के लिए एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी जांच की जा सकती है।

(iv) अमेरिकन बाल चिकित्सक अकादमी (एएपी) अधिक जोखिम वाले बच्चों में 18 माह की आयु के बाद एंटीबॉडी जांच वाली जांच करने की अनुशंसा करती है। एचसीवी-पीसीआर द्वारा पॉजिटिव एंटीबॉडी जांच की पुष्टि की जानी चाहिए।

(v) यदि शिशु का किसी ज्ञात एचसीवी पॉजिटिव माँ (अथवा दत्तकग्रहण गृहों में शिशुओं में) से जन्म हुआ है तो एचसीवी-पीसीआर वाली जांच की जा सकती है। यह 3 माह से कम आयु के शिशुओं में अस्थाई रूप से पॉजिटिव जांचों की उच्च दर के कारण 3 माह की आयु उपरांत की जा सकती है। कम से कम 2-3 माह से पृथक दो निगेटिव एचसीवी-पीसीआर जांचों की यह पुष्टि करने के लिए जरूरत होती है कि हेपेटाइटिस सी विषाणु वाला संक्रमण नहीं है।

(घ) एचबीएसएजी

(ड़) सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी

अनुसूची 5

[विनियम 7(3) देखें]

अभ्यर्पण का विलेख

केस सं. …………..

…………………री में

1. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी.............के निवासी...............कुटुम्बनाम/प्रथम नाम(मों)....................., ...के कारण से ....जन्म तिथि के ....आयु के (नाम के) ....बच्चे का अभ्यर्पण करते हैं।

2. मुझसे/हमसे

(क) निहितार्थ के बारे में परामर्श किया गया है और इसके बारे में सूचित किया गया है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60 दिनों के भीतर अपनी सहमति वापस ले सकते हैं जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अप्रतिसंहरणीय होगी तथा मैं/हम बच्चे अथवा बच्चों पर अपना दावा नहीं कर सकेंगे।

(ख) अभ्यर्पण के निहितार्थों के बारे में जानकारी दी गई कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60 दिन के बाद, मेरे/हमारे बच्चे अथवा बच्चों तथा मेरे/हमारे बीच विधायी माता-पिता-बालक का रिश्ता समाप्त हो जाएगा ।

(ग) मैं/हम जानते हैं कि मेरा/हमारा बच्चा भारत में अथवा विदेश में रह रहे व्यक्ति(यों) द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए और इस प्रयोजन से मैं/हम सहमति देते हैं।

(घ) मैं/हम जानते हैं कि मेरे/हमारे बच्चे का दत्तकग्रहण दत्तकग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता के रिश्ते का सृजन करेगा तथा तब हम फिर से बच्चे पर अपना दावा नहीं जता सकते हैं।

1. मेरी/हमारी इच्छा है/इच्छा नहीं है(कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) कि जब बालक/बालिका अपनी बुनियाद की खोज के लौटे तो मेरी/हमारी पहचान और पता बच्चे को बताया जाए ;

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उक्त कथनों को सावधानी से पढ़ लिया है तथा इन्हें पूर्णरूपेण समझ लिया है।

दिनांक .... को.............पर किया गया

[अभ्यर्पणकर्ता व्यक्ति(यों)के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान]

5. गवाहों द्वारा घोषणा

हम अधोहस्ताक्षरियों ने उक्त अभ्यर्पण की गवाही दी है।

(क) प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता

....

....

(ख) द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम और पता

....

....

6. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि उक्त नाम के अथवा अभिनिर्धारित व्यक्ति और गवाह(हों) इस तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए और हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए।

दिनांक................ को.............पर किया गया

सदस्यों/अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मोहर

अनुसूची - 6

[विनियम 9(1), 15(3), 20(1), 40(6), 42(3), 52(1) और 53(3) देखें]

ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्ररूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:	
आवेदक प्रवर्ग :	भारत में रह रहे भारतीय, भावी दत्तक माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में सामान्यत: निवास कर रहे विदेशी राष्ट्रिक, भावी दत्तक माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा । नियमित रूप से विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकारी (सीए) या जिस देश में वे रह रहे हैं, उस देश का संबंधित सरकारी विभाग रजिस्ट्रीकरण कराएंगे। हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के मामले में, अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों पर भारतीय मिशन कार्रवाई कर सकता है ।
आवेदक की प्रास्थिति	एकल - अविवाहिता/विधवा/विधुर/विच्छन्न विवाह व्यक्ति / कानूनी रूप से पृथक हो चुके पति या पत्नी या विवाहित दंपत्ति (विवाह की तारीख, विवाह का स्थान)

वैयक्तिक सूचना		
	पुरुष	स्त्री
नाम		
जन्म की तारीख और आयु		
जन्म से राष्ट्रिकता		
वर्तमान राष्ट्रिकता/ नागरिकता		
वर्तमान आवासीय पता		
नगर/जिला		
राज्य		
देश		
जिप/पिन कोड		
फोन नं.		
मोबाइल नं.		
ईमेल		
उपजीविका का ब्यौरा		
उपजीविका का स्वरूप	सरकारी नौकरी / प्राइवेट नौकरी / सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी / कारोबार / अलाभकारी व्यवसाय/ परामर्श / पेशेवर / अन्य / गैर नियोजित	
कार्यस्थल		
वार्षिक आय		
जैव/दत्तक बालकों की सं.	कुल ( )	

पहचान का ब्यौरा	
पैन नंबर (यदि कोई हो)	
आधार कार्ड नं.	
ओसीआई कार्ड नंबर	
पासपोर्ट नंबर	
दत्तकग्रहण के लिए वरीयता	
लिंग	बालक / बालिका / कोई वरीयता नहीं
बालक का प्रवर्ग	सहोदर भाई या बहन / एकल
स्वास्थ्य की प्रास्थिति	साधारण/शारीरिक रूप से निशक्त /मानसिक रूप से निशक्त
आयु	0-2 वर्ष/2-5 वर्ष/5-8 वर्ष/ 8-11 वर्ष/11-14 वर्ष/14-18 वर्ष
राज्य संबंधी अधिमानता:	
गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अभिकरण का नाम	
अभिकरण का पता	
दत्तकग्रहण के लिए अभिप्रेरण (अधिकतम 200 अक्षरों में)	
भारत में रह रहे निवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्वयं ही रजिस्ट्रीकरण करना होगा। विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। यह भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिकों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामलों भी लागू होगा।	**रजिस्ट्रीकरण के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** 1. देश के भीतर दत्तकग्रहण (भारत में रह रहे भारतीय) (1) कुटुम्ब का नवीनतम फोटो/ बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो (2) भावी दत्तक माता-पिता का पैन कार्ड (3) माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा) (4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पासपोर्ट/ बिजली का वर्तमान बिल/टेलिफोन का बिल) (5) पिछले वर्ष की आय का सबूत (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न) (6) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा) (7) विवाह प्रमाणपत्र / विवाह-विच्छेद डिक्री/ सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दिशा में जहां वैयक्तिक विधि द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां त्यजन की डिक्री आवश्यक नहीं है / पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो **2. अनिवासी भारतीय / विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में अंतर-देशीय दत्तकग्रहण** (1) आवेदक (कों) के फोटो (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) (भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण के बाद अपलोड की जाएगी) (3) पासपोर्ट (भावी दत्तक पिता) (4) पासपोर्ट (भावी दत्तक माता)

	(5) भावी दत्ति माता-पिता का विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड (यदि लागू हो) (6) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक पिता) (7) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक माता) (8) निवास का प्रमाण (9) पिछले वर्ष की आय का सबूत (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न) (10) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं । (11) भावी दत्तक पिता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र (12) भावी दत्तक माता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र (13) विवाह प्रमाण-पत्र (दंपत्ति के मामले में) (14) विवाह-विच्छेद डिक्री विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दिशा में जहां वैयक्तिक विधि द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां त्यजन की डिक्री आवश्यक नहीं है। (15) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में वचनबंध (यदि लागू हो) (16) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, उनके राजदूतावास/ उच्चायुक्त से दत्तकग्रहण और भारत से भावी दत्तक माता-पिता के पुन:स्थापन के मामले में दत्कग्रहण के पश्चात् आश्वासन के लिए निरापेक्ष प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)। (17) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित व्यक्ति का पहला संदर्भ पत्र (18) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित व्यक्ति का दूसरा संदर्भ पत्र **नामांकन के बाद अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज** (19) कुटुम्ब के अधिक आयु के बालक/बालकों (पांच वर्ष से अधिक आयु के) की सहमति (20) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति (21) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार (हेग अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देशों के मामले में) प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (22) विदेश में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण विनियमनों में यथा अपेक्षित, बालक की प्रगति के अनुवर्तन के लिए, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से वचनबंध । (23) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबंध । (24) भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए वचनबंध । (25) कम से कम दो वर्ष की अवधि तक बालक की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और बाधा आने के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबंध ।
विदेश में रह रहे निवासी भारतीय और विदेशी भारतीय नागरिक भावी	**3. देश के भीतर नातेदारी दत्तकग्रहण**

दत्तक माता-पिता के मामले में, नातेदारी दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा ।	रजिस्ट्रीकरण के समय, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में यथा उपरिलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज़ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड किए जाएंगे [(1)-(15)]। **अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज** (1) जैविक कुटुम्ब के अधिक आयु के बालक/बालकों की (पांच वर्ष से अधिक आयु) की सहमति । (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति । (3) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अनुसमर्थित देश के मामले में लागू) । (4) दत्तक बालक का भावी दत्तक माता-पिता से नाता (कुटुम्ब वृक्ष) । (5) बालक, दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता के हाल ही में लिए गए फोटो (6) **अनुसूची** 19 में यथा उपबंधित जैविक कुटुम्ब की सहमति। (7) बाल कल्याण समिति से **अनुसूची** 22 में यथा उपबंधित नातेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमति (यदि लागू हो)। (8) जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा **अनुसूची 21** में यथा उपबंधित कुटुम्ब पृष्ठभूमि रिपोर्ट ।
देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता ऐसे दत्तकग्रहण के लिए बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करेंगे और प्रासंगिक दस्तावेजों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपलोड करने के लिए जिला बालक संरक्षक एकक (डीसीपीयू) को सौंपेंगे ।	**4. देश के भीतर दत्तकग्रहण के किसी भी मामले में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** (1) भावी दत्तक माता-पिता के निवास का प्रमाण । (2) ऐसे दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता के अधिक आयु के बालक की सहमति (केवल पांच वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में अपेक्षित) । (3) जैविक माता-पिता की सहमति (दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची** 20 में यथा उपबंधित) । (4) बाल कल्याण समिति से **अनुसूची** 23 में यथा उपबंधित नातेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमति (यदि लागू हो) । (5) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा उनकी नातेदारी, वित्तीय और सामाजित प्रास्थिति के समर्थन में दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची 24** में यथा उपबंधित शपपथपत्र । (6) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश ।
सौतेले माता-पिता के बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में, जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण करना होगा और अपेक्षित दस्तावेज़ों को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से उनको अपलोड करेंगे।	**5. बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में सौतेले माता-पिता द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** (1) जैविक दत्तक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति या पत्नी के कानूनी विवाह के प्रमाणपत्र के साथ निवास का प्रमाण । (2) दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची** 20 में यथा उपबंधित जैविक माता-पिता, बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति या पत्नी की सहमति । (3) दत्तकग्रहण विनियमनों की **अनुसूची** 20 में यथा अपेक्षित दस्तावेज़, यदि लागू हो । (4) न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश ।

अनुसूची 7

[विनियम 2(11), 9(10) और 20(2) देखें]

निवासी भारतीय माता-पिता/भारत के विदेशी नागरिक/भारत में रह रहे विदेशी की गृह अध्ययन रिपोर्ट

श्री.....................

सुश्री.....................

अनाथ / परत्यक्त / अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण पर कार्रवाई दत्तकग्रहण विनियमों में यथानिर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर की जा सकती है। सभी भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन पद्धति (केयरिंग्स) पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और प्राधिकृत संस्था से दत्त्कग्रहण करना होगा।

बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली रजिस्ट्रीकरण सं.	-
रजिस्ट्रीकरण की तिथि	-
पैन कार्ड नं.	-
आधार कार्ड नं., यदि उपलब्ध हो	-
पासपोर्ट नं., यदि लागू हो	-
सामाजिक कार्यकर्ता का नाम	-
गृह के दौरे की तारीख	-

रिपोर्ट का **भाग-1** भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाना होता है

गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के मजबूत प्रस्ताव को बनाने में सहायता करता है, तथा इसलिए, भावी दत्तक माताओं-पिताओं से उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सभी सूचना उपलब्ध कराने की आशा की जाती है । टैम्पलेट में उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रामाणिकता के लिए केवल भावी दत्तक माता-पिता जिम्मेदार होते हैं तथा उनसे भाग-1 के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है ।

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) को दत्तकग्रहण में स्वयं की तैयारी करने में सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाताओं से सलाह लेने तथा जिसे वे दत्तकग्रहण करना चाहते हैं उस बच्चे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

टैम्पलेट का **भाग-2** विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में संलग्न व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना होता है ।

गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध प्रत्येक बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त कुटुम्बखोजने में दत्तकग्रहण अभिकरण की मदद करता है। गृह अध्ययन के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के वित्तीय, रोजगार, स्वास्थ्य, जीवनशैली, गृह और आस-पास के माहौल; उनकी पैतृक शैली तथा रैवय्ये (रैवय्यों), दत्तकग्रहण की प्रेरणा; दत्तकग्रहण की प्रतिबद्धता और दत्तकग्रहण करने के लिए समग्र तैयारी सह परिपक्वता का मूल्यांकन करता है ।

भाग-1

क. दत्तकग्रहण से परिचय

(यह भाग भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाए)

1. बच्चे के दत्तकग्रहण के पीछे आपकी अभिप्रेरणा क्या है

____

____

____

2. क्या आप किसी बड़े बच्चे, जो निराकरणीय चिकित्सा स्थिति में है अथवा विशेष जरूरतमंद बच्चे की सहायता करने में समर्थ होंगे?

   हां/ नहीं

3. क्या आप किसी दत्तकग्राही कुटुम्ब अथवा वे बच्चे जिन्हें दत्तकग्रहण किया हो, से मिले हैं – यदि हां, तो आपका अनुभव और प्रतिक्रिया कैसी रही

____

____

4. क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं उस बच्चे जिसे आप दत्तकग्रहण करना चाहते हैं की सहायता करने में जहां आपको परामर्श देने अथवा व्यावसायिक मदद करने में जरूरत हो?

____

____

____

____

____

5. कृपया वर्णन करें कि भावी दत्तकग्रहण आपके साथ रह रहे अन्य सदस्यों तथा बच्चे के प्रति उनकी सहायता पर कैसे प्रभाव डालेगा।

____

____

ख. **कौटुम्बिक पृष्ठभूमि की जानकारी:**

सूचना का विवरण	**पुरुष आवेदक**	**स्त्री आवेदक**
पूरा नाम (कुटुम्ब का नाम रेखांकित करें)		
जन्म की तारीख और आयु		
जन्म का स्थान		
नागरिकता		
पता		
ई-मेल आईडी		
संपर्क नंबर और मोबाइल नम्बर		
धर्म		
घर पर बोले जाने वाली भाषा(एं)		
विवाह की तारीख		
पूर्ववर्ती विवाह की तारीख (यदि कोई हो)		
विवाह-विच्छेद की तारीख (यदि कोई हो)		
शैक्षिक अर्हता		
नियोजन/उपजीविका		
वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम और पता		
वार्षिक आय		
स्वास्थ्य की स्थिति		

भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

(1) अपने माता-पिता (माताओं-पिताओं) के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें

आवेदकों के बारे माता-पिता का ब्यौरा	पुरुष आवेदक		स्त्री आवेदक	
	पिता	माता	पिता	माता
पूरा नाम				
आयु				
राष्ट्रिकता/नागरिकता				
उपजीविका				
पूर्ववर्ती उपजीविका				
वर्तमान में भावी दत्तक माता-पिता के साथ रह रहे हैं (हाँ / नहीं में बताएं)				

(2) कृपया इस सारणी में अपने प्रत्येक बालक (दत्तक और जैविक) का नाम, उसके लिंग, शैक्षिक प्रास्थिति (किंडरगार्टन, प्रारंभिक आदि) और जन्म की तारीख का ब्यौरा भरें।

बालक का नाम	लिंग	जन्म की तारीख	शैक्षिक प्रास्थिति

(3) कृपया कुटुम्ब में रह रहे अन्य सदस्य(यों) की आयु, लिंग, उपजीविका और पारिवारिक नातेदारी के स्वरूप का ब्यौरा आगे दी गई सारणी में दर्शाया जाए।

नाम	नातेदारी की प्रकृति	आयु	लिंग	उपजीविका

(4) कृपया गृह में रह रहे किन्ही अन्य गैर-संबंधित वयस्कों/बच्चों (अर्थात् गृह सहायक, स्टाफ, बाह्य कार्मिक आदि) का ब्यौरा उपलब्ध कराएं:

____

____

ग. उपजीविका/नियोजन संबंधी ब्यौरा (पिछले 5 वर्षों के वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा): कृपया आगे दी गई सारणी में अपने वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा भरें।

पुरुष आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा (नाम और पता)	कार्य उपाधि	से तक

स्त्री आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा (नाम और पता)	कार्य उपाधि	से तक

घ. **वित्तीय स्थिति:** (सभी स्रोतों से अपनी आय, बचतों, विनिधानों, व्यय और दायित्वों का संक्षिप्त वर्णन दें)।
कृपया अपने अद्यतन कर बीजकों, बैंक विवरणों इत्यादि और कर-योग्य आय का ब्यौरा दें।

____

____

क्या आप पर कोई ऋण बकाया है, आपने कुछ गिरवी आदि रखा हुआ है।

क) यदि हाँ, तो कृपया अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें;

ख) नहीं

ङ. **वर्तमान वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध की गुणवत्ता (यदि लागू हो):** (विवाह, वैध पृथक्करण, यदि कोई पृथक्करण हुआ हो, ऐसे पृथक्करण के कारणों, वर्तमान वैवाहिक जीवन और विनिश्चय लेने की प्रक्रियाओं का ब्यौरा दें)।

1) कृपया अपनी वैवाहिक प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करें:

(2) कृपया यह वर्णन करें कि आप और आपके साथी किसी विनिश्चय तक पहुँचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं।

च. **दादा-दादी या नाना-नानी/विस्तृत कुटुम्बके अन्य सदस्यों, अन्य नातेदारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्तमान दत्तकग्रहण के विषय में दृष्टिकोण :** (बालक के प्राप्तकर्ता देश में पहुँचने पर उसके पालन-पोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दत्तकग्रहण के विषय में विचारों का संक्षिप्त विवरण दें।)

छ. **दत्तक बालक और कुटुम्ब में उसके पालन-पोषण के विषय में भावी दत्तक माता-पिता की प्रत्याशित योजनाएं:**

(1) कृपया यह वर्णित करें कि आप दत्तक बालक के पालन-पोषण और देखरेख जैसी जीवन की अन्य अंगीकृत को कैसे संभालेंगे?

(2) जब आप कामकाज के लिए जाएंगे या घर से अनुपस्थित होंगे तब बालक की देखरेख की जिम्मेदारी कौन संभालेगा/संभालेगी (घरेलू नौकर/नौकरानी, दादा-दादी/नाना-नानी, पति/पत्नी)।

(3) कृपया आप बताएं कि यदि दत्तक बालक को कुटुम्ब में समायोजन में कठिनाइयाँ आईं तो कुटुम्ब में उसके समायोजन को आसान बनाने के लिए आपने क्या उपाय करने की योजना बनाई है?

ज. **दत्तकग्रहण की तैयारी और प्रशिक्षण:** (भावी दत्तक माता-पिता ने दत्तकग्रहण, बालकों की देखरेख, बालकों की जरूरतों के प्रबंधन इत्यादि के विषय में जिन परामर्श सत्रों में भाग लिया है, उन परामर्श सत्रों और उनकी क्षमता, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (यदि कोई हों) के पालन-पोषण के संबंध में भावी दत्तक माता-पिता के प्रशिक्षण और/या अनुभव का ब्यौरा दें)

दत्तकग्रहण प्रक्रिया के बारे में समझ:

संदर्भ सामग्रियों का पठन:

मित्रों/सगे-संबंधियों से सीखना:

दत्तकग्राही माता-पिता समूहों के साथ वार्तालाप:

उपजीविका में परामर्श करने के माध्यम से सीखना :

झ. **भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाने की दशा में बालक के लिए संभावित पुनर्वास योजना:** (यदि आपके साथ कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक घटना हो जाए तो बालक की सुरक्षा की अपनी योजना का संक्षिप्त ब्यौरा दें। यदि आप अकेले संभावित दत्तक माता या पिता हैं तो कृपया अपने उस निकट संबंधी का संक्षिप्त ब्यौरा दें, जो बालक की सुरक्षा के लिए वचनबंध देगा।)

(1) क्या आपको कामकाज के लिए यात्रा करनी पड़ती है?

(2) आपकी अनुपस्थिति में बालक की देखरेख कौन करेगा/करेगी? कृपया उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसके नातेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें।

(3) यदि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बालक का विधिक संरक्षक बन सके? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें:

ञ. **स्वास्थ्य (भावात्मक और शारीरिक) की प्रास्थिति:**

(1) (1) क्या आप या आपके पति/पत्नी किसी रोग से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो क्या आप उसका ब्यौरा देने की कृपा करेंगे?

(2) क्या वर्तमान में आप या आपके पति/पत्नी का उपचार कोई मनोवैज्ञानिक या मनश्चिकित्सक कर रहे हैं?

(3) क्या वर्तमान में आप कोई निर्धारित औषधि ले रहे हैं?

(4) क्या वर्तमान में आपके कुटुम्ब में किसी/किन्हीं बालक/बालकों के किसी रोग का इलाज चल रहा है?

(5) क्या आपके कुटुम्ब के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल में उपचार संबंधी बीमा सुरक्षा है?

<u>प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।</u>

<u>भावी दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर और तारीख</u>

<u>भाग-2</u>

(गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

जहाँ तक संभव हो सके, गृह अध्ययन रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक मास में पूरी कर ली जानी चाहिए।

टैम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्य अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखे जाएंगे।

टिप्पण : सामाजिक कार्यकर्ता को पहले भावी दत्तक माता-पिता से तैयारी संबंधी प्रश्न पूछकर उन्हें सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर झुकाने और हिलाने जैसे मौन संकेत यह दर्शाने के लिए देने चाहिए कि भावी दत्तक माता-पिता ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक प्रश्न के बाद भावी दत्तक माता-पिता को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दे। भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी उत्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता की मौखिक प्रतिक्रिया निष्पक्ष और अनिर्णायक होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रश्न पढ़ने और भावी दत्तक माता-पिता के उत्तर दर्ज करने के बीच के समय में समानुभूति दर्शाने के लिए यथासंभव भावी दत्तक माता-पिता से आँखें मिलानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को तभी भावी दत्तक माता-पिता को बीच में रोकना चाहिए जब वे किसी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते हैं।

1. तथ्यात्मक निर्धारण

(i) क्या आपने इस रूपद के भाग-। में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन किया है?

हाँ/नहीं

(ii) क्या आप दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों और साक्षात्कारों और दौरों के समय पाई गई वास्तविक स्थिति से समाधान हैं?

हाँ/नहीं

2. मनोवैज्ञानिक निर्धारण:

2.1 भावी दत्तक माता-पिता से बातचीत

(i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता से अलग-अलग और/या एकसाथ बातचीत की है?

(ii) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तक ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अकेले भावी दत्तक माता या पिता के मामले में कृपया कौटुम्बिक सहायता व्यवस्था का उल्लेख करें।

(iii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने पालन-पोषण के लिए अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

2.2 गृह दौरे से प्राप्त निष्कर्ष

(i) आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर का दौरा कब किया? आपके दौरे के समय कुटुम्ब के कौन से सदस्य उपस्थित थे?

(ii) घर के दौरे के समय आपने किससे बातचीत की?

(iii) क्या आप किसी पड़ोसी/संबंधी से मिले हैं? उस बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दें?

(iv) क्या घरेलू वातावरण बालक के लिए अनुकूल है? यदि नहीं तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता को सलाह दी है?

(v) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं?

(vi) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने बातचीत के दौरान अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

(vii) क्या भावी दत्तक माता-पिता को पालन-पोषण संबंधी मुद्दों और अन्य मुद्दों के विषय में कोई शंका थी? क्या आपने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया है?

2.3 कुटुम्ब के सदस्यों से बातचीत

(i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के कुटुम्ब के अन्य सदस्यों से बातचीत की है? प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में उनके क्या विचार हैं? क्या दत्तकग्रहण के विषय में उनकी सोच सकारात्मक है?

(ii) क्या कुटुम्ब के ऐसे कोई अन्य सदस्य भी हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाई लेकिन प्रस्तावित दत्तकग्रहण में उनकी अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका हो सकती है? यदि हाँ तो आपने बातचीत कैसे की? क्या उनके विचार जानने की आपकी कोई योजना है?

(iii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर में विद्यमान अपेक्षाकृत बड़े बालक/बालकों से बातचीत की है? यदि हाँ तो कृपया बातचीत का ब्यौरा दें।

(iv) क्या आपने कुटुम्ब के सदस्यों की कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है? यदि हाँ तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर उन टिप्पणियों का कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

(i) भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय स्थिति के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि वे अपने कुटुम्ब में एक और सदस्य का स्वागत कर सकते हैं?

(ii) क्या आपने ऐसी वित्तीय स्थिति देखी है, जिसका उल्लेख रूपद में नहीं किया गया है?

2.5 शारीरिक और भावात्मक क्षमता

(i) क्या भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक औरभावात्मक दशा इतनी अच्छी है कि वे बालक की देखरेख कर सकें?

(ii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता या उनके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य में कोई ऐसी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्या पाई है, जिससे आने वाले बालक का जीवन प्रभावित होगा? यदि हाँ तो ब्यौरा दें।

(iii) घर में कमरों की संख्या कितनी है तथा क्या घर में बच्चे की सहायता के लिए पर्याप्त स्थान है, इसका ब्यौरा दें ।

(iv) क्या भावी दत्तक माता-पिता बालक की देखरेख के लिए भावात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं?

3. दत्तकग्रहण की सिफारिश

3.1 क्या आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करते हैं? माता-पिता की उपयुक्तता सहित दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करने के लिए अपने विचार और औचित्य दर्शाएं।

3.2 यदि आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो ऐसे निर्णय के लिए उपयुक्त कारण बताएं।

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम

अनुसूची 8

[विनियम 11(1) और 16(2) देखें]

दत्तकग्रहण पूर्व पालन-पोषण वचनबद्धता (शपथपत्र के रूप में)

वर्तमान में _________ (विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता) की देखरेख में रह रहे _________को जन्मे _________ (बालक का पूरा नया नाम) उर्फ _________ (बालक का पुराना नाम) नामक बालक के प्रस्तावित दत्तक माता-पिता हम, श्री _________, आयु _________वर्ष, _________ के नागरिक और श्रीमती _________, आयु _________वर्ष, _________ की नागरिक, स्थायी रूप से _______________ के रहने वाले, वर्तमान पता _________________________है, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि:

(1) हम उल्लिखित बालक को संबंधित न्यायालय के दत्तकग्रहण आदेश के लंबित रहने तक के लिए दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख में ले रहे हैं।

(2) हम यह जानते हैं कि संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण का अंतिम आदेश प्राप्त होने तक उक्त बालक xxxx (विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम) के प्राधिकार और संरक्षण में रहेगा और हम उक्त बालक के केवल पालक माता-पिता रहेंगे।

(3) हमारी देखरेख में रखे गए बालक को समस्त आवश्यक शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख, ध्यान, पोषण और अपेक्षित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) बालक के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाने पर हम उस घटना की जानकारी तत्काल विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को देंगे।

(5) न्यायालय का अंतिम आदेश पारित होने तक बालक के विकास संबंधी जानकारी महीने में एक बार संस्था को दी जाएगी।

(6) जब कभी हमें बुलाया जाएगा, हम विधिमान्य औपचारिकताओं और न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित होंगे।

(7) हम बालक/बालकों को अपने स्वयं के बालक/बालकों के रूप पालन-पोषण करेंगे ।

(8) हम हमारे कुटुम्ब में बच्चे/बच्चों की भलाई और प्रगति अभिनिश्चित करने के लिए दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/ जिला बाल संरक्षण इकाई / राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के किसी प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को हमारे घर का दौरा करने की अनुमति देंगे ।

(9) हम दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को हमारे आवास के स्थान के किसी परिवर्तन की सूचना का वचन देते हैं (इस आवेदन में यथावर्णित के अलावा) ।

श्री. __________________ श्रीमती. _____________

भावी दत्तक पिता भावी दत्तक माता

तारीख: ____________

साक्षी :

नामः नामः

हस्ताक्षरः हस्ताक्षरः

पताः पताः

अनुसूची 9

[विनियम 12(1), 15(14) और 55(1) देखें]

नोट : केवल नीच लिखे और यथा लागू प्रमणपत्र / दस्तावेज ही याचिका के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है । दत्तकग्रहण के किसी भी मामले में अनुर्वरता प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

1. देश के भीतर दत्तकग्रहण

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा भावी दत्तक माता-पिता(पीएपी) से प्राप्त किया जाए

(1) वर्तमान कुटुम्बका फोटो / बालक का दत्त्कग्रहण करने वाले दंपत्ति या व्यक्ति के अद्यतन फोटो ।

(2) भावी दत्तक माता-पिता का पैन कार्ड ।

(3) भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का साक्ष्य ।

(4) निवास का सबूत (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/चालन अनुज्ञप्ति/बिजली का वर्तमान बिल/टेलिफोन बिल) ।

(5) पिछले वर्ष की आय का सबूत (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न) ।

(6) चिकित्सक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तकग्रहण के लिए स्वस्थ हैं (दम्पत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र को अपलोड करें) ।

(7) विवाह प्रमाण-पत्र ।

(8) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में विवाह-विच्छेद डिक्री, विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश अथवा ऐसे मामलों में जहां विवाह विच्छेद समानान्तर कानून द्वारा दिया गया है, शपथ पर घोषणा, जहां पर विवाह विच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की प्रति ।

(9) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या संबंधियों के दो संदर्भ ।

(10) दत्तकग्राही कुटुम्ब में बड़े बालक/बालकों की सम्मति की प्रति (यदि 5 वर्ष से अधिक हों)।

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किया जाए

(11) बच्चे के अद्यतन फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक अध्ययन रिपोर्ट ।

(12) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट ।

(13) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र ।

(14) भावी दत्तक माता-पिता के कुटुम्ब के अद्यतन फोटो के साथ उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट ।

(15) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।

(16) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बड़े बच्चे/बच्चों की सम्मति ।

(17) दत्तकग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में) ।

(18) बच्चे के दत्तकग्रहण के समर्थन में न्यायालय को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ पत्र ।

(19) दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण का शपथ पत्र ।

2. विदेश में रह रहे एनआरआई/प्रवासी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण

प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) अथवा केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) अथवा सरकारी विभाग अथवा विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के विदेश में भारतीय मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाए

(1) आवेदक(कों) के फोटो

(2) गृह अध्ययन रिपोर्ट

(3) पासपोर्ट (पुरूष भावी दत्तकग्राही माता-पिता)

(4) पासपोर्ट (स्त्री भावी दत्तकग्राही माता-पिता)

(5) भावी दत्तक माता-पिता के प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड (यदि लागू हों)

(6) भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का साक्ष्य

(7) निवास का सबूत

(8) पिछले वर्ष की आय का सबूत (उदाहरणार्थ सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/ आय प्रमाणपत्र/आयकर रिटर्न)

(9) चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तकग्रहण के लिए स्वस्थ हैं

(10) पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र (पुरूष भावी दत्तक माता-पिता)

(11) पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र (स्त्री भावी दत्तक माता-पिता)

(12) विवाह प्रमाण-पत्र (दम्पत्ति के मामले में)

(13) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या संबंधियों के दो संदर्भ पत्र ।

(14) एकल भावी दत्त्क माता-पिता के मामले में विवाह-विच्छेद डिक्री/विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश अथवा ऐसे मामलों में जहां विवाह विच्छेद वैयक्तिक विधि के अधीन किया गया है, शपथ पर घोषणा, जहां पर विवाह विच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की प्रति।

(15) दत्तकग्राही कुटुम्ब में बड़े बालक/बालकों की सम्मति की प्रति(यदि 5 वर्ष से अधिक हों)।

(16) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण का प्राधिकार प्रमाणपत्र (केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन के मामले में अपेक्षित नहीं) ।

(17) दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती रिपोर्ट भेजने और व्यवधान के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनबद्धता (सीए अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन के मामले में अपेक्षित नहीं) ।

(18) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति

(19) दत्तकग्रहण के पश्चात् अनुवर्तन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के गृह दौरों की अनुमति के लिए वचनबद्धता ।

(20) न्यायालय में उनकी ओर से दत्तकग्रहण आवेदन को फाइल करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत कृत्यकारी के पक्ष में भावी दत्तकग्रहण माता-पिता से मुख्तारनामा ।

विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किया जाए

(21) बच्चे के अद्यतन फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक अध्ययन रिपोर्ट ।

(22) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट ।

(23) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।

(24) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति

(25) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बड़े बच्चे/बच्चों की सम्मति

(26) बच्चे के दत्तकग्रहण के समर्थन में न्यायालय को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ-पत्र

(27) दत्तकग्रहणपूर्व पालन-पोषण का शपथ-पत्र(जहां कहीं अपेक्षित हो)

(28) अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय नागरिक/भावी दत्तकग्रहण माता-पिता द्वारा किसी बच्चे के दत्तकग्रहण के पक्ष में कारा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र । भारत में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिक/भारत में रह रहे विदेशी भावी दत्तकग्रहण माता-पिता के मामले में, प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए उनके राजदूतावास/उच्चायुक्त से **अनापत्ति प्रमाण-पत्र** की प्रति ।

3. अंतर-देशीय नातेदारी में दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा उपदर्शित, जहां बच्चा जैविक माता-पिता अथवा संरक्षकों के साथ रहता है वहां भावी दत्तकग्रहण माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे ।

4. देश के भीतर नातेदारी में दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा-उपदर्शित, जहां बच्चा जैविक माता-पिता अथवा संरक्षकों के साथ रहता है वहां भावी दत्तकग्रहण माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे ।

टिप्पण : केवल उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज, यथा-लागू, फाइल किया जाना अपेक्षित है। दत्लकग्रहण के किसी भी मामले में संतानोत्पत्ति में असमर्थता का प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची 10

[विनियम 16(1) देखें]

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला और बाल विकास मंत्रालय का स्वायत्त निकाय)

प्रमाण-पत्र संख्या: **तारीख :**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

बालक और भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण नामक दत्तकग्रहण के मामलों से संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण को आगे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक/बालकों के दत्तकग्रहण पर 'कोई आपत्ति नहीं' है:

क्र. सं.	बालक का नाम	बालक का लिंग	जन्म की तारीख	भावी दत्तक माता-पिता के नाम और पता
(i)				

2. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दत्तकग्रहण विनियम, 2017 और बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 17(ग) के अनुसार जारी किया जाता है।

3. दत्तकग्रहण के इस मामले में कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण/संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/भारतीय राजनयिक मिशन को प्राधिकृत किया गया है।

4. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण सक्षम न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका फाइल करेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

और मुहरबंद

प्रेषित :

(1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण/राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/ भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।

(4) भारत में प्राप्तकर्ता देश का राजनयिक मिशन।

(5) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।

(6) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)।

अनुसूची 11

[विनियम 18(1) देखें]

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

प्रमाणपत्र संख्या: **तारीख :**

बालक और दत्तक माता-पिता का फोटो

पुष्टि प्रमाणपत्र

(बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 23 के अधीन)

1 – अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी :

(राज्य के सक्षम दत्तक ग्रहण प्राधिकारी का नाम और पता)

. . . .

. . . .

. . . .

2 – प्रमाणित करता है कि बालक :

पारिवारिक नाम : . . . .

मुख्य नाम : . . . .

लिंग : पुरुष [ ] स्त्री [ ]

जन्म की तारीख : तारीख . . . . मास . . . . वर्ष . . . .

जन्म स्थान : . . . .

नियमित निवास : . . . .

3 – का दत्तकग्रहण निम्नलिखित प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार था :

. . . .

विनिश्चय की तारीख: . . . .

अंतिम रूप से विनिश्चय पारित होने की तारीख: . . . .

(यदि दत्तकग्रहण किसी प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार न होकर अन्यथा किया गया तो कृपया समतुल्य का ब्यौरा दें)

4- निम्नलिखित व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया :

क दत्तक पिता का पारिवारिक नाम: . . . .

मुख्य नाम: . . . .

जन्म की तारीख : तारीख. . . . मास . . . . वर्ष . . . .

जन्म स्थान: . . . .

दत्तकग्रहण के समय नियमित निवास: . . . .

ख दत्तक माता का पारिवारिक नाम: . . . .

मुख्य नाम: . . . .

जन्म की तारीख : तारीख . . . . मास . . . . वर्ष . . . .

जन्म स्थान: . . . .

दत्तकग्रहण के समय नियमित निवास: . . . .

5 - अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि दत्तकग्रहण, अभिसमय के अनुसार किया गया और करार अनुच्छेद 17, उप-पैरा ग के अनुसार निम्नलिखित द्वारा किया गया :

क मूल राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता:

. . . .

. . . .

. . . .

करार की तारीख : . . . .

ख प्राप्तकर्ता राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता :

. . . .

. . . .

. . . .

करार की तारीख : . . . .

(6) - ☐दत्तकग्रहण ने माता-पिता और बालक का पूर्ववर्ती विधिक संबंध समाप्त कर दिए हैं।

.... स्थान पर .... तारीख को हस्ताक्षर किए गए।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
और मुहरबंद

प्रेषित :

(1) विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण / संबंधित राज्य सरकार के विभाग का नाम और पता।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) / संबंधित विदेशी सरकारी विभाग/ भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।

(4) भारत में प्राप्तकर्ता देश का राजनयिक मिशन।

(5) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।

(6) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)।

अनुसूची 12

[विनियम 13(1), 19(1) और 20(5) देखें]

बालक की स्थानन-पश्चात् रिपोर्ट

रिपोर्ट सं.: तारीख:

बालक का कुटुम्ब के साथ फोटो

1. **पहचान संबंधी जानकारी :**
   - (क) बालक का नाम (आंरभिक और बाद में दिया गया, यदि कोई हो)
   - (ख) उपनाम/ पारिवारिक नाम :
   - (ग) बालक के जन्म की तारीख :
2. **दत्तक माता-पिता का संपर्कों का ब्यौरा**
3. **बालक का समंजन :**
   - (क) वर्तमान लंबाई और भार
   - (ख) शारीरिक परीक्षाओं और चिकित्सक के दौरों से प्राप्त निष्कर्ष
   - (ग) खानपान और सोने संबंधी आदतें
   - (घ) भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास
   - (ङ) कुटुम्ब के सदस्यों से लगाव
   - (च) स्कूल में बालक का नामांकन (यदि लागू हो)
   - (छ) बोली जाने वाली भाषा(एं) (यदि लागू हो)
4. **बालक के साथ दत्तक कुटुम्ब के सदस्यों का समंजन :**
5. **कुटुम्ब की संरचना या सक्रियता में महत्त्वपूर्ण बदलाव, यदि कोई हों:**

   (निवास, नियोजन, कार्य संबंधी दायित्वों, रोग इत्यादि में परिवर्तन)
6. **सामाजिक कार्यकर्ता की संप्रेक्षण और सिफारिशें**

(हस्ताक्षर)

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:

अभिकरण का नाम और तारीख

टिप्पण : स्थानन-पश्चात रिपोर्ट का ऑनलाइन अद्यतनीकरण आज्ञापक है।

***

अनुसूची 13

[विनियम 24(1) (च) और 26(4) (ज) देखें]

विशेषज्ञ दत्तकगहण अभिकरणों में बाल देखरेख के मानक

1. अभिकरणों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि बच्चों को संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराई जाएं :

(क) भौतिक सुविधाएं :

(i) भौतिक परिवेश, जिसमें बालक की देखरेख की जाती है, स्वच्छ होना चहिए । अभिकरण मे स्वच्छता और सफाई का रखरखाव पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि संस्था में अधिकांश बच्चे छोटे होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं । एक वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे एक कमरे में रखा जाना चाहिए जिससे स्नानघर और दूध पिलाने का कमरा लगा हुआ हो । 1-3 वर्ष की आयु के बालकों को स्नानघर से जुड़े हुए कमरे में रखा जाना चाहिए । बड़े बालकों को लड़के और लड़कियों के दो अलग-अलग कमरों में रखा जाना चाहिए । प्रत्येक कमरे के साथ स्नानघर और शौचालय जुड़े होने चाहिए ।

(ii) इसमें बर्तन धोने का स्थान और बड़ा रसोईघर और बड़े बालकों के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए । इसमें अच्छी रोशनी, हवा के आने-जाने की जगह और पर्याप्त स्थान आवश्यक होना चाहिए ।

(iii) गृह को, विशेषकर स्नानघर, शौचालय और रसोईघर को स्वच्छ, साफ होना चाहिए । दीवारें और आस-पास का परिवेश चमकदार और मनोहारी होना चाहिए । कक्षों को सजाने के लिए उनमें अच्छा रोगन होना चाहिए और खिलौने, जानवरों की तस्वीरें आदि लगी होनी चाहिए ।

(ख) चिकित्सा सुविधाएं :

नियमित चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए । जहां तक संभव हो, हर एकांतर दिन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए । शिशु रोग विशेषज्ञ जोखिमपूर्ण और अत्यधिक सुभेद्य बालकों का निदान और उपचार करने में सर्वोत्तम रूप से प्रशिक्षित होते हैं ।

(i) शिशुओं और बच्चों को संस्थाओं में प्रवेश के समय अलग रखा जाए और कम से कम एक सप्ताह तक पर्यवेक्षण में रखा जाए ।

(ii) बच्चे के प्रवेश के समय उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ उसका भार, लंबाई और सिर के घेरे को लिखा जाना चाहिए ।

(iii) चिकित्सा अभिलेख रखा जाना चाहिए और चिकित्सक को यथाशीघ्र, अधिमानत: बालक के प्रवेश के 24 घंटों के भीतर, उसका आकलन करना चाहिए ।

(iv) छह मास से कम आयु के प्रत्यके बालक की फोटो प्रत्येक मास, छह मास से तीन वर्ष तक हर तीन मास पर और उसके बाद हर छह मास पर ली जानी चाहिए ।

(v) नियमित प्रतिरक्षण दिया जाना चाहिए और इसकी निगरानी की जानी चाहिए ।

(vi) गृह में हर समय आपातकालीन किट उपलब्ध होनी चाहिए और बुलाने पर चिकित्सक के आने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(vii) स्वास्थ्य के साधारण उपाय अर्थात् स्वच्छता, दांत और त्वचा की देखरेख और आहार का पर्यवेक्षण किया जाए ।

(viii) बालक के समुचित विकास के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दिनचर्या में साधारण प्रेरणा तकनीकों को शुरू करके नर्सों, सहायकों में जागरूकता वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। यह भी सलाह दी जाती है कि फिजियोथैरेपिस्ट नियमित आधार पर बालकों की जांच करे ।

(c) **कर्मचारिवृंद** :

(i) अभिकरण के पास बालकों की देखरेख के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद होने चाहिए, अधिमानत: एक वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 4:1, एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए 5:1 और बड़े बालकों के लिए 8:1 के अनुपात में कर्मचारिवृंद होने चाहिए ।

(ii) दत्तकग्रहण गृहों में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता होती है जो बालकों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं । उन्हें बालकों की देखभाल में “शिक्षित” किए जाने की जरूरत है । यह सिफारिश की जाती है कि नर्सों, सहायकों, देखरेख कर्ताओं और अन्य कर्मचारिवृन्द के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि वे उन बालकों की, जो उनकी देखरेख में है, विशेष प्रास्थिति को पहचानने में सक्षम बन सकें ।

(iii) क्योंकि प्रतिबद्धित कर्मचारिवृन्द अच्छी बाल देखरेख का अभिन्न अंग होता है, अत: कर्मचारिवृन्द की प्रेरणा का स्तर ऊंचा रखा जाए ।

(iv) कर्मचारियों का भी प्रतिरक्षण किया जाए।

(घ) **कपड़े :**

यह महत्वपूर्ण है कि गृह में रहने वाले बालक हर समय साफ, आरामदायक और अच्छी तरह रखे गए कपड़े पहनें, न कि दत्तक माता-पिता से मुलाकात के दौरान।

(ड़) **भोजन :**

संस्था का भोजन स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ, पोषक और स्वादिष्ट होना चाहिए। व्यंजन सूची में भिन्नता होनी चाहिए। विशिष्ट भोजन लेने वाले बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इससे गृह में आने वाले बालकों के सामने आ रही कुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। सूत्रों के संकेत वाला आहार चार्ट प्रदर्शित किया जाए और उसका अनुपालन किया जाए।

(च) **शिक्षा :**

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को अर्हित शिक्षक और विशेष शिक्षक के माध्यम से अथवा किसी ऐसे विद्यालय से जुड़ कर जो बालक अथवा बालकों को अस्थायी आधार पर लेगा, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

टिप्पण : सभी दत्तकग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों कर देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अंतर्गत यथा-विनिर्दिष्टित बालक देखरेख के मानकों का अनुपालन करेंगे।

2. बालक देखरेख प्रदान करते समय, निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :

(क) बालक का स्नायविक विकास उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले कुछ वर्षों में ही पूरा हो जाता है और उसके शेष जीवन भर मस्तिष्क की क्षमताओं का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त, बालक को संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए 3 वर्ष की आयु तक सकारात्मक अनुराग का अनुभन करने की जरूरत होती है। इसलिए, विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों को ऐसे बालकों के लिए वैकल्पिक कुटुम्ब तलाश ने में जल्दी बरतनी चाहिए ताकि उनमें शैशवास्था के दौरान ही अनुराग और उचित बंधन अनुभव विकसित हो सके।

(ख) सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बालक के साथ बातचीत करना, आलिंगन करना, खेलना, कहानियां सुनाना और गीत गाना बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि यह कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए, इस कार्यकलाप को करने के लिए स्वयंसेवकों को भी प्रोत्साहित किया जाना उचित है।

(ग) गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख) से पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख, प्रतिरक्षण, आहार और पोषण प्रदान करना, सुरक्षित वातवारण तैयार करना ताकि शिशु और छोटे बालक अपने अभिजातों के साथ खेल सकें और सामाजिकीकरण कर सकें, स्कूल के लिए तैयारियों को बढ़ावा देना और बच्चों को प्राथमिक स्कूल के लिए तैयार करना और बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों के दौरान समग्र विकास पर ध्यान देना अभिप्रेत है।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि बालक, जब संस्था में रह रहा हो, के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की कोई घटना न हो।

अनुसूची 14

[विनियम 43 देखें]

संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा

क. बालकों से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा :

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	6(2)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण किसी परित्यक्त बालक को उसके फोटो और विवरण के साथ बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	24 घंटे के भीतर (यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर)।
2.	6(5) और 7(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक के फोटो के साथ उसका ब्यौरा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन प्रविष्ट करेगा।	बालक प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर।
3.	6(6)	जिला बालक संरक्षण एकक परित्यक्त बालक का विवरण और फोटो दर्शाने वाला विज्ञापन ऐसे राज्य स्तरीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसे व्यापक जनसमुदाय पढ़ता हो और जहाँ कहीं स्थानीय केबल नेटवर्क मौजूद हो, वहाँ उस नेटवर्क पर भी यह विज्ञापन दर्शाएगा।	बालक प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर।

4.	6(9)	जिला बालक संरक्षण एकक परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक को खोजने के लिए किए गए अपने प्रयासों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करेगा, जिसमें समाचार-पत्रों में बालक के विवरण और फोटो के प्रकाशन के परिणामों का भी उल्लेख हो।	बालक कल्याण समिति के समक्ष इस प्रयोजन के लिए बालक को उपस्थिति करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
5.	6(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक को खोजने के लिए किए गए अपने प्रयासों के संबंध में रिपोर्ट बालक कल्याण समिति को प्रस्तुत करेगा।	बालक कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख के से ठीक 30 दिनों के पश्चात्।
6.	7(17)	जैविक माता-पिता/विधिक संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित बालक पर पुनर्विचार की अवधि/पुनः दावा किया जाना।	अभ्यर्पण की तारीख से 60 दिन।
7.	7(18)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को बालक के अद्यतन फोटो के साथ अपलोड करेगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8.	8(क)	05 वर्ष तक की आयु का साधारण बालक दत्तकग्रहण के लिए निवासी भारतीय (आरआई) और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भावी दत्तक माता-पिता को उपलब्ध होगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 60 दिनों तक।
9.	8(ख)	05 वर्ष से अधिक आयु का अपेक्षाकृत बड़ा बालक और सहोदर भाई या बहन अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होगा/होंगे।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 30 दिन के बाद।
10.	8(ग)	मानसिक और शारीरिक रूप से नि:शक्त बालक अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होगा।	बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 15 दिन के बाद।

ख. निवासी भारतीयों के साथ-साथ भारत में रह रहे विदेशी भारतीय नागरिक/विदेशियों द्वारा दत्तकग्रहण की समय सीमा :

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	9(5)	भावी दत्तक माता-पिता अपने रजिस्ट्रीकरण के बाद दस्तावेज़ अपलोड करेंगे।	30 दिनों की निर्धारित समय सीमा में।
2.	9(10)	भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पूरी की जाएगी।	बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
3.	10(3)	भावी दत्तक माता-पिता एक बालक को आरक्षित करेंगे।	रैफर किए जाने की तारीख और समय से 48 घंटों के भीतर।
4.	10(6) और 10(7)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा आरक्षित किए गए बालक के मिलान की प्रक्रिया और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति।	बालक को आरक्षित किए जाने की तारीख से 20 दिनों के भीतर।
5.	12(1)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करेगा।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के मिलान की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर।

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
6.	12(6)	न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण याचिका का निपटान।	याचिका दायर किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर।
7.	12(8)	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके उसे भावी दत्तक माता-पिता को भेजेगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भी पोस्ट करेगा।	दत्तक ग्रहण आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8.	12(10)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर आवेदन करेगा और इसे पांच दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा।

ग. अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय नागरिक/विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण की समय सीमा :

क्र.सं.	विनियम	कार्रवाई	सीमा
1.	15(7)	प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ केंद्रीय प्राधिकरण/सरकारी विभाग/ भारतीय मिशन के माध्यम से केयरिंग्स से भावी दत्तक माता-पिता द्वारा एक बालक को आरक्षित किया जाना।	96 घंटों के भीतर
2.	15 (10)	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को स्वीकार किया जाना	30 दिनों के भीतर
3.	16(1)	कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के लिए स्वीकृति सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने और केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) के अनुमोदन की तारीख से दस दिनों के भीतर।
4.	12(1) और 17(1)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण न्यायालय में दत्तकग्रहण याचिका दायर करेगा।	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर।
5.	12(6)	न्यायालय द्वारा दत्तकग्रहण याचिका का निपटान	याचिका दायर किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर।
6.	12(8)	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके उसे भावी दत्तक माता-पिता को भेजेगा और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में भी पोस्ट करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश की तारीख से दस दिनों के भीतर।
7.	18(1)	कारा हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर।
8.	18(3)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक के पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर।
9.	18(4)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बालक का पासपोर्ट जारी करेगा।	पासपोर्ट का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
10.	18(5)	विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण बालक का जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करेगा।	दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर।

अनुसूची 15

[विनियम 47 देखें]

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) के दत्तकग्रहण आंकड़ों की तिमाही रिपोर्टिंग के लिए रुपविधान

<u>वित्तीय वर्ष.......................</u>

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) का नाम :

पता :

लैंडलाइन :

मोबाइल :

फैक्स :

ईमेल :

भाग I	देश के भीतर दत्तकग्रहण में स्थानन किए गए बच्चें की संख्या (दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख) *			न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए देश के भीतर दत्तकग्रहण #		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
पहली तिमाही (अप्रैल से जून)						
दूसरी तिमाही (जुलाई से सितम्बर)						
तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर)						
चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च)						
कुल						

भाग II	अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख *			न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए अंतरदेशीय दत्तकग्रहण #		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
पहली तिमाही (अप्रैल से जून)						
दूसरी तिमाही (जुलाई से सितम्बर)						
तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर)						
चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च)						
कुल						

* दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख से अभिप्रेत है, एक बालक जिसने सक्षम न्यायालय से दत्तकग्रहण न्यायालय के अंतिम आदेश लंबित होने की विशिष्ट अवधि के दौरान अपने दत्तक कुटुम्ब के साथ संस्था छोड़ दी है।

दत्तकग्रहण पूर्ण से अभिप्रेत है, विशिष्ट अवधि के दौरान न्यायालय आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है।

अनुसूची 16

[विनियम 34(12) देखें]

राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को बालक कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की मासिक रिपोर्ट

जिले का नाम:____________, राज्य ________________

रिपोर्ट का माह ________________, वर्ष _________ रिपोर्ट की तारीख:

भाग - क : दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों और विनिश्चय के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी।

बालक की श्रेणी	पिछले माह से लंबित मामलों की संख्या		वर्तमान माह में प्रस्तुत किए गए मामलों की संख्या		माह के दौरान दत्तकग्रहण के लिए विधिक रुप से मुक्त घोषित किए गए बालकों की कुल संख्या		बालक कल्याण समिति के समक्ष लंबित मामलों की संख्या			
							2 वर्ष से कम आयु के बालक		2 वर्ष से अधिक आयु के बालक	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	2 माह से अधिक समय से लंबित	4 माह से अधिक समय से लंबित	4 माह से अधिक समय से लंबित	6 माह से अधिक समय से लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनाथ										
परित्यक्त										
अभ्यर्पित										
अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)										
कुल										

भाग – ख : ____________माह के दौरान दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बालकों की सूची

क्र.सं.	बालक का नाम	जन्म की तारीख	लिंग	सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख और मामला संख्या	बालक को प्रस्तुत करने वाले बालक देखरेख संस्था (सीसीआई) / विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए) का नाम और पता	श्रेणी (अनाथ/ परित्यक्त/ अभ्यर्पित)	बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के लिए एसएए/ सीसीआई से सीडब्ल्यूसी को आवेदन प्राप्त होने की तारीख	बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त किए जाने की तारीख	लंबित होने के कारण, यदि घोषित नहीं किए गए हैं

टिप्पण : उपरोक्त सूचना संबंधित एसएए/डीसीपीयू द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की जाएगी और संबंधित डीसीपीयू, जहां कहीं अपेक्षित हो, भौतिक सत्यापन के माध्यम से रीयल टाइम आधार पर उसको आगे बाल कल्याण समिति को संप्रेषित करने के लिए वैद्यीकरण करेगी। डीसीपीयू आंकड़ों की सत्यता के लिए जिम्मेवार होगी।

अनुसूची 17

[विनियम 34(12) देखें]

दत्तकग्रहण के मामलों की रिपोर्ट का फार्मेट

भाग – I : ___________माह, वर्ष______ के दौरान बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तकग्रहण के मामलों की सूचना

न्यायालय का नाम ____________________________, जिला_______________, राज्य___________

क्र.सं.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 56 (2) के अधीन देश में नातेदारी दत्तकग्रहणों की संख्या	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 58 के अधीन देश में दत्तकग्रहणों की संख्या	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 59 के अधीन अंतरदेशीय दत्तकग्रहणों की संख्या	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 60 के अधीन अंतरदेशीय नातेदारी दत्तकग्रहणों की संख्या
	1	2	3	4

भाग -II: दत्तकग्रहण के मामलों का ब्यौरा:

क्र.सं.	किए गए दत्तकग्रहणों की श्रेणी	बालक का नाम, लिंग और जन्म की तारीख	दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता और बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या	संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण / बालक देखरेख संस्था और उनका पता (जहां कहीं लागू हो)	संबंधित न्यायालय	दत्तकग्रहण याचिका संख्या	दत्तक ग्रहण याचिका दायर करने की तारीख	दत्तकग्रहण आदेश की तारीख
1	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 56(2) के अधीन देश के भीतर दत्तकग्रहण							
	कुल							
2	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 58 के अधीन देश के भीतर दत्तकग्रहण							
	कुल							
3	किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 59 के अधीन अंतर देशीय संबंधियों द्वारा दत्तकग्रहण							
	कुल							

4	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 60 के अधीन अंतरदेशीय दत्तकग्रहण नातेदारी (कुटुम्ब) दत्तकग्रहण							
	कुल							
	कुल-योग (1+2+3+4)							

(**टिप्पणी** : स्तंभ 2 और 3 से संबंधित सूचना संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण और पैरा 1 और 4 से संबंधित सूचना दत्तक माता-पिता द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन डाली जाएगी।

अनुसूची 18

[विनियम 2(21) और 48(3) देखें]

दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेष जरूरतों वाले बालकों का वर्गीकरण

क. शारीरिक

1. रिफ्रेक्टरी या गंभीर रिकेट (अस्थि)
2. ऐल्बिनिज्म (आनुवंशिकीय)
3. जन्मजात ऐस्फिक्सिया
4. दृष्टिहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन
5. रक्त संबंधी विकार (उदाहरणार्थ गंभीर रक्ताल्पता, जिसके लिए खून चढ़ाने की आवश्यकता हो)
6. मस्तिष्क को क्षति के परिणामस्वरूप शारीरिक/तंत्रिका संबंधी या संज्ञानात्मक दुर्बलता (शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित)
7. जलना (त्वचा)
8. कैंसर
9. मस्तिष्क पक्षाघात
10. क्रोमोज़ोम संबंधी अपसामान्यता (आनुवंशिकीय)
11. क्रोनिक अस्थमा
12. क्रोनिक ऐक्जीमा
13. क्लेफ्ट लिप-क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप
14. क्लब फीट
15. कॉलन ब्लॉक
16. कॉलस्टोमी
17. बधिर या आंशिक रूप से बधिर
18. मधुमेह
19. डिस्लोकेटिड हिप्स
20. बौनापन (आनुवंशिकीय)
21. एक्टोडर्मल डिस्प्लैसिया (कोई स्वीट ग्लैंड न होना)
22. ऐलिफैन्टाइटिस
23. घातक ऐल्कोहल सिन्ड्रोम

24. अंगुलियों/पंजों का जुड़ा होना (सिंडैक्टाइली)
25. अंगुलियों-पंजों का न होना
26. ग्रोथ हार्मोन की कमी
27. हीमोफीलिया
28. हेयर लिप
29. गंभीर हृदय रोग
30. हैपेटाइटिस बी +
31. हर्निया
32. एचआईवी
33. हाइड्रोसिफेलस
34. हाइपरटोनिया
35. इक्टायोसिस (कौलोडियन बेबी) (त्वचा)
36. लिंग का अनिश्चित होना (आनुवंशिकीय)
37. सक्रिय कुष्ठ
38. अंग न होना
39. जन्म के समय वजन कम होना (1800 ग्राम से कम)
40. माइक्रोसिफेली (तंत्रिका संबंधी)
41. गुदा पथ न होना
42. कोई एक गुर्दा न होना - शारीरिक
43. मूत्र-मार्ग संबंधी विसंगतियां – शारीरिक
44. एक अंडकोश न होना
45. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया
46. अंग न होना
47. विकलांग व्यक्ति
48 पियरे रोबिन सिन्ड्रोम
49. पोलियो-शारीरिक
50. समय से पूर्व जन्मे बालक (34 सप्ताह से पूर्व)
51. रेटिना अलग होना
52. सीवियर डिस्फिगरिंग बर्थ मार्क्स
53. गंभीर अस्थि रोग होना
54. स्पीच डिस्फंक्शन-डिस्फेसिया
55. भेंगापन (गंभीर)
56. हकलाना (केवल गंभीर मामले)
57. रुक-रुक कर बोलना (केवल गंभीर मामले)
58. बीटा थैलासीमिया, थैलासीमिया मेजर
59. ट्यूमर

ख. मानसिक

1. पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित ऑटिज्म
2. मनश्चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता वाले बालक
3. बोलने संबंधी बाधाओं से ग्रस्त बालक
4. बौद्धिक रूप से विकलांग (पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित)
5. शिक्षण संबंधी गंभीर विकलांगता (पैडियाट्रिक न्यूरोलोजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित)
6. मानसिक रोग

ग. स्नायविक

1. मल्टीपल स्लेरोसिस
2. लकवा
3. स्पाइनल बाइफीडा
4. मिर्गी / दौरे / कन्वल्जन्स (फैब्राइल कन्वल्जन्स को न छोड़ते हुए
5. तंत्रिका संबंधी रोग – शिशु-चिकित्सक द्वारा प्रमाणित

घ. कोई अन्य

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित विकलांगताओं से ग्रस्त अन्य कोई बालक

टिप्पण : इस अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों की श्रेणियां (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के पैनल की सहायता से संकलित) निदर्शी हैं, व्यापक नहीं ।

अनुसूची 19

[विनियम 51(2) और 55(1) देखें]

नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति

क. मैंने/हमने, अधोहस्ताक्षरी ने

आगे दर्शाए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे/हमें अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है और मैं/हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन को कह रहे हैं।

जैविक पिता	**जैविक माता**
पारिवारिक का नाम: .... प्रथम नाम: .... जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ... स्थायी पता: .... -------------------------------------	पारिवारिक का नाम: .... प्रथम नाम: .... जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ... स्थायी पता: .... -------------------------------------

मैं/हम

(i) एतदद्वारा बालक से अपना विधिक संबंध समाप्त करता/करती हूँ /करते हैं।

(ii) यह समझता/समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और हमारे संबंधी को दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू हो)।

(iv) यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि हमारी यह सहमति भुगतान या किसी भी प्रकार के प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

(v) अपने बालक/बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धरा 2 (52) की परिभाषा आने वाले अपने संबंधी को दत्तकग्रहण में देने के लिए सहमत हूँ/सहमत हैं ।

बालक का पारिवारिक नाम: ....

प्रथम नाम: ....

लिंग: पु. [ ] स्त्री. [ ]

जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ....

जन्म स्थान: ....

पता: ....

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।

................में ....को हस्ताक्षरित

(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

जैविक पिता

जैविक माता

टिप्पण : यदि जैविक माता/पिता जीवित नहीं है, जैविक माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

ख. यदि बालक ने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उस बालक की सहमति

जैविक माता-पिता के प्रतिहस्ताक्षर

ग. बालक/बालकों का दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता अथवा पिता (माता-पिता)

दत्तकग्रहण करने वाला पिता	दत्तकग्रहण करने वाली माता
पारिवारिक नाम:	पारिवारिक नाम: ....
प्रथम नाम:	प्रथम नाम: ....
जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ...	जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ...
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....
-------------------------------------	बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध :
बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध :	

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी

(i) ऊपर क पर उल्लिखित बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए मेरी/अपनी स्वेच्छा से मेरी/हमारी सहमति देता हूँ/ देते हैं।

(ii) यह समझता/समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी एवं विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त कथनों को भलीभांति सममझ लिया है।

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

घ . गवाहों द्वारा घोषणा

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी गवाह उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।

(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

................में ....को हस्ताक्षरित

(जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता/संरक्षकों और गवाहों के फोटो सामने चिपकाए और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।)

अनुसूची 20

[विनियम 52(2) और 55(2) देखें]

किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए जैविक माता/पिता और सौतेले

माता या पिता की सहमति

क. मैं/हम अधोहस्ताक्षरी :

जैविक पिता	**जैविक माता**
पारिवारिक नाम: .... प्रथम नाम: .... जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ... स्थायी पता: .... -------------------------------------	पारिवारिक नाम: .... प्रथम नाम: .... जन्म की तारीख : तारीख .... माह .... वर्ष ... स्थायी पता: .... -------------------------------------

(i) मेरे/अपने बालक/बालकों (नाम, लिंग, जन्म की तारीख) से मेरा/अपना नैसर्गिक संबंध समाप्त/अभ्यर्पित करता/करती हूँ/करते हैं।

(ii) यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता या पिता और जैविक माता या पिता के साथ माता/पिता और बालक का स्थायी एवं विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) यह प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि बालक/बालकों ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता/पिता को माता या पिता के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू न हों, काट दें)।

(iv) यह प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी उक्त सहमति स्वतंत्ररूप से दी गई है और किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

(v) यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।

................में ....को हस्ताक्षरित

(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

जैविक पिता **जैविक माता**

ख. क (i) पर उल्लिखित बालक की बाल कल्याण समिति के समक्ष सहमति, यदि उसने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली है

जैविक माता-पिता के प्रतिहस्ताक्षर

____

ग. बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाला सौतेले माता/पिता और जैविक माता या पिता

पारिवारिक नाम: ....

प्रथम नाम: ....

जन्म तिथि: तारीख .... माह .... वर्ष ...

स्थायी पता: ....

हम, अधोहस्ताक्षरी

(i) ऊपर क (i) पर उल्लिखित बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए स्वतंत्ररूप से अपनी सहमति देता/देती हूँ।

(ii) यह समझता/समझती हूँ कि इस दत्तकग्रहण से बालक/बालकों का मेरे साथ इस संबंध से जुड़े सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ स्थायी माता/पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त कथनों को पूरी तरह समझ लिया है।

................में ....को हस्ताक्षरित

(सौतेले माता/पिता और जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

सौतेले माता/पिता **जैविक माता-पिता**

घ. गवाहों द्वारा घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हूँ।

(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

मैं, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हूँ।

(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

................में ....को हस्ताक्षरित

टिप्पणी :

(i) यदि जैविक माता/पिता जीवित नहीं है, उनका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

(ii) जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता, बालक/बालकों का दत्तकग्रहण वाले पति/पत्नी और गवाहों के फोटो प्रपत्र में सामने चिपकाए और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।

(iii) यदि पति-पत्नी दोनों द्वारा अपने-अपने पूर्व के विवाह से बालकों का परित्याग/अभ्यर्पण किया जा रहा है, तो अलग-अलग सहमति पत्र भरा जाएगा ।

(iv) किसी भी बालक को एक दंपत्ति को तब तक दत्तकग्रहण में नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष पूरे न कर लिए हों ।

जैविक माता-पिता का फोटा	बालक का फोटो	सौतेले माता-पिता का फोटो

ड़. बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र

ऊपर उल्लिखित कथनों/सहमतियों और समर्थित दस्तावेज़ों के आधार पर बाल कल्याण समिति .... (जिले का नाम) क (i) पर उल्लिखित बालक/बालकों को केवल ------------------------------- (सौतेले माता या पिता) और .... (जैविक माता या पिता) द्वारा दत्तकग्रहण करने के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करती है।

................में ....को हस्ताक्षरित

बाल कल्याण समिति की मुहर **बाल कल्याण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर**

अनुसूची 21

[विनियम 54(1) देखें]

अंतरदेशीय नातेदार को दत्तकग्रहण के मामलों में बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट

<u>घर के दौरे की तारीख</u>

1. बालक का व्यक्तिगत ब्यौरा

1.1 बालक का पूरा नाम:

1.2 लिंग: ☐ पु. ☐ स्त्री

1.3 जन्म की तारीख (बालक का जन्म प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है):

1.4 जन्म-स्थान:

1.5 धर्म:

1.6 बोली जाने वाली भाषा (यदि लागू हो):

1.7 कुटुम्ब में जन्म का क्रम:

1.8 मौजूदा शैक्षणिक स्थिति:

1.9 क्या बालक अपने दत्तकग्रहण के विषय में अपनी भावनाएं/विचार व्यक्त कर सकता/सकती है? ☐ हां ☐ नहीं

1.10 यदि बालक की आयु 5 वर्ष से अधिक हो तो सामाजिक कार्यकर्ता को प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अंग्रेजी में बालक की सहमति का लिखित कथन/कथन का अनुवाद संलग्न करना होगा।

1.11 विकलांगता/विशेष जरूरतें (यदि कोई हों तो चिकित्सा जांच रिपोर्ट में दर्शाई जाएं)

☐ हां ☐ नहीं

1.12 क्या बालक से दत्तकग्रहण के प्रभावों के विषय में पूर्ण परामर्श किया गया है?

☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं (लागू नहीं यदि बालक की आयु 5 वर्ष से कम हो)

1.13 क्या बालक यह जानता है कि दत्तकग्रहण के कारण उसका अपने जैविक माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का संबंध विधिक रूप से समाप्त हो जाएगा?

☐ हां ☐ नहीं (लागू नहीं यदि बालक की आयु 5 वर्ष से कम हो)

1.14 बालक के साथ परामर्श किसने किया है?

☐ माता-पिता ☐ संरक्षक ☐ बालक कल्याण समिति ☐ सामाजिक कार्यकर्ता ☐ अध्यापक ☐ अंकल ☐ आंटी ☐ भाई/बहन ☐ दादा-दादी/नाना-नानी

अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)

1.15 बालक का सामान्य व्यक्तित्व और वर्णन:

1.16 बालक की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि:

2. बालक के जैविक माता-पिता या संरक्षक का ब्यौरा, जैसी भी स्थिति हो।

पिता/संरक्षक का ब्यौरा		**माता/संरक्षक का ब्यौरा**	
जन्म की तारीख और आयु		जन्म की तारीख और आयु	
धर्म		धर्म	
राष्ट्रीयता		राष्ट्रीयता	
मौजूदा और स्थायी पता		मौजूदा और स्थायी पता	
शैक्षिक अर्हताएं		शैक्षिक अर्हताएं	
मौजूदा व्यवसाय		मौजूदा व्यवसाय	
कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाना है)		कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाना है)	
क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाना है)		क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाना है)	

3. जैविक माता-पिता/संरक्षक के साथ रह रहे कुटुम्ब के अन्य सदस्यों का ब्यौरा (अन्य व्यक्ति जो घर में या घर से बाहर रहते हैं)

पूरा नाम	आयु/लिंग	व्यवसाय का ब्यौरा	वैवाहिक स्थिति	बालक से संबंध

4. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के विचार :

5. जिला बालक संरक्षण एकक की टिप्पणियां:

(जिला बालक संरक्षण एकक को जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के विषय में परामर्श प्रदान करना है, किसी नातेदार को बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव करने के कारण बताने हैं । इसके अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण एकक को यह उल्लेख करना है कि क्या दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता ने बालक से विचार-विमर्श किया है, यदि हां तो कब, तथा दत्तकग्रहण के कारण या उद्देश्य । जिला बालक संरक्षण एकक जैविक कुटुम्ब के घर का वर्णन भी करे तथा यह भी बताए कि क्या बालक/बालकों के माता-पिता भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के संपर्क में हैं, रहने के स्थान तथा दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब के साथ बालक का फोटो इत्यादि।

6. क्या परिकल्पित दत्तकग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित में है:

जिला बालक संरक्षण अधिकारी के संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

पता:

<u>रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u>

क) जैविक परिवार/संरक्षक के निवास का साक्ष्य

ख) जैविक परिवार/संरक्षक की आय का साक्ष्य

ग) जैविक परिवार/संरक्षक की जन्म-तिथि का साक्ष्य

घ) यदि जैविक माता-पिता बीमार हों तो उनका चिकित्सा प्रमाणपत्र

ङ) बालक के जन्म की तारीख का साक्ष्य

च) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट

अनुसूची 22

[विनियम 51(2) देखें]

बालक के संरक्षक की उसके संबंधी द्वारा दत्तकग्रहण के लिए सहमति पर बालक कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों/सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)

I. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी आगे दर्शाई गई घोषणा बालक कल्याण समिति (जिला-------------) के समक्ष करता/करती हूं/करते हैं:

पुरुष संरक्षक	**महिला संरक्षक**
नाम ………………………………….. उप नाम ………………………………. सुपुत्र ……………………………………., जन्म की तारीख : तारीख … माह ….. वर्ष…….. स्थायी पता: …………………………... मौजूदा पता: ……………………….	नाम ………………………………….. उप नाम ………………………………. पत्नी/सुपुत्री ……………………………………., जन्म की तारीख : तारीख … माह ….. वर्ष…….. स्थायी पता: …………………………... मौजूदा पता: ……………………….
घोषणा करते हैं कि:	
जो बालक (नाम) ………………………. (उपनाम) ……………………………………. लिंग: पु. [ ] स्त्री. [ ], जन्म की तारीख : तारीख ….. माह ….. वर्ष……, जन्म स्थान ………., सुपुत्री/सुपुत्र ………………………….., स्थायी निवासी ………………………………………………………………और फिलहाल ……………. ……………………………………………. पते पर रहा है, वह बालक अपने माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो जाने के कारण मेरी/हमारी अभिरक्षा में है। उपर्युक्त बालक/बालकों के नैसर्गिक माता-पिता मेरे/हमारे ___________________है/हैं (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट करें और समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)।	

मैं/हम

(i) -----------नामक बालक को दत्तकग्रहण के लिए मेरे/हमारे संबंधी को अभ्यर्पित किए जाने के लिए सहमति प्रदान करता/करती हूँ /करते हैं।

(ii) एतदद्वारा उक्त बालक या बालकों के साथ संरक्षक-प्रतिपाल्य का विधिक संबंध समाप्त करता/करती हूँ /करते हैं।

(iii) यह समझता/समझती हूँ /समझते हैं कि उक्त बालक का दत्तकग्रहण भारत या विदेश में रह रहे उनके संबंधी द्वारा किया जाएगा।

(iv) यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि इस बालक के दत्तकग्रहण से उसका दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता–बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।

(v) मेरा/हमारा बालक पर कोई अधिकार नहीं होगा।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक तरह समझ लिया है।

मुझे/हमें अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है।

मैं/हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन पर हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ / रहे हैं।

................में ....को हस्ताक्षरित

[संरक्षक/संरक्षकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

II. बालक का दत्तकग्रहण कर रहे बालक के संबंधी की स्वीकृति :

दत्तक पिता	**दत्तक माता**
पारिवारिक नाम : .... पहला नाम : .... जन्म की तारीख : तारीख ... माह ..... वर्ष........ स्थायी पता: ....… ....…	पारिवारिक नाम : .... पहला नाम : .... जन्म की तारीख : तारीख ... माह ..... वर्ष........ स्थायी पता: ....… ....…

मैं/हम

(i) यह स्वीकार करता हूँ/करते हैं और समझता हूँ/समझते हैं कि इस बालक का दत्तकग्रहण हमारे साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध सृजित करेगा।

(ii) प्रमाणित करता हूँ /करते हैं कि सहमति किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने उक्त कथन को पूर्णरूप से समझ लिया है।

................में ....को हस्ताक्षरित

[दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

दत्तक पिता **दत्तक माता**

III. गवाहों द्वारा घोषणा

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी गवाह बालक/बालकों के संरक्षक को भली भांति जानता/जानती हूँ/जानते हैं और सहमति/अभ्यर्पण के उपर्युक्त कथन के साक्षी हूँ /हैं।

(क) प्रथम गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

(ख) द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता

....

....

संरक्षक का फोटा	बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

IV. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

नाम: ....

पदनाम: ....

बालक कल्याण समिति .... एतदद्वारा यह प्रमाणित करती है कि उपर्युक्त व्यक्ति और गवाह(हों) ने समिति के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

................में ....को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर और मुहर

बालक कल्याण समिति

अनुसूची 23

[विनियम 12(11) देखें]

------------------ बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में न्यायालय को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

1. ____________पर स्थित ___________ में ____________ के रूप में कार्यरत का शपथपत्र

2 मैं शपथपूर्वक एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि:

क) ______________बालक (नाम, लिंग और जन्म की तारीख) का ब्यौरा ऑनलाइन बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में दर्ज कर दिया गया है तथा इस बालक को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से दिया गया यूनीक नंबर ____________है।

ख) कि बालक कल्याण समिति _______________ ने बालक को ________________ को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया है।

ग) कि बालक का ब्यौरा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से ऑनलाइन चाइल्ड रैफरल प्रणाली में प्रतीक्षारत भावी दत्तकग्रहण माता-पिता को भेजा गया और बालक को मौजूदा भावी दत्तक माता-पिता (रजिस्ट्रीकरण संख्या और नाम) _______________ ने दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या ________________ में यथा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार कर लिया है।

घ) कि _____________________________ द्वारा तैयार की गई भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उपयुक्त पाई गई है।

ङ) कि दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या______________के अधीन गठित दत्तकग्रहण समिति ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में निर्णय लिया है और तदनुसार ______________न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन दायर किया गया है।

या

कि अंतरदेशीय प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने तारीख ------------- को जारी कर दिया है (जो भी लागू न हो, उसे काट दें)।

च) कि इस मामले में अपनाई गई दत्तकग्रहण प्रक्रिया में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा ________________ और दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या ________________ का अनुपालन किया गया है।

छ) कि हमारे संगठन ___________________ को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में संचालन के लिए ___________________ राज्य सरकार ने संख्या ___________________, तारीख ___________________ द्वारा मान्यता प्रदान की है, जो कि तारीख ___________________ तक विधिमान्य है।

ज) कि विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण को केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित मात्र ___________________रुपए का दत्तकग्रहण शुल्क प्राप्त हुआ है।

झ) कि मैं अपनी यह वचनबद्धता व्यक्त करता हूं कि मैं दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान या यह प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता या उनके संबंधियों से या उनकी प्रायोजक एजेंसी के माध्यम से किसी भी रूप में कोई दान प्राप्त नहीं करूंगा।

ञ) कि उपर्युक्त तथ्य मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि यदि उपर्युक्त तथ्य सत्य न पाए गए तो परिणामों के लिए मैं उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।

सत्यापन

कि मैं ___________________, उपर्युक्त अभिसाक्षी यह सत्यापित करता/करती हूं कि उपर्युक्त शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

पर सत्यापित अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की गई और हस्ताक्षर किए गए

______________________ को

मेरी उपस्थिति में।

अनुसूची 24

[विनियम 51(4)]

देश में नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के मामलों में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (52) में यथा परिभाषित बालक के साथ अपने संबंध और विनियम 51 के उप-विनियम 4 के अनुसार वित्तीय और सामाजिक स्थिति के समर्थन में दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता का शपथपत्र

नातेदार कुटुम्ब श्री _________ और श्रीमती_________ निवासी ___________________, से बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए श्री________ और श्रीमती________ निवासी ____________________, का अपनी सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय प्रास्थिति के विषय में शपथपत्र।

1. कि मैं/हम __________वर्ष से _________________में रह रहा/रही/रहे भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
2. कि दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक मेरा _________ है और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(52) में यथा उपबंधित संबंध मानदंडों की पूर्ति करता है।
3. कि सभी स्रोतों से मेरी/हमारी कुल वार्षिक आय _______ रुपए है, जो कि हमारे निवासस्थान के स्थानीय मानकों के अनुसार हमारे कुटुम्ब में बालक का पालन-पोषण करने के लिए युक्तियुक्त है।

सत्यापन

कि मैं/हम ___________________, उपर्युक्त अभिसाक्षी यह सत्यापित करता/करती हूं/करते हैं कि उपर्युक्त शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

पर सत्यापित अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की गई और हस्ताक्षर किए गए

______________________ को

मेरी उपस्थिति में।

अनुसूची 25

[विनियम 26(3) देखें]

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरणों के निरीक्षण का प्रारुप

1. संस्था के बारे में सूचना

संस्था का नाम: ---

संस्था का पता:---

टेलिफोन नंबर:

ईमेल:

राज्य का नाम:

निरीक्षण की तारीख: -

निरीक्षण टीम:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

पिछले निरीक्षण की तारीख:

निरीक्षणकर्ता:

2. विधिक प्रास्थिति

क्र.सं.	**रजिस्ट्रीकरण/मान्यता की स्थिति**	
i.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	सं. तारीख:
ii.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अधीन बालक देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण और उसकी विधिमान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :
iii.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65(1) के अधीन बालकों के दत्तकग्रहण के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :
iv.	विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम रजिस्ट्रीकरण सं. यदि कोई हो और उसकी विधिमान्यता	सं. विधिमान्यता अवधि :

3. कर्मचारिवृंद

3.1 विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कर्मचारी, यदि उसे आईसीपीएस के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हो रहे हो।

स्वीकृत पद	कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	अर्हताएं और अनुभव
प्रबंधक/समन्वयकर्ता (1)			
सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (1)			
नर्स (1)			
डॉक्टर (अंशकालिक)			
आयाएं (6)			
चौकीदार (1)			
विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के वेतनपत्रक में शामिल अन्य कोई कर्मचारी			
स्वयंसेवी का नाम, यदि कोई हो			

3.2 विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के कर्मचारी, यदि उसे आईसीपीएस के अंतर्गत अनुदान प्राप्त न हो रहे हो।

पद	कर्मचारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	अर्हताएं और अनुभव

4. स्थापित समितियां

समिति	पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित बैठकें	निरीक्षण टीम की टिप्पणियां
प्रबंधक समिति/नियंत्रक निकाय		
दत्तकग्रहण समिति		
गृह प्रबंधन समिति		
अन्य कोई समिति		

5. दस्तावेज और अभिलेख रखरखाव (कृपया जहां कहीं अपेक्षित हो वहां √ चिह्न लगाएं)

दत्तकग्रहण विनियमनों के अनुसार विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख/रजिस्टर	टिप्पणियां
i. मास्टर दाखिला रजिस्टर ii. बालकों का उपस्थिति रजिस्टर	

iii. कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर iv. वाउचर, रोकड़-बही, लैजर, जर्नल और वार्षिक लेखा v. अनुदान उपयोग रजिस्टर vi. स्टॉक रजिस्टर vii. प्रबंधक समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख viii. दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख	
क्या विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा रखी जाने वाली मामला फाइलों में दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 8** में उल्लिखित दस्तावेज शामिल हैं और निरीक्षण टीम की टिप्पणियां?	

6. केयरिंग्स एवं बालकों की प्रास्थिति

6.1 बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालकों की प्रास्थिति (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक प्रास्थिति का मिलान कर सकती है)

अनाथ परित्यक्त और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में अभ्यर्पित और बालक देखरेख संस्था से संबद्ध बालक का नाम	बालक/ बालिका	जन्म की तारीख	दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक और मुक्त घोषित किए जाने की तारीख	दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में शामिल मामले	दो माह से अधिक न्यायालय में लंबित मामले

6.2 बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में विधिक रूप से मुक्त बालकों की स्थिति (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक प्रास्थिति का मिलान कर सकती है)

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में और बालक देखरेख संस्था से संबद्ध बालक	फोटो अपलोड किए गए हैं	बालक अध्ययन रिपोर्ट अपलोड की गई है	चिकित्सा जांच रिपोर्ट अपलोड की गई हैं	बालक कल्याण समिति के प्रमाणपत्र अपलोड किए गए हैं	टिप्पणियां

6.3 केयरिंगस में लंबित दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्ती रिपोर्टें (टीम दौरे के समय ऑनलाइन आंकड़ों से वास्तविक स्थिति का मिलान कर सकती है)

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण में और बालक देखरेख संस्था से संबद्ध बालक	अपलोड किए गए न्यायालय के आदेश	लंबित दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन	टिप्पणियां

6.4 पिछले तीन वर्षों में व्यवधान के मामले, यदि कोई हों

वर्ष	याचिका दायर करने से पहले दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख के चरण में	न्यायालय में याचिका दायर कर दिए जाने के बाद दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख के चरण में	दत्तकग्रहण आदेश जारी किए जाने के बाद	टिप्पणियां

6.5 एक महीने से अधिक समय लंबित रहने वाली गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रास्थिति

रजिस्ट्रीकरण संपन्न होने की तारीख से एक महीने से अधिक समय से गृह अध्ययन रिपोर्ट लंबित रहने के मामले	लंबित रहने की अवधि और लंबित रहने के कारण	निरीक्षण टीम की टिप्पणियां

7. अवसंरचना

7.1 भवन:

(क) किराए का: ------------------------- अपना: ---

यदि किराए का हो तो हर महीने भुगतान किए जाने वाले किराए का ब्यौरा और किराया करार की प्रति :

....

(ख) क्या प्रवेश-द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं : हां नहीं

(ग) क्या बालकों के लिए पर्याप्त स्थान है: हां नहीं

7.2 उपलब्ध स्थान:

कमरों/शयनशालाओं की संख्या	ब्यौरा
रूग्ण कक्ष/चिकित्सा इकाई का उपबंध	
परामर्श कक्ष	
बालकों के लिए मनोरंजन/कार्यकलाप कक्ष	
i. क्या केबल नेटवर्क के साथ टीवी सेट उपलब्ध है ?	हां नहीं
ii. आमतौर पर किस समय बालकों को टीवी देखने की अनुमति है?	शाम को या किसी भी समय
iii. क्या बालक इनडोर गेम खेलते हैं?	हां नहीं
iv. उन्हें कौन से खेल उपलब्ध हैं?	आयु के अनुसार खेल हैं या नहीं
v. क्या बालक आउटडोर गेम खेलते हैं?	हां नहीं
vi. क्या उनके पास खेलने के उपस्कर/सहायक सामग्री है?	हां नहीं
vii. क्या बालक पिकनिक/ सैर-सपाटे के लिए बाहर जाते हैं?	हां नहीं
viii. क्या उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है?	हां नहीं
ix. क्या बालकों को मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है?	हां नहीं

रसोईघर/खाना खाने के लिए कक्ष	
i. क्या खाना पकाने का क्षेत्र और पैन्ट्री पृथक है?	हां नहीं
ii. क्या बालकों को अपने लिए अलग प्लेटें, मग और गिलास इत्यादि मिलते हैं?	हां नहीं हां नहीं
iii. क्या खाना पकाने के बर्तन पर्याप्त और स्वच्छ हैं?	हां नहीं
iv. क्या बालकों के लिए फ्रिज उपलब्ध है?	हां नहीं
v. क्या बालकों के लिए ऑवेन उपलब्ध है?	हां नहीं
vi. क्या रसोईघर में गैस स्टोव उपलब्ध है?	हां नहीं
vii. क्या चिमनी उपलब्ध है?	बालकों से सुरक्षित दूरी पर है या नहीं
viii. गैस सिलिंडर रखने की व्यवस्था क्या है?	हां नहीं
ix. नहाने-धोने, खाना पकाने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति है?	हां नहीं
x. पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है (आरओ)?	हाथों से या मशीनों से
xi. खाना मशीनों से पकता है या रसोइया पकाता है?	
बालकों के लिए शौचालयों या स्नानगृहों की संख्या	
i. फ्लश काम कर रहा है	हां नहीं
ii. वाशबेसिन के नल काम कर रहे हैं	हां नहीं
iii. क्या फर्श फिसलन भरा है	हां नहीं
iv. नालियां साफ हैं	हां नहीं
v. नालियां भरी हुई हैं	हां नहीं
vi. कपड़े/तौलिया टांगने के लिए फिटिंग लगी हुई है	हां नहीं
vii. मकड़ियों के जाले साफ किए जाते हैं	हां नहीं
viii. दरवाजे में कुंडी है	हां नहीं
ix. दरवाजे में पीप होल हैं	हां नहीं
x. किसी बालक को कितनी बार नहाने की अनुमति है	दिन में एक बार
xi. पर्याप्त जल उपलब्ध है	
xii. बालटियों और डिब्बों की संख्या पर्याप्त है	हां नहीं
xiii. क्या व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री दी जाती है	हां नहीं
xiv. क्या वॉशिंग पाउडर या साबुन दिया जाता है	हां नहीं
xv. क्या बालक स्वयं अपने कपड़े धोते हैं	हां नहीं
xvi. क्या कोई धोबी उपलब्ध है	हां नहीं
xvii. क्या वाशिंग मशीन काम कर रही है	हां नहीं हां नहीं
चारदीवारी से बाहर चलाए जाने वाले कार्यकलापों के लिए खुला स्थान	**टिप्पणियां:**
कक्षाएं	

7.3 परिसर

क) क्या गृह का इनडोर बालकों के लिए अनुकूल है? हां नहीं

ख) दिन में कितनी बार झाड़ू-पोंछा किया जाता है? दिन में दो या इससे अधिक बार

ग) क्या कक्षा के समय बालकों से सफाई कार्य कराए जाते हैं? हां नहीं

घ) क्या बालकों के लिए कूलर/हीटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हां नहीं

ङ) क्या दरवाजों और खिड़कियों का समुचित रखरखाव किया जाता है? हां नहीं

च) क्या कमरों और शयनशालाओं में हवा की पर्याप्त आवाजाही है? हां नहीं

छ) जब बिजली की आपूर्ति उपलब्ध न हो तब क्या लाइटें और पंखे चलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? हां नहीं

ज) क्या आउटडोर स्वच्छ, खुशनुमा और बालकों के अनुकूल है? हां नहीं

7.4 बालकों को दिए जाने वाले कपड़े/बिस्तर/लॉकर/प्रसाधन सामग्री:

क) क्या कपड़े आकार और मौसम के अनुसार दिए जाते हैं हां नहीं

ख) किशोर अधिनियम, 2015 के अनुसार अंडरगार्मेंट का प्रावधान हां नहीं

ग) नए कपड़े सिलवाए जाते हैं या सिले-सिलाए खरीदे जाते हैं सिलवाए या सिले-सिलाए खरीदे जाते हैं

घ) क्या प्रत्येक बालक को मैट्रेस अलग से दिए जाते हैं हां नहीं

ङ) क्या प्रत्येक बालक को अलग से तकिए दिए जाते हैं हां नहीं

च) क्या मैट्रेस और तकिए साफ-सुथरे होत हैं हां नहीं

छ) क्या बालकों के पास अलग-अलग अलमारियां हैं हां नहीं

ज) क्या बेड शीट और खेस उपलब्ध कराए जाते हैं हां नहीं

झ) क्या सर्दियों में कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं हां नहीं

ञ) नए आने पर उपलब्ध कराए जाने वाले सेटों की संख्या एक/दो/तीन/चार

ट) नए कपड़े कितनी बार दिए जाते हैं हर महीने/तीन महीने में

ठ) ये सेट एक ही रंग के होते हैं या अलग-अलग रंगों के होते हैं? एक ही रंग/अलग-अलग रंगों के

ड) क्या बालकों को अपना निजी सामान रखने के लिए व्यक्तिगत लॉकर दिए जाते हैं हां नहीं

बालकों को दी जाने वाली अन्य वस्तुएं: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………

7.5 बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

(क) चिकित्सीय सुविधाएं/स्वास्थ्य कार्डों का रखरखाव: …………………………………......

………………………………………………………………………………………………

(ख) पोषण/विशेष आहार: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(ग) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान:

....

....

(घ) शिक्षा (औपचारिक शिक्षा/एनएफई और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम) :

………………………………………………………………………………………………

....

(ङ) प्रदान की जाने वाली परामर्श/मार्गदर्शन सेवाएं:

……………………………………..…………………………………………………

(च) बालकों को फीजियोथैरेपी सेवा उपलब्ध है?

……………………………………..…………………………………………………

(छ) बालकों के लिए दत्तकग्रहण एजेंसी में उपलब्ध मनोरंजन सुविधाएं:

....

7.6 बालकों की दिनचर्या:

समय	कार्यकलाप/कार्यक्रम
सुबह	
दिन के समय	
दोपहर	
शाम	
देर शाम/रात	

8. लिंकेज

अन्य एजेंसियों/विभागों के साथ तैयार किए गए लिंकेज:

....
....

9. बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) और ट्रैक चाइल्ड में कनैक्टिविटी और प्रास्थिति

....
....

10. वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां/अनुदान

गृह अध्ययन और दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन करने के लिए शुल्क	दत्तकग्रहण शुल्क	आईसीपीएस के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	प्राप्त हुआ अन्य कोई दान/अनुदान

11. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों/अनुदानों का उपयोग

शीर्ष-वार किया गया व्यय	धनराशि	वाउचरों, चैक या नकद प्राप्तियों तथा अन्य संगत रजिस्टरों की जांच के बाद निरीक्षणकर्ता टीम की टिप्पणियां

12. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के बैंक ब्यौरे

13. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अपनाई गई कोई सर्वोत्तम पद्धति

14. दत्तकग्रहण प्रक्रिया में देरी, निधियों या दत्तकग्रहण से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दे।

15. निरीक्षणकर्ता टीम की टिप्पणियां और सिफारिशें

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

अनुसूची 26

[विनियम 23(1) देखें]

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन

1. क	संस्था/संगठन का नाम	
1. ख	संगत अधिनियम के अधीन संस्था/संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण और उप-नियमों, संगम ज्ञापन के संगत दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं)	
1. ग	बालक देखरेख संस्था के रूप में संस्था/संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
1. घ	बालक देखरेख संस्था के संचालन की विधिमान्यता की अवधि	
1. ङ	आवेदक/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1. च	एसटीडी कोड/टेलिफोन नंबर	
1. छ	एसटीडी कोड फैक्स नंबर	
1. ज	ईमेल पता	
1. झ	यदि संगठन का स्वरूप अखिल भारतीय हो तो कृपया अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं के पते दें	
1. ञ	क्या पहले कभी बालक देखरेख संस्था को मान्यता प्रदान करने/ विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण से मना किया गया है? हां/नहीं यदि हां i. उस आवेदन की संदर्भ संख्या, जिसके परिणामस्वरूप बालक देखरेख संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने से मना किया गया: ii. मना करने की तारीख: iii. किस विभाग ने मान्यता प्रदान करने से मना किया है: iv. विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने से मना करने का कारण:	

2.	**अवसंरचना:**	
2. क	कमरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)	
2. ख	शौचालयों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)	
2. ग	रसोईघरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)	
2. घ	रूग्ण कक्षों की संख्या	
2. ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति (भवन के अधिप्रमाणित नक्शे) संलग्न की जाए	
2. च	अनपेक्षित आपदा से निपटने की व्यवस्था; की गई व्यवस्था के स्वरूप का भी उल्लेख करें: i) आग ii) भूकंप iii) अन्य कोई व्यवस्था	
2. छ	पेयजल की व्यवस्था (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग से जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए)	
2. ज	स्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था: i. कीट नियंत्रण ii. अपशिष्ट निपटान iii. भंडारण क्षेत्र iv. अन्य कोई व्यवस्था	
2. झ	किराया करार/भवन रखरखाव प्राक्कलन (जो कोई भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)	
3.	संस्था/संगठन की क्षमता	
	गृह में मौजूदा बालकों की संख्या (0-5, 5-11 और 11-18 वर्ष)	
4.	**बालकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं**	
4. क	शैक्षणिक सुविधा	
4. ख	स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, जांच की बारंबारता, प्रस्तावित जांचों का स्वरूप	
4. ग	बालक के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली अन्य कोई सुविधा	
5.	**कर्मचारी**	
5. क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची (संलग्न की जानी है)	
5. ख	साझेदार संगठनों के नाम	
6.	**बालक देखरेख संस्था की पृष्ठभूमि की जानकारी**	
6. क	पिछले दो वर्षों में संगठन के प्रमुख कार्यकलाप (पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)	
6. ख	संलग्न रुपविधान में प्रबंधन समिति/नियंत्रक निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (दत्तकग्रहण एजेंसी चलाने के निर्णय के समर्थन में संस्था की कार्यकारिणी निकाय का संकल्प संलग्न करें)	

6. ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची (संलग्न की जानी है)	
6. घ	क्या संगठन विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अधीन रजिस्ट्रीकरण है? **(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)**	
6. ङ	पिछले दो वर्षों में प्राप्त विदेशी अभिदायों का ब्यौरा (सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)	
6. च	सहायतानुदान वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) और योजना/परियोजना का नाम, प्रयोजन, धनराशि इत्यादि।	
6. छ	एजेंसी के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या दर्शाए गए हों।	
6. ज	क्या संस्था प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 को पढ़ और समझ लिया है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पूर्व में दोषी सिद्ध नहीं हुआ है या किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल-शोषण या बाल श्रमिक को काम पर रखने में संलिप्त नहीं रहा है और न ही केंद्रीय या राज्य सरकार ने कभी भी इस संगठन को काली सूची में डाला है।

______________________ (संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अधीन विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

मैं बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में नियमित रूप से अद्यतन आंकड़े अपलोड करने तथा इस प्रयोजनार्थ सुविधाएं स्थापित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं इस विषय में केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दत्तकग्रहण विनियमों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तों की पूर्ति करने का वचन देता/देती हूँ ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर: ______________________

नाम:

पदनाम:

पता:

जिला:

तारीख:

कार्यालय मुहर:

हस्ताक्षर:

गवाह संख्या1: ______________________

गवाह संख्या 2: ____________________

****

अनुसूची 27

[विनियम 10(4) देखें]

देश में दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का रूपविधान।

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता :

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तकग्रहण विनियम, 2016 के विनियम 10(4) के अनुसार दत्तकग्रहण समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
(1)		
(2)		
(3)		

[विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण – बालक देखरेख संस्था लिंकेज के माध्यम से दत्तकग्रहण के मामले में सदस्य दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 58(8) के अनुसार होंगे] । समिति का कोरम विनियम 10 (5) के अनुसार होगा ।

2. समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्यों ने न्यायालय में दत्तकग्रहण आवेदन दायर करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों (सत्यापित/नोटरी से प्रमाणित) की जांच कर ली है, जो कि इस प्रकार हैं:

(1) बालक का दत्तकग्रहण करने वाले मौजूदा कुटुम्ब का फोटोग्राफ/व्यक्ति का फोटोग्राफ

(2) माता-पिता का पैन कार्ड

(3) माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र/जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें)

(4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/पासपोर्ट/मौजूदा बिजली बिल/टेलिफोन बिल)

(5) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (वेतन पर्ची/सरकारी विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र/आयकर विवरणी)

(6) किसी चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी क्रोनिक, संक्रामक या घातक रोग से पीड़ित नहीं है और वे दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड करें)

(7) विवाह प्रमाणपत्र/विवाह-विच्छेद डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा अथवा स्वीय विधि द्वारा अभिशासित विवाह विच्छेद के बारे में, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ/ पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो

(8) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या संबंधियों के दो संदर्भ पत्र।

(9) विवाह विच्छेद के बारे में विवाह-विच्छेद डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा यदि विवाह विच्छेद स्वीय विधि द्वारा अभिशासित है, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ/ पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो , की प्रति।

(10) कुटुम्ब में अपेक्षाकृत बड़े बालक/बालकों की सहमित की प्रति (यदि आयु 5 वर्ष से अधिक हो)

3.(क) समिति ने यह निर्णय लिया है कि भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता.., जिनकी केयरिंग्स रजिस्ट्रीकरण संख्या ....है, को बालक .... (जन्म की तारीख ....), जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ....है, का दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त समझा गया है।

(ख) यदि भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त नहीं समझा गया तो उसके कारण :

(.........................)	(........................)	(..........................)
सदस्य 1	**सदस्य 2**	**सदस्य 3**
(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)

अनुसूची 28

[विनियम 12(2) देखें]

अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन

श्री/सुश्री____________, विद्वत् जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय/ प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में, _______ पर

विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं.________/ वर्ष

भावी दत्तक माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या :

संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

इसके दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम और आयु) के माध्यम से

आवेदक

(टिप्पण : यदि बालक किसी बालक देखरेख संस्था से हो, तो यहां सह-आवेदक के रूप में ऐसी बालक देखरेख संस्था के विवरण का उल्लेख किया जाए)

तथा

1. श्री______ सुपुत्र _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________

2. श्रीमती______ पत्नी _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता ____________________

भावी दत्तक माता-पिता

दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 12 (2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 58(3) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्मकी तारीख :) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय अधिनियम" कहा गया है) की धारा 65 के अधीन ___________________ राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण है।

2. कि सह-आवेदक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक: (बालक/बालिका; जन्म की तारीख : ……) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है। [**टिप्पण** : इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में दायर किया जा रहा हो।]

3. बालक/बालकों….. (बालक/बालिका, जन्म की तारीख :……) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति .... जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या ...... द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

4. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता फिलहाल .... (पूरा पता) में रह रहे भारत-वासी हैं। भावी दत्तक माता-पिता बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में .... रजिस्ट्रीकरण संख्या से रजिस्ट्रीकृत हैं। उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 और दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 5 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है। दत्तकग्रहण समिति ने उन्हें उपर्युक्त बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त पाया है। दत्तकग्रहण समिति के विनिश्चय की सत्य प्रति भी संलग्न है।

5. कि उपर्युक्त बालक/बालकों का ब्यौरा उक्त भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से ऑनलाइन भेजा गया है और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बालक अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर .... को हस्ताक्षर करके उक्त बालक/बालकों को स्वीकार किया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58 (3) और दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 11(1) के उपबंधों के अनुसार, दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र (सत्य प्रति संलग्न) प्राप्त करने के बाद बालक/बालकों को .... को उक्त भावी दत्तक माता-पिता की दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख में दिया गया है।

6. कि भावी दत्तक माता-पिता ने उक्त दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र में यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन के लिए विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण /जिला बालक संरक्षण एकक/राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58(5) की परिकल्पना के अनुसार)।

7. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे अपने निवास स्थान में किसी भी बदलाव (इस आवेदन में सूचित निवास स्थान से भिन्न) की सूचना आवेदक(कों), संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण तथा इस न्यायालय को देंगे, ताकि दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन किया जा सके।

8. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक/बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक/बालकों को अपने और बालक के समान प्रास्थिति / अधिकार / सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसा कि इस आवेदन के साथ संलग्न दत्तकग्रहण-पूर्व पालन-पोषण देखरेख शपथपत्र में कहा गया है।

9. कि आवेदक/सह-आवेदक ने दत्तकग्रहण समिति की तारीख .... को आयोजित बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय (प्रति संलग्न) के अनुसार बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में रखने का निर्णय लिया है।

10. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

11. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

12. आवेदक इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 58(3) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

13. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

14. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

15. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

16. **अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :**

क) उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान: आवेदक सं. 1

तारीख: आवेदक सं. 2

बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो

सत्यापन

मैं/हम, (1) श्री/श्रीमती ...., आयु लगभग ______, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता (और श्री/श्रीमती..........., आयु लगभग......................, आवेदक संख्या 2 के अधीक्षक/प्रबंधक/निदेशक), एतदद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर .... स्थान पर .... (तारीख), ... (माह) .... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक सं. 1

आवेदक सं. 2

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

अनुसूची 29

[विनियम 12 (2) देखें]

अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन

श्री/सुश्री____________, विद्वत् जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय/ प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में, _______पर

विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं.________/ 2016

भावी दत्तक माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या:

(संबंधित विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम)

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

इसके दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम और आयु) के माध्यम से

आवेदक

(टिप्पणी: यदि बालक किसी बालक देखरेख संस्था से हो, तो यहां सह-आवेदक के रूप में ऐसी बालक देखरेख संस्था के विवरण का उल्लेख किया जाए)

तथा

श्री____________ सुपुत्र __________ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय :____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________

श्रीमती____________ पत्नी _____________ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता ____________________

भावी दत्तक माता-पिता

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 59(7) तथा दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 12 (2) और 17(1) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख :   ) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है :-

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65 के अधीन (इसके बाद इसे "किशोर न्याय अधिनियम" कहा गया है) __________________________राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियम के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण है।

2. कि सह-आवेदक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक: (बालक/बालिका; जन्म की तारीख :……) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है।

[**टिप्पण** : इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में दायर किया जा रहा हो।]

3. बालक/बालकों….. (बालक/बालिका, जन्म की तारीख : ……) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति ………. जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या …… द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

4. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई)/विदेशी हैं और फिलहाल ……………………………… (पूरा पता) में रह रहे हैं।

5. कि भावी दत्तक माता-पिता को प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए)/ केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) [नाम और पता] द्वारा उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा उस देश की विधि के अनुसार, जिस देश में उनका निवास स्थान है, दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है। भारत से किसी बालक का दत्तकग्रहण करने के भावी दत्तक माता-पिता के प्रस्ताव की सिफारिश उक्त प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण ने की है तथा संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

6. भावी दत्तक माता-पिता को उक्त प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण /केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बालक दत्लकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ………….. रजिस्ट्रीकरण संख्या से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 और दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 5 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा उन्हें पात्र पाया गया है।

7. कि उपर्युक्त बालक/बालकों का ब्यौरा उक्त भावी दत्तक माता-पिता को बालक दत्लकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण /केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन भेजा गया है और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बालक अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर ……. को हस्ताक्षर करके उक्त बालक/बालकों को स्वीकार किया है।

8. कि केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में अनापत्ति प्रमाणपत्र ……….. को जारी किया है।

9. कि भावी दत्तक माता-पिता ने संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/ केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले कुटुम्ब में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्च अनुवर्तन के लिए संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण/सरकारी विभाग के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 59(11) की परिकल्पना के अनुसार)।

10. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक/बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक/बालकों को अपने और बालक के समान प्रास्थिति/अधिकार/सुविधाएं प्रदान करेंगे।

11. कि आवेदक/सह-आवेदक उपर्युक्त बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देना चाहते हैं और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

12. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

13. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

14. उपर्युक्त बालक इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 59(7) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

15. कि केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

16. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

17. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

18. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

19. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :

क) उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त बालक/बालकों का माता-पिता घोषित करने तथा उक्त बालक/बालकों को उस देश ले जाने की अनुमति देने कृपा करें, जिस देश में उन माता-पिता का निवास स्थान है, ताकि वे उक्त बालक/बालकों का पालन-पोषण अपने बालक की भांति कर सकें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (5) और विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्य दिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

ग) संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 18 उप- विनियम (4) और विनियम 38 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान: आवेदक सं. 1

तारीख: आवेदक सं. 2

बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम, (1) श्री/श्रीमती ...., आयु लगभग ______, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता (और श्री/श्रीमती..........., आयु लगभग......................, आवेदक संख्या 2 के अधीक्षक/प्रबंधक/निदेशक), एतदद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर .... स्थान पर .... (तारीख), ... (माह) .... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक सं. 1

आवेदक सं. 2

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

अनुसूची 30

[विनियम 51(5) देखें]

देश के भीतर नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले मॉडल आवेदन

श्री/सुश्री____________, विद्वत् जिला और सत्र न्यायाधीश/अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय/प्रधान जिला न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में, _______पर

विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं.________/ वर्ष

भावी दत्तक माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या:

1. श्री______ सुपुत्र _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________, थाना:____________, जिला:____________, राज्य:____________

2. श्रीमती______ पत्नी _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता ____________________, थाना:____________, जिला:____________, राज्य:____________

आवेदक

(भावी दत्तक माता-पिता)

तथा

3. श्री________ सुपुत्र _______ आयु _____ लगभग _____ वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय : ____________ स्थायी निवास स्थान का पता : _______________

4. श्री________ सुपुत्र _______ आयु _____ लगभग _____ वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय : _________ स्थायी निवास स्थान का पता : ____________________

नैसर्गिक/जैविक माता-पिता

<u>दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 51 और 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 56 (2) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख :) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।</u>

<u>आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-</u>

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2(52) के अधीन बालक _______________________ (बालक/बालिका) का भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।

2. कि आवेदक बालक ___________________ के चाचा/ताऊ या चाची/ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।

3. कि आवेदक ____ के निवासी हैं।

4. कि ____________________ बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने _______________________को जन्म दिया था और वे ____ के निवासी हैं।

5. कि जन्मदाता माता-पिता ________________________ कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने को इच्छुक हैं।

6. कि भावी दत्तक माता-पिता ________________________ कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने को इच्छुक हैं।

7. कि आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है। (यदि जन्मदाता माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।)

8. कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता/सकती है।

या

कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।

9. कि जन्मदाता माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे तथा उसे सभी अधिकार औरदायित्व प्राप्त होंगे।

10. दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही जैविक माता-पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।

11. कि प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

12. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

13. कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

14. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

15. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

16. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

17. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :

क) उन्हें उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान: आवेदक

तारीख:

जैविक माता-पिता/संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम, श्री/श्रीमती ……….., आयु लगभग ______, आवेदक और मैं/हम, श्री/श्रीमती ……….., आयु लगभग ______ नैसर्गिक माता-पिता/संरक्षक, एतदद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर .... स्थान पर .... (तारीख), ... (माह), ... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक

नैसर्गिक माता-पिता/संरक्षक

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

अनुसूची 31

[विनियम 55 (3)]

नातेदार द्वारा अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले मॉडल आवेदन

____________, विद्वत् जिला और सत्र न्यायाधीश/अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय/प्रधान जिला न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में, _______पर

विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं.________/ वर्ष

भावी दत्तक माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या:

1. श्री______ सुपुत्र _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________, थाना:____________, जिला:____________, राज्य:____________

(भावी दत्तक पिता)

2. श्रीमती______ पत्नी _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता ____________________, थाना:____________, जिला:____________, राज्य:____________

(भावी दत्तक माता)

आवेदक

तथा

1. श्री______ सुपुत्र _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________
2. श्रीमती______ पत्नी _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता ____________________

नैसर्गिक/जैविक माता-पिता

दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 53, 54 और 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 60(1) के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख :) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2(52) के अधीन बालक ______________________ (बालक/बालिका) का भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।

2. कि आवेदक बालक ___________________ के चाचा/ताऊ या चाची/ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।

3. कि आवेदक ____ के निवासी हैं। कि ____बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने ____को जन्म दिया था और वे ____ के निवासी हैं।

4. कि नैसर्गिक माता-पिता ________________________ कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने को इच्छुक हैं।

5. कि भावी दत्तक माता-पिता ________________________ कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने को इच्छुक हैं।

6. कि आवेदकों और जन्मदाता माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है। (यदि जन्मदाता माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।)

7. कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता/सकती है।

या

कि जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।

8. कि जन्मदाता माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे तथा उसे सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।

9. कि दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही जन्मदाता माता-पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या पुरस्कार प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।

10. कि आवेदकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2(52) के अनुसार संबंधी के बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है।

11. कि जिला जिला बालक संरक्षण एकक (डीसीपीयू) से बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार कराई गई है, जहां बालक सामान्यतः नैसर्गिक कुटुम्ब के साथ रहता/रहती है और जिला बालक संरक्षण एकक ने विनियम 54 (2) और (3) के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि इस आवेदन के साथ संलग्न है।

12. कि आवेदक सामान्यतः जिस देश में रहते हैं, उस प्राप्तकर्ता देश ने इस दत्तकग्रहण के लिए हेग अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र या अनुमति जारी कर दिए हैं, जो इस आवेदन के साथ संलग्न है ताकि विनियम 54 के उप-विनियम (5) के अनुसार दत्तकग्रहण कार्यवाही की जा सके।

13. कि प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

14. कि बालक/बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक/बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

15. कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

16. कि आवेदक(कों) ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

17. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

18. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

19. **अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :**

i. उक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ii. जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

iii. संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियम 18 के उप-विनियम (4) और विनियम 38 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान: आवेदक

तारीख:

जैविक माता-पिता/संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात-पिता का फोटो

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम, श्री/श्रीमती ……………………………………………………………..……., आयु लगभग ______, आवेदक और मैं/हम, श्री/श्रीमती …………………………………………………..………., आयु लगभग ______ , भावी दत्तक माता-पिता (आवेदक), एतदद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर .... स्थान पर .... (तारीख), ... (माह), ... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक

भावी दत्तक माता-पिता

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

अनुसूची 32

[विनियम 52(4) और 55(2) देखें]

सौतेले माता-पिता द्वारा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन

____________, विद्वत् जिला और सत्र न्यायाधीश/अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय/प्रधान जिला न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय या सिविल न्यायाधीश/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविज़न), जैसी भी स्थिति हो, के न्यायालय में, _______पर

विविध सिविल आवेदन (एमसीए) सं.________/ वर्ष

भावी दत्तक माता-पिता की बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में रजिस्ट्रीकरण संख्या:

1. श्री______ सुपुत्र _____ आयु_____ लगभग_____वर्ष, नागरिक ________ , व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________, थाना:____________, जिला:____________, राज्य:____________

आवेदक

(जैविक पिता/बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण करने वाला पिता)

और

2. श्रीमती______ पत्नी _____________ आयु लगभग_____वर्ष, नागरिक ________, व्यवसाय:____________ स्थायी निवास स्थान का पता :_______________

आवेदक

(जैविक माता/बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण करने वाली माता)

दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 52(4) और 55(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 56 के अधीन बालक: (बालक/बालिका, जन्म की तारीख :) के दत्तकग्रहण के विषय में आवेदन।

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-

1. कि आवेदक **अनुसूची 20** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बालक / बालकों के जैविक माता-पिता या सौतेले माता-पिता (जैविक माता-पिता के/की विधिक रूप से विवाहित पति/पत्नी) हैं।
2. कि आवेदक ____ के निवासी हैं।
3. कि __________________________ बालक/बालकों लिंग ________ (बालक/बालिका) और जन्म की तारीख _______________ माता-पिता __________________________ ने जन्म दिया था और वे ________________________________ के निवासी हैं।
4. कि जैविक माता-पिता (आवेदक) बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति/पत्नी (आवेदक) को, उससे विधिकरूप से विवाह कर लेने के कारण और वह बालक (बालकों) का दत्त्कग्रहण करना चाहता/चाहती है, विधिक संबंध को साझा करने के इच्छुक हैं।
5. कि दूसरे जैविक माता/पिता की सहमति प्राप्त कर ली गई है/दूसरे जैविक माता/पिता मृत है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
6. कि जैविक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौक्तेले माता-पिता (आवेदक) यह समझते हैं कि बालक के दत्तकग्रहण से उनके साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध हो जाएगा ।
7. कि दत्त्कग्रहण विनियम की **अनुसूची 20** के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए यथा अपेक्षित सहमति इस आवेदन के साथ संलग्न है/हैं।
8. कि जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता/सकती/सकते है/हैं।
9. कि किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61(1) में अभिनिर्धारित शर्तों का प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए अनुपालन कर लिया गया है।

10. कि बालक सामान्यतः इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है और इसलिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 56 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 112 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

11. उक्त बालक/बालकों कोई अभिरक्षा के बारे किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं है।

12. कि आवेदकों ने किसी अन्य न्यायालय में उक्त बालक/बालकों के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

13. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

14. कि विहित न्यायालय शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तथा रसीद इस आवेदन पर चिपका दी गई है।

15. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि :

क) उपर्युक्त बालक/बालकों के माता-पिता के विधिक संबंध को दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता के साथ-साथ जैविक माता-पिता (आवेदक) को स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 36 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक/बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान: आवेदक

तारीख:

जैविक माता/पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक मात/पिता का फोटो

सत्यापन

मैं, श्री ....(जैविक पिता/बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण करने वाला सौतेला पिता), आयु लगभग ______, और मैं श्रीमती .... (जैविक माता/ बालक(बालकों) का दत्तकग्रहण करने वाली सौतेली माता) आयु लगभग ______ आवेदक एतदद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं, जिनके साक्ष्यस्वरूप हमने उन पर .... स्थान पर .... (तारीख), ... (माह), ... को हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक

(जैविक माता-पिता और बालक/बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

[फा. नं. 18-6/2014-बा.क.-II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव